इकाई 1 : ब्याज का परिकलन/गणना

1.4 साम्यिक मासिक किस्त (EMI) :

विद्यमान बैंकिंग में ऋण की चुकौती की सर्व सामान्य अंगीकृत प्रणाली को साम्यिक मासिक किस्त (EMI) के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत, ऋण की निश्चित मियाद के दौरान मूल रकम और उपचित ब्याज की चुकौती साम्यिक मासिक किस्त के जरिये की जाती है। EMI, ऋण की रकम, ब्याज दर और चुकौती की अवधि के आधार पर निश्चित किया जाता है।

ऋण की रकम, अवधि, और ब्याजदर पर आधारित EMI की गणना के लिये सूत्र (फार्म्यूला) है :

$$EMI = p * r \frac{(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$$

जहाँ p = मूल रकम (ऋण की रकम) r = प्रत्येक किश्त की अवधि के लिये ब्याज की दर जैसे : यदि ब्याज दर 12% p.a. हो। r = 0.01। n = मियाद की कुल किस्तें (PMT फंक्शन EXCEL स्प्रेड शीट का उपयोग EMI की गणना के लिये किया जा सकता है।)

उदाहरणार्थ : रु. 1,00,000/- की ऋण राशि के लिये 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 12 महीने में ऋण की चुकौती के लिये EMI की गणना निम्नानुसार होगी।

P = 1,00,000/- r = 12% / 12 = 1% = 1/100 = 0.01 n = 12

$$EMI \quad \frac{(1{,}00{,}000 * .01)(1+.01)^{12}}{(1+.01)^{12} - 1} = \frac{1000 * 1.01^{12}}{1.01^{12} - 1} = \frac{1000 * 1.126825}{0.126825}$$

= 8884.8789 पूर्णांक 8885 अतः EMI = 8885

यद्यपि यह मूल रकम की चुकौती और ब्याज की लागत का असमान मिश्रण है, तथापि यह पूरे समय स्थिर रहता है। ब्याज का परिकलन मासिक घटते हुए (शेषों) के आधार पर किया जाता है, जिसका अर्थ है दूसरे महीने के ब्याज का परिकलन करते समय, प्रत्येक माह में मूल रकम की चुकौती को घटाया जाता है, इसलिये यदि भुगतान 15 जनवरी को किया गया हो, तब ब्याज दर का समायोजन अगले महीने से लागू किया जाता है। EMI के जरिये ऋण के भुगतान में आरंभ में ब्याज की चुकौती के लिये और ऋण की अवधि की समाप्ति के समय मूल रकम की चुकौती के लिये समायोजन किया जाता है।

यह मानकर की 15 जनवरी 2006 को ऋण लिया गया है तब उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर EMI भुगतान में से मूल रकम और ब्याज चुकौती हेतु किये गये समायोजन का एक नमूना नीचे दिया गया है :

	इएमआइ	ऋण पर 12% प्रतिवर्ष की दर से पूर्व धनप्रेषण के समायोजन करने के बाद बकाया राशि	मूल राशि के लिये EMI का शेष	ऋण का बकाया
15.01.2006	-	-	-	1,00,000
15.02.2006	8885	1000	7885	92115
15.03.2006	8885	921	7964	84151
15.04.2006				
-				
-				
-				
15.01.2007	8885	89	8796	-

उदाहरण : रु. 10 लाख के आवास ऋण को, 15 सालों में, 10.50% प्रति वर्ष की ब्याज दर से चुकाना हो, तब उसके EMI की गणना कीजिये।

उत्तर : $p = 10,00,000$

$r = 10.50\% / 12 = 0.00875$

$n = 15 * 12 = 180$

$$EMI = p * r \frac{(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} = 10,00,000 * 0.00875 \frac{1.00875^{180}}{1.00875^{180}-1}$$

$$= \frac{8750 * 4.797761}{3.797761} = 11054$$

1.5 नियत और चल ब्याज दरें :

ब्याज के दो भिन्न तरीके हैं जैसे :

(1) नियत दरें (2) चल दरें जिन्हें अस्थिर दर से भी जाना जाता है।

नियत दर :

नियत दर में ब्याज की दर नियत होती है और ऋण की अवधि के दौरान उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। यदि 12% की ब्याज दर पर 10 साल के लिये आवास ऋण लिया हो, तब 10 साल की पूरी अवधि के दौरान, चाहे बाज़ार दर बढें या घटें, ब्याज दर उतनी ही होगी। नियत दर चल दर से अधिक होगी, क्योंकि बाज़ार की अस्थिरता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

चलदर:

चल या अस्थिर दर में, बाज़ार की स्थिति के मुताबिक ब्याज की दर बदलती है। यह बढ़ या घट सकती है। उदाहरणार्थ, यदि अप्रैल 2006 में 10 साल की चुकौती अवधि के लिये 12% ब्याज दर से आवास ऋण लिया गया हो और अप्रैल 2007 में, यदि बाज़ार दर 12.50% तक बढ़ गयी हो, तब इस ऋण के लिये ब्याज की दर भी 12.50% तक बढ़

जायेगी। ऋण यदि EMI प्रणालि के अंतर्गत होगा, ब्याज दर के बदलाव के मुताबिक चुकौती अवधि बदल जायेगी तथापि, साम्यिक मासिक किस्त उतनी ही होगी। बाज़ार की विद्यमान स्थिति के मुताबिक, लोग नियत दर, और चल दर में से, एक का चयन कर सकते हैं।

प्र.23 : EMI योजना के अंतर्गत, यदि श्री X, किसी बैंक से रु.25 लाख का ऋण 15 साल में चुकौती हेतु @ 8.75% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर लेते हैं, तब उसके द्वारा भुगतान किये जानेवाले मासिक किश्त की रकम क्या होगी?

प्र.24 : रु. 5 लाख का 10 साल की अवधि में @ 7% प्रति वर्ष के ब्याज पर लिये गये ऋण का EMI क्या होगा?

इकाई 2 : बासेल II

2.0 उद्देश्य

2.1 पृष्ठभूमि

2.2 बासेल II कैपिटल चार्ज के हेतु अनुशंसाएं

2.3 विभिन्न प्रकार की जोखिमें

- ऋण/उधार जोखिमें
- परिचालनगत जोखिमें
- बाज़ारी जोखिमें

2.4 भारतीय वित्तीय प्रणाली के पहलू

2.5 विनियामक पहल

2.6 NPA - एनपीए के लिये प्रावधान और बासेल II के लिये भार (वेट्स)

- महत्वपूर्ण शब्द
- टर्मिनल प्रश्न

2.0 बासेल II की पृष्ठभूमि का विहंगावलोकन देना :

- बासेल II समझौता की अनुशंसा और

- भारतीय बैंकिंग परिदृश्य पर उसका प्रभाव

2.1 पृष्ठभूमि :

विश्व की अधिकांश बैंकिंग प्रणालियों की एक दूसरे पर की निर्भरता, तथा राष्ट्रीय विनियामक पद्धतियों में समन्वय बनाने के औपचारिक तरीकों के अभाव पर 1974 के हेरस्टैट क्रायसिस के जरिये/द्वारा सकेंद्रीकृत किया गया। 26 जून 1974 के दिन, बैंकाहौज हेरस्टैट नामक जर्मन बैंक को जिसकी सकल आस्तियां करीब $ 800 मिलियन थीं, विदेशी मुद्रा में तथा अन्य घाटों की रकम 450 मिलियन यूएस.डॉलर होने पर, हेरस्टैट रिस्क या सैटलमेंट (निपटान) विदेशी मुद्रा व्यवहारों विषयक रिस्क के परिणाम स्वरूप, पश्चिम जर्मनी के प्राधिकारियोंने, बंद या समाप्त घोषित किया। हेरस्टैट विफलता का सुस्पष्ट कारण यह था, कि स्पॉट फॉरेक्स संव्यवहारों की समाशोधन प्रणाली पर प्रहार हो गया जिससे, अंतर्राष्ट्रीय इंटर बैंक बाज़ार को भारी नुकसान हो गया। इससे कई जर्मन बैंक तथा इटालियन और जापानी बैंक भी बुरी तरह प्रभावित हुए/नुकसान हुआ, जिनके अपने राष्ट्रीय प्राधिकारी भी उस समय उन्हें तत्कालिक डॉलर सहायता उपलब्ध कराने में असक्षम पाये गये।

परिणामत :

1975 में बैंकिंग रेग्यूलेशन अँड सुपरवाइज़री प्रॅक्टिसिस (अब बासेल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के नाम से जानी जाती है) की बैंक सुपरवाइजर्स समिति के स्थायी/स्टँडिग समिति का गठन, बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट्स के तत्वावधान में किया गया, 'बासेल' का गठन न कि राष्ट्रीय कानून और प्रथाओं को, पृथक करने के लिये, किन्तु विषम रेग्युलेटरी रिजाइमस् को जोड़ने हेतु, जिससे कि सभी बैंकों का पर्यवेक्षण कतिपय विस्तृत/ब्रॉण्ड प्रिन्सिपलों/सिद्धांतों के आधार पर

किया जाना, सुनिश्चित किया जाये।(कूक 1981) वर्ष 1980 की तीसरे विश्व की डेट क्रायसिस ने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की सुकुमारता/फ्रैजिलिटी को उजागर किया और पूंजी के घटने पर तत्काल रोक लगाकर बैंक तुलनपत्रों को मजबूती प्रदान की।

इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध, दो केंद्रीय बैंकों के नियामकों ने यथा बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस फैडरल बोर्ड, जिन्होंने प्रथमतः, जनवरी 1987 में द्विपक्षीय करार किया, द्वारा, वैश्विक विनियमन और पर्यवेक्षण के लिये पहल की। G-10 पर्यवेक्षक भी इसमें शामिल हुए, जिसके परिणाम स्वरूप, जुलाई 1988 का ऐतिहासिक बासेल कॅपिटल अकॉर्ड/करार संमत हुआ जिसे 'इंटरनैशनल कनवरजंस ऑफ कॅपिटल मेजरमेंट और कॅपिटल स्टँडर्ड' कहा जाता है और इससे बैंकों के मध्य, पूंजी पर्याप्तता का एकरूपीकरण हुआ।

जी - 10 समूह राष्ट्रों की, इंटरनॅशनल ऍक्टिव बैंकों पर लागू करने हेतु बासेल I मूलतः रचा गया था। तथापि, बैंकों के लिये मानक के रूप में इससे विकसित देशों ने भी अंगिकार किया। क्योंकि 'मेजर बैंकिंग प्रणाली' के पूंजी के स्तर पर तथा 'लेवल प्लेइंग फील्ड' पर यह संकेद्रित था। जून 1999 में 'बासेल कमिटी ऑन सुपरविजन' ने 'न्यू कॅपिटल ऍडीक्वसी फ्रेमवर्क' विषयक एक नया परामर्शी पेपर प्रस्तुत किया। अत्याधिक चर्चा, परिशोधन, और टिप्पणियों के बाद, 'इंटरनैशनल कनवर्जन्स ऑफ कॅपिटल मेजर्स अन्ड कॅपिटल स्टँडर्डस्' नामक फ्रेमवर्क को, जो बासेल II नाम से लोकप्रिय है, 26 जून 2004 को मान्यता दी गई। उसे 2006 के अंत तक और 2007 में लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीयतः सक्रिय बैंकों के लिये नये मानक अनिवार्य हैं।

2.2 बासेल II : कैपिटल चार्ज पर अनुशंसाएं :

अनपेक्षित आघात और नुकसानों को सहने की क्षमता बैंक अपने पूंजी आधार पर रखते हैं। बासेल II मानदंड काफी समय तक जारी रखे आर्थिक विकास पर केंद्रीकृत रहते हैं, और उसमें शामिल है :

(1) वित्तीय प्रणाली में सुरक्षितता और मजबूती का संवर्धन
(2) स्पर्धात्मक समानता में बढ़ोतरी और
(3) जोखिम को आकर्षित करने हेतु अधिक व्यापक दृष्टिकोण स्थापित करना।

नये प्रस्ताव तीन पारस्परिक सबलीकृत स्तंभों पर आधारित है, और जो, बैंकों पर्यवेक्षकों द्वारा उठायी गई विभिन्न जोखिमों का उचित मूल्यांकन करता है और विनियमित पूंजी को बहुत अच्छी तरह रेखांकित जोखिमों से समन्वित करता है। इन तीनों स्तंभों का केंद्रीय स्तंभ या आधार जोखिमों को घटना/कम करना रहता है। नये जोखिम के प्रति सजग रहने के दृष्टिकोण निम्न पर केंद्रीकरण से उद्योगों की सुरक्षा और मजबूतीकरण हो जाता है।

- जोखिम आधारित पूंजी (स्तंभ I) बैंकों के लिये न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन।
- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (स्तंभ 2) बैंकों की पूंजी पर्याप्तता और आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण।
- बाज़ार/मार्केट अनुशासन पर अमल करने हेतु जोखिम प्रकटीकरण (स्तंभ II) अधिक पारदर्शिता, और प्रकटीकरण, और श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिये मार्केट अनुशासन का उपयोग।

बासेल II

ढांचा

स्तंभ 1	**स्तंभ 2**	**स्तंभ 3**
न्यूनतम पूंजी आवश्यकता	**पर्यवेक्षण समीक्षा पद्धति**	**मार्केट/बाज़ार अनुशासन**

<u>प्रथम स्तंभ - न्यूनतम पूंजी आवश्यकता</u> :

प्रथम स्तंभ न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को दर्शाता/उजागर करता है। नया ढांचा जोखिम युक्त आस्तियों का 8% न्यूनतम पूंजी आवश्यकता रखता है। इसमें, ऋण, मार्केट और परिचालनगत जोखिमों पर आधारित परिकलन होता है। इसमें जोखिम भारित आस्तियों का पूंजी से न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिये यह बताया गया है और इसमें पूंजी की विद्यमान परिभाषा ज्यों की त्यों रखी गयी है।

पूंजी पर्याप्तता क्या है?

अनपेक्षित हानियों के विरुद्ध यह रक्षित कवर है। नये समझौते के अंतर्गत, पूंजी पर्याप्तता अनुपात इस तरह परिकलित किया जायेगा :

कुल पूंजी (बदलाव रहित) = (टीयर I + टीयर II + टीयर III)

जोखिम भारित आस्तियां = ऋण जोखिम + परिचालनगत जोखिम + बाज़ार जोखिम

टियर I पूंजी - शेयर धारकों की ईक्विटी और उपार्जित प्राप्तियां

टियर II पूंजी - अनुपूरक पूंजी (1988 के समझौते में यथा परिभाषित)

टियर III पूंजी - कुछेक अल्पावधी सबऑर्डिनेट ऋण (इसे अब तक भारत में लागू नहीं किया गया है।)

बासेल II, जोखिमों के मापन में सुधार लाने पर केंद्रीत है। संशोधित ऋण जोखिम मापन पद्धतियां, विद्यमान पद्धतियों की अपेक्षा अधिक

व्यापक हैं। पहली बार, परिचालनगत जोखिम का मापन इसमें प्रस्तावित है जबकि मार्केट जोखिम के मापन में कोई बदलाव नहीं है।

NPA_S के स्तर का प्रभाव :

उच्च गैर निष्पादक आस्तियां जोखिम भारित आस्तियों के बैंक की पूंजी से अनुपात को घटाकर बैंक की पूंजी को अत्यधिक प्रभावित करते है, (इसमें पूंजी का मूल्य अवाधित है) और प्राप्तियां घटती है (कम निर्बाध/मुक्त पूंजी की उपलब्धता)

दूसरा स्तंभ - पर्यवेक्षक समीक्षा पद्धति :

पर्यवेक्षक समीक्षा पद्धति लागू करने का उद्देश्य, सभी जोखिमों के समर्थनार्थ पूंजी पर्याप्तता ही नहीं है किन्तु, अपने जोखिमों के प्रबंधन तथा अनुप्रवर्तन में बेहतर जोखिम प्रबंध तकनिकों को विकसित करना भी है अतः परिचालनगत नियंत्रण और स्तंभ 1 की आवश्यकताओं से उसका संबंध है। इस प्रक्रिया के चार महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं :

(क) अपने जोखिम की प्रोफाइल के अनुरूप उनको समग्र पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने की पद्धति तथा उनके पूंजी स्तर के अनुप्रवर्तन की नीति भी बैंकों के लिये आवश्यक है।

(ख) पर्यवेक्षकों को चाहिये कि वे बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता के आकलन तथा नीतियों की समीक्षा करें तथा, विनियामक पूंजी अनुपातों के साथ अनुपालन के सुनिश्चयन की क्षमता का अनुप्रवर्तन करें।

(ग) पर्यवेक्षक यह अपेक्षा रखें कि बैंक न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपातों को बनायें रखें, और, न्यूनतम से अधिक पूंजी पर्याप्तता रखने की क्षमता रखें।

(घ) पूंजी न्यूनतम स्तर से गिरने से पहले ही आरंभिक दौर में पर्यवेक्षक

आवश्यक कदम उठाएं और यदि पूंजी की पर्याप्त मात्रा न हो तब तत्काल आवश्यक कदम उठाएं।

तीसरा स्तंभ - बाज़ार/मार्केट अनुशासन :

मार्केट अनुशासन, बैंकों पर अपने कारोबार को सुरक्षित, मजबूत और प्रभावी ढ़ंग से चलाने के लिये, अत्यधिक प्रोत्साहित करता है। कैपिटल, रिस्क एक्सपोजर, इत्यादि के लिये प्रकटीकरण की शृंखला के जरिये अमल में लाना यह प्रस्तावित करता है ताकि, मार्केट सहभागी बैंक की पूंजी पर्याप्ता का आकलन कर सकें। ये प्रकटीकरण यदि योग्य हो, तो अर्धवार्षिक आधार पर कम से कम होने चाहिये। गुणवत्ता युक्त प्रकटीकरण जैसे, जोखिम प्रबंधन उद्देश्य, नीतियां, परिभाषाएं आदि को वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाये।

इस स्तंभ के अंतर्गत, आवश्यकताएं, सभी विनियमित फर्मों के लिये समान हैं।

2.3 विभिन्न प्रकार की जोखिमें :

ऋण जोखिम :

समझौते का पहला स्तंभ न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को उजागर करता है। पूरे बैंकिंग समूह में उस जोखिम (उदा. ऋण हानि) के विचार के सुनिश्चयनार्थ, बासेल II में ऋण जोखिम के मापन में सुधार किये गये हैं। बासेल I की अपेक्षा, बासेल II की ऋण मापन पद्धतियां अधिक व्यापक हैं। ऋण जोखिम के मापनार्थ, बासेल II ने तीन सैद्धांतिक विकल्प प्रस्तावित किये हैं :

- मानकीकृत दृष्टिकोण/संकल्पना : या

- आंतरिक क्रम आधारित संकल्पना (आयआरबी)

आयआरबी पद्धति की दो संकल्पनाएं प्रस्तावित हैं।

(क) बुनियादी संकल्पना और (ख) उन्नत संकल्पना IBB संकल्पना आंतरिक जोखिम भार आधारित कार्य, खुदरे संविभाग के लिये, निर्भर रहता है और वित्तीय परिपक्वता और अतिरिक्त जोखिम घटक का परिचायक रहता है।

- ढांचागत प्रतिभूतिकरण

ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता की गणना की वैकल्पिक पद्धतियां नीचे बतायी गई हैं।

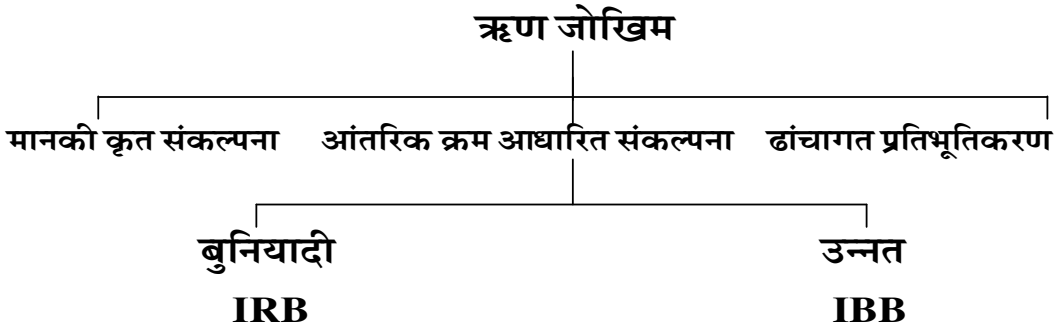

परिचालनगत जोखिम :

परिचालनगत जोखिम इस प्रकार हैं, जैसे सितंबर 11 की घटना। ये प्रस्ताव परिचालनगत जोखिमों के मापनार्थ प्रस्तावित किये गये हैं :

(1) मूलभूत संकेतक प्रस्ताव :

बैंक की समय गतिविधियों के लिये यह परिचालनगत संकेतों का, एक उपयोग में लाती है।

(2) मानकीकृत प्रस्ताव :

विभिन्न कारोबारी व्यवहारों के लिये यह विभिन्न संकेतक निर्धारित करता है।

(3) उन्नत माप :

आवश्यक कैपिटल/पूंजी के अनुमान में, बैंकों के लिये उनके आंतरिक हानि/नुकसान के आंकड़े आवश्यक बन जाते हैं।

परिचालनगत जोखिमों के मापन के लिये प्रस्ताव

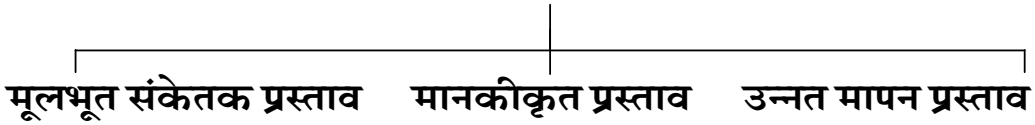

मार्केट/बाज़ार जोखिम :

जून 2004 में मार्केट जोखिम के कैपिटल/बाज़ार प्रभार के परिकलन के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं, ये दिशानिर्देश ब्याज दर से संबद्ध बुक ट्रेडिंग, ईक्विटिज् इन ट्रेडिंग बुक और फौरेक्स जोखिम (स्वर्ण तथा मूल्यवान धातुसहित) दोनों बैंकिंग बुक और व्यापार, से संबद्ध लिखतों के लिये कैपिटल चार्ज/पूंजी प्रभार के परिकलन विषयक मुद्दों के विषय में होते हैं। ट्रेडिंग बुक में शामिल है:

- हेल्ड फॉर ट्रेडिंग प्रवर्ग के अंतर्गत सम्मिलित प्रतिभूतियां
- बिक्री हेतु पात्र प्रवर्ग के अंतर्गत शामिल प्रतिभूतियां
- ओपन गोल्ड पोज़िशन सीमाएं
- ओपन फॉरेक्स पोज़िशन सीमाएं
- डेरिवेटिव्ज में ट्रेडिंग पोज़िशन, और हेजिंग ट्रेडिंग

बुक एक्सपोज़र के लिये दर्ज किये गये डेरिवेटिव दिशानिर्देशों के

अनुसार, न्यूनतम कैपिटल आवश्यकता दो अलग-अलग परिकलित प्रभारों में बतायी जाती है।

(क) विशिष्ट जोखिम

(ख) सामान्य बाज़ार/मार्केट जोखिम

(क) विशिष्ट जोखिम :

वैयक्तिक जारीकर्ता से संबद्ध घटकों के कारण व्यक्तिगत सुरक्षा के मूल्य पर होनेवाले विपरीत परिणाम के विरुद्ध सुरक्षा हेतु विशिष्ट जोखिमों के लिये कैपिटल चार्ज/पूंजी प्रभार की संरचना की जाती है। यह ऋण जोखिम के समान है। विशिष्ट जोखिम प्रभार विभिन्न प्रवर्गों में विभाजित किये जाते हैं जैसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, बैंकों पर के दावे, बंधक समर्थित प्रतिभूतियां प्रतिभूतिगत कागजात इत्यादि। और प्रत्येक प्रवर्ग के लिये पूंजी प्रभार/कैपिटल चार्ज निर्धारित किया जाता है।

(ख) सामान्य बाज़ार/मार्केट जोखिम :

बाजारी ब्याज दरों में होनेवाले बदलाव के फलस्वरूप होनेवाले नुकसान की जोखिम पर काबू पाने के लिये सामान्य मार्केट जोखिम के लिये कैपिटल चार्ज/पूंजी प्रभार को संरचित किया जाता है। मार्केट जोखिम के लिये कैपिटल चार्ज के परिकलनार्थ बासेल समिति ने दो विस्तृत प्रणालियां सुझायी हैं जैसे मानकीकृत पद्धति और आंतरिक जोखिम प्रबंध मॉडल पद्धति, चूँकि भारतीय बैंक अभी भी आंतरिक जोखिम प्रबंध मॉडल को विकसित करने हेतु बाल्यावस्था में हैं, दिशानिर्देशों में, यह प्रस्तावित है कि आरंभ में, बैंक मानकीकृत पद्धतियों को अपनाये।

अलबत्ता, मानकीकृत पद्धति के अनुसार, मार्केट जोखिम के मापन करने की दो सैद्धांतिक पद्धतियां हैं - परिपक्वता पद्धति और अंतराल (ड्यूरेशन) पद्धति, क्योंकि ड्यूरेशन पद्धति ब्याज दर जोखिम के मापन करने की ज्यादा सटीक पद्धति है, इसलिये **RBI** चाहता है कि प्रत्येक पोजिशन के लिये अलग से मूल्य सूचकांक (संशोधित

ड्यूरेशन) के परिकलनार्थ बैंक अपने सामान्य मार्केट जोखिम का परिकलन करें। इसके लिये विस्तृत प्रणाली, प्रतिफल में कल्पित बदलाव, टाइम बैंड इत्यादि पर RBI के निर्देशानुसार अमल में लाना होगा।

सामान्य मार्केट जोखिम के परिकलन की पद्धतियां :

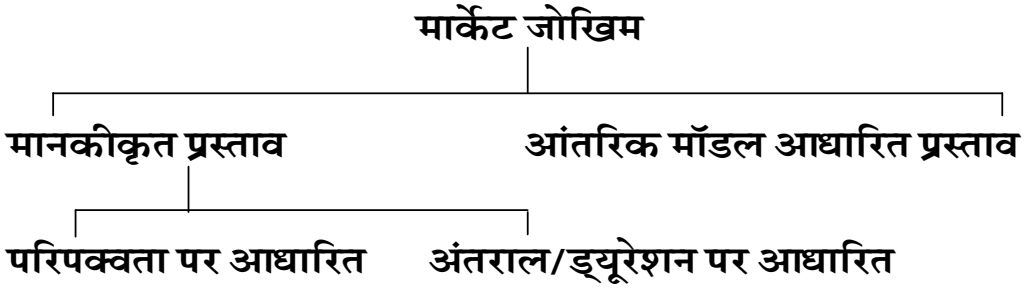

भारतीय वित्तीय प्रणाली के घटक :

भारतीय वित्तीय प्रणाली का एकमात्र घटक हैं, उसकी संरचना की विविधता। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एक ओर सरकारी मालिकाने का प्रभाव है तब दूसरी ओर प्रचुर मात्रा में निजी शेयर होल्डिंग भी है इसका प्रभाव समग्र बैंकिंग प्रणाली पर नज़र आता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टाक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं और उनके P/E अनुपातों पर इनका प्रभाव दिखाई देता है। हमारे पास सहकारी बैंक भी प्रचुर मात्रा में हैं, और विनियामक और पर्यवेक्षण प्राधिकारियों के बाहुल्य से ये भी चुनौती देते हैं, अपने पैतृक वाणिज्यिक बैंक से जुड़े हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं, विदेशी बैंकों की भारत स्थित शाखाएं भी लाभ कमाती है और सामान्यतः इन सभी बैंकों के लिये विनियामक मानक समान है। चूँकि पुराना संस्थागत परिवेश अब बदलता नज़र आ रहा है, तब वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के तरीके में परंपरागत बैंकिंग के स्थान पर विभिन्न वित्तीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध किये जाने का बदलाव शीघ्रता से नज़र आ रहा है।

विवेकपूर्ण मानदंड का दृष्टिकोण :

भारतीय रिज़र्व बैंक का विवेकपूर्ण मानदंड विषयक रवैया अंतर्राष्ट्रीय, मानक, श्रेष्ठ प्रथाएं धीरे-धीरे अपनाने का है, और उसमें देश विशेषानुसार समुचित बदलाव लाना है। देश में एक विशिष्ट परामर्शी प्रणाली के जरिये वैश्विक श्रेष्ठ मानकों तक जान बूझकर चरण बद्ध तरीके से पहुंच पाने का लक्ष्य रखा गया है, नये बासल समझौते तक पहुंचने हेतु यह मार्गदर्शी सिद्धांत है जैसे बासल मानक का न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8% का है लेकिन **RBI** ने न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% निर्धारित तथा प्राप्त किया है। दूसरी ओर भारत स्थित बैंक मार्केट जोखिम के लिये कैपिटल चार्ज/पूंजी भार पर अभी भी अमल करने की तैयारी कर रहे हैं जिसे बासल दस्तावेज में निर्धारित किया गया है, क्योंकि बासल मानदंड केवल ट्रेडिंग पोर्टफोलिओं को मान्यता देते हैं।

2.5 विनियामक पहल :

RBI द्वारा निम्न विनियामक पहलें की गई हैं :

- यह सुनिश्चित करना कि बैंकों की अपनी समुचित जोखिम प्रबंध प्रणाली है जिसमें, कारोबारी आकार, वैविध्य, जोखिम फिलॉसफी (दर्शन) मार्केट का ज्ञान, और पूंजी का अपेक्षित स्तर आदि की आवश्यकताओं का अभिमुखीकरण हों। बैंकों द्वारा अपनाये गये ढांचे में कारोबारी आकार, मार्केट डायनॅमिक्स, बैंकों द्वारा भविष्य में अपनाये जानेवाले नवीन उत्पादों के जरिये बदलाव लाने की गुंजाइश होनी चाहिये।

- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का प्रारंभ (**RBS**)

- बैंकों को उनके पूंजी पर्याप्तता आकलन कार्यक्रमों से अवगत कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि कारोबारी योजना और बजतीय निष्पादन प्रणाली से उसे जोड़ा जा सके। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण से

इसे जोडे जाने पर, बासेल II के अंतर्गत स्तंभ II हेतु इससे सहायता मिलेगी।

- प्रकटीकरण के क्षेत्र को बढ़ावा देना (स्तंभ III) ताकि बैंकों की जोखिम प्रोफाइल और वित्तीय स्थिति में अधिक पारदर्शीकरण प्राप्त किया जा सके।

- बैंकों में कारपोरेट गवरनेंस के स्तर को सुधारना।

- विनियामक की पात्र बैंकों के लिये IRB/ उन्नत मापन प्रस्तावों के लिये पहचानना, और अनुमति देने की क्षमता बढ़ाने के लिये सुनिश्चयन करना।

2.6 बासेल II के लिये जोखिम भार और एन. पी. ए. का प्रावधानीकरण :

निम्नांकित तालिका विद्यमान प्रावधानी करण की आवश्यकताओं, पूंजी पर्याप्तता मानदंडों और बासेल II समझौते के अनुरूप RBI द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रदर्शित करती है :-

विद्यमान स्थिति	मुद्दे	प्रस्तावित उपाय
आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधनीकरण आयआरएसी मानदंड एनपीएस् के निर्धारण के लिये बैंकों को चाहिये कि वे विवेकपूर्ण मानदंडोंपर पूर्णतः अमल करे और तद्नुसार प्रावधान करें। अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ	पूर्ण सीएसी रिजीम के अंतर्गत अत्यधिक इन फ्लो की संभावना से प्रावधानीकरण की आवश्यकताओं को अधिक सख्त करना आवश्यक होगा ताकि बैंकों की धन/शॉक को सहने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और	(क) ऋण के बराबर की रकम के संदर्भ में RBI बैंकों के लिये यह आवश्यक समझता है कि अपनी गैर फंड आधारित एनपीए खातों की देयताओं के लिये वे प्रावधान करें RBI को सुस्पष्ट शर्ते/स्थितियां लगानी चाहिये। जब

पद्धतियों के अनुसरण में ये है। (क) विद्यमान प्रावधानीकरण के मानदंडों के अनुसार NPAs के लिये फंडेड एक्सपोजर हेतु बैंक प्रावधान करें। गैर फंड आधारित ऐसी मदें। जिन के फंड आधारित एक्सपोजर का वर्गीकरण NPAs रूप में किया जाता है। उनके लिये प्रावधानीकरण की जरुरत विद्यमान RBI नियमों के अनुसार आवश्यक नहीं है। AS29 के अनुसार प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों, के बारे में, आकस्तिक देयताओं के लिये हानिकारक परीक्षण करना पड़ेगा और यदि निपटान में नुकसान होनेवाला हो तब प्रावधान करना पड़ेगा। (ख) अभी, खाते का वर्गीकरण स्तर/स्टेटस प्रत्येक बैंक में वसूली के	इससे उनका लचिलापन बढ़ेगा।	आकस्मिक देयताओं के लिये बैंकों को ज्यादा प्रावधान करना पड़ सके। (ख) पूरी बैंकिंग प्रणाली के लिये RBI को चाहिये कि वह एक समान वर्गीकरण की संकल्पना लागू कर दें ताकि अगर एक बैंक में ऋण NPA बन जाता है तब उस उधारकर्ता के सभी बैंकों को ऋणों को NPA में वर्गीकृत किया जाना चाहिये। (ग) RBI को चाहिये कि वह NPAs की प्राधानीकरण की जरुरत की समीक्षा करें और प्रावधानीकरण की आवश्यकताओं को निम्नानुसार सख्त बना दें: प्रतिभूतियुक्त ऋणों के लिये गैर मानक आस्तियों के लिये प्रावधानीकरण 20 प्रतिशत बढ़ा है और गैर प्रतिभूतियुक्त ऋणों के लिये 30 प्रतिशत कर दे। चूक की अवधि

रिकार्ड पर आधारित होता है जिसके परिणामस्वरूप उधारकर्ता को एक विशिष्ट बैंक में अपने ऋण का गैर निष्पादक हिस्सा रखना और दूसरा हिस्सा निष्पादक रखना संभव हो सकता है, यद्यपि पूरी बैंकिंग प्रणाली से ऋण का समग्र स्तर एनपीए बन गया हो। (ग) एनपीए के प्रतिभूतियुक्त हिस्सेपर प्रावधानीकरण की आवश्यकता निम्नानुसार होगी।		की भी समीक्षा की जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि 36 महीनों से ज्यादा चूक के लिये पूर्ण प्रावधान किया जाये। प्रावधानीकरण की प्रस्तावित सूची निम्नानुसार होगी।

प्रवर्ग	**प्रवर्ग**
चूक की अवधि प्रावधानी करण (प्रतिशत) अवमानक 90 दिन से 15 तक के प्रतिभूतियुक्त ऋण, कुल बकाया राशि का 10% गैर प्रतिभूतियुक्त ऋण कुल बकाया राशि का 20% **संदिग्ध :** 15 महीनों से ज्यादा 27 महीनों तक - 20 प्रतिशत **संदिग्ध :** 27 महीनों से ज्यादा 51	चूक की अवधि प्रावधनीकरण (प्रतिशत) प्रतिभूतियुक्त हिस्सा प्रतिभूतिरहित हिस्सा **अवमानक** (क) प्रतिभूतियुक्त ऋण (ख) प्रतिभूतिरहित ऋण 90 दिन से 15 महीने 20 प्रतिशत 30 प्रतिशत

महीनों तक - 30 प्रतिशत **संदिग्ध :** 51 महीनों से ज्यादा 100 प्रतिशत	20 प्रतिशत 30 प्रतिशत **संदिग्ध :** 15 महीनों से अधिक 27 महीनों तक - 20 प्रतिशत 100 प्रतिशत **संदिग्ध :** 27 महीनों से ज्यादा 51 महीनों तक - 30 प्रतिशत ** 100 प्रतिशत **संदिग्ध :** 51 महीनों से अधिक 100 प्रतिशत 100 प्रतिशत ** नोट : एनपीए खातों में कार्यशील पूंजी ऋण के लिये जब चूक 36 महीनों से ज्यादा होगी तब प्रतिभूति युक्त और प्रतिभूति रहित दोनों हिस्सों के लिये 100 प्रतिशत प्रावधान होगा। (घ) ये मानदंड निम्नानुसार क्रियान्वित किये जाने चाहिये : (1) विदेशी बैंक और भारतीय बैंक जिनकी विदेशों में शाखाएं हैं 31.03.2008 से पहले। (2) अन्य सभी बैंक 31.03.2009 के पहले।

पूंजी पर्याप्तता

संप्रति भारत स्थित सभी बैंक बासेल I के अंतर्गत आवश्यक कैपिटल	बैंकों की जोखिम प्रबंध प्रणाली पर CAC के पूरे क्रियान्वयन के कारण	(क) सभी बैंकों के लिये एक समान 9 प्रतिशत का मानदंड पर्याप्त नहीं

पर्याप्तता मानदंडों का अंगीकरण कर रहे हैं। बैंक ऋण जोखिमों तथा मार्केट जोखिम दोनों ऋणों के लिये पूंजी रख रहे हैं। न्यूनतम आवश्यक CRAR भारतीय बैंकों के लिये 9 प्रतिशत है, जबकि बैंकिंग पर्यवेक्षण पर लागू बासेल समिति द्वारा यह 8 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। मार्च 2005 की स्थितिनुसार 86 बैंक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूंजी रखते थे और केवल 2 बैंकों की पूंजी न्यूनतम विनियमित आवश्यकता से कम थी। रिज़र्व बैंक ने सभी भारत स्थित बैंकों को सूचित किया है कि वे संशोधित पूंजी पर्याप्तता मानदंड (जिन्हे बासेल II के नाम से जाना जाता है) 31.03.2007 से क्रियान्वित करें। ऋण तथा मार्केट जोखिमें के अलावा परिचालनगत	बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। न्यूनतम आधार पर बासेल II के अंगीकरण से बैंकों का पूंजी पर्याप्तता ढ़ांचा ज्यादा जोखिम सचेतक बासेल I के मानकों की अपेक्षा होगा। बासेल II के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता ढांचा उसकी आवश्यकताओं से ज्यादा अधिक मज़बूत बनाना होगा। इसे अनपेक्षित हानियों/नुकसानों को सहने हेतु बैंकों की पूंजी बढ़ानी होगी।	होगा। प्रणाली को विभेदक पूंजी प्रणाली की ओर बढ़ाना होगा। 'कॉम्प्लेक्स' बैंकों (रिपोर्ट का पैरा 7.11) को इस प्रणाली की तरफ आगामी 3 वर्षों में बढ़ाना होगा और अन्य सभी बैंकों को आगामी 5 वर्षों में इस प्रणाली में लाना होगा। (ख) पूंजी के आबंटन और पूंजी क्षमता मापन हेतु बैंकों की आर्थिक पूंजी मॉडल की ओर मोड़ना होगा। बासेल IV के अंतर्गत स्तंभ II के तरफ लाना होगा जिससे बैंकों को आंतरिक कैपिटल पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (ICAAP) में लाना आवश्यक होगा। (ग) अधिक कोअर कैपिटल अनुपात को आरंभ से (कुल कैपिटल फंड के 50 प्रतिशत डिफाल्ट के मद्देनज़र) कम से कम 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की

जोखिमों के लिये भी बैंक पूंजी पर्याप्तता का पालन करें। भारतीय बैंकिंग प्रणाली ऋण जोखिम के लिये मानकीकृत दृष्टिकोण, मार्केट जोखिम के लिये मानकीकृत अवधि पद्धति और परिचालगत जोखिमों के लिये मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण अपनाये। सरसरी तौर पर तुरंत किये गये आकलन से यह पता चलता है कि बैंकों के CRAR पर 150 से 200 बेसिक बिंदूओं तक विपरीत प्रभाव बासेल II के क्रियान्वयन से होगा।		आवश्यककता होगी। (घ) संप्रति बैंक सामान्यतः मूल्य आधारित जोखिम का अंगीकरण नहीं कर रहे हैं। इस के अलावा करीब 90 प्रतिशत बैंकों का ऋण संविभाग श्रेणी निर्धारित नहीं है। बासेल II के अंतर्गत जोखिम भारित संरचना उच्च जोखिम वाले उधारकर्ताओं के विकृत प्रोत्साहन के रूप में उन्हें अश्रेणीकृत रखता है। इसको ध्यान में रखते हुए और चूँकि प्रणाली जोखिम को वस्तुनिष्ठ तरीके से क्रमित नहीं कर सकती है, जोखिम भारित प्रणाली को इस तरह परिशोधित करना होगा कि वह बैंकों द्वारा ली गई वास्तविक आर्थिक जोखिम को दिखा पाये।अतः अश्रेणीकृत या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिये 150 प्रतिशत या उससे अधिक जोखिम

		भार लगाया जाये। (च) बासेल II के अनुसार, खुदरा ऋणों के लिये 75 प्रतिशत का जोखिम भार कम है। चूँकि खुदरा ऋणों के अंतर्गत बहुत ज्यादा कमज़ोर क्षेत्र शामिल है, इसलिये खुदरा ऋणों के लिये बैंकों का वास्तविक जोखिम कम नहीं होता है। अतः इस क्षेत्र के लिये जोखिम भार में समुचित वृद्धि करनी होगी। (छ) आस्तियों का सतत वैज्ञानिक मूल्यांकन और कोलॅटरल्स की उपलब्धता हेतु प्रणाली स्थापित होनी चाहिये क्योंकि अधिकांश बैंकों में उनके न होने से ये सुस्पष्ट हो जाती है। (ज) जोडी गई शाखा के प्राधीकार का ढांचा नयी वित्तीय सेवाएं मुहैया करना इत्यादि के लिये आवश्यक पूंजी और पूंजी पर्याप्तता

		सुनिश्चित करनी होगी। (झ) संचित हानियों को अपने खाते में रखने की अनुमति नहीं दी जाये। ऐसी हानियां/नुकसान का समायोजन पूंजीगत निधि के साथ किया जाये, जिसमें कतिपय पूंजीगत लिखत, ईक्विटी शेयर को छोड़कर सतत शामिल किये जाये। RBI को चाहिये कि वह हानियों को पूंजीगत निधियों के साथ समायोजित करने की पद्धति निर्धारित/निश्चित करें। (च) इन मानदंडों को 2009-10 तक परिचालित किया जाना चाहिये।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रमुख शब्द : बासेल

बैंक पर्यवेक्षकों की बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण की प्रथाओं के लिये स्थायी समिति (इसे अब बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति कहा जाता है) इसे बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंटस् के तत्वावधान में 1975 में गठित किया गया था।

बासेल II ढांचे के स्तंभ :

एक दूसरे पर पारस्परिक आधारित स्तंभ, जो बैंकों और पर्यवेक्षकों को बैंको द्वारा उठाये गये विभिन्न जोखिमों के उचित मूल्यांकन की अनुमति देते हैं, और निहित जोखिमों को विनियमित पूंजी के साथ बासेल II के ढांचे के इन तीन स्तंभों के जरिये जोड़ा जाता है।

पूंजी पर्याप्तता :

अनपेक्षित हानियों/नुकसान के विरुद्ध यह कुशन है और इसे जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के साथ बताया जाता है।

ऋण जोखिम :

ऋणों से संबंधित जोखिम

परिचालनगत जोखिम :

अनपेक्षित स्थितियां, आपदाओं से संबंधित जोखिम

मार्केट/बाज़ार जोखिम :

ब्याज और अन्य आमदनियों से संबद्ध जोखिम

टर्मिनल प्रश्न :

1. बासेल II ढांचे के तीन स्तंभ कौन से हैं?
2. पूंजी पर्याप्ता का मापन किस तरह किया जाता है?
3. जोखिमों के प्रकार स्पष्ट करें और उनके मापन की विनिर्धारित पद्धतियों के नाम दें।
4. बासेल II समझौते तहत, NPA के लिये RBI द्वारा प्रस्तावित, प्रावधानीकरण, पूंजी पर्याप्तता और जोखिम भारिता के मानदंडों का संक्षिप्त स्वरूप/स्पष्टीकरण दें।

इकाई 3

3.1 ऋण की परिभाषा और अर्थ :

ऋण का अर्थ है, एक कतिपय रकम जो कतिपय करार के जरिये देय हो जाती है। कम तकनिकी संदर्भ में इसका अर्थ धन/पैसे के लिये दावा होता है। अधिक व्यापक तरीके से इसका अर्थ होता है, यह एक सुयोग्य मांग दर्शाती है जैसे किसी दिवालिया का ऋण हो।

3.2 ऋण के प्रमुख घटक :

ऋण एक निर्णित ऋण के रूप में बनता है या किसी रिकार्ड के जरिये सिद्ध किया जाता है, वह बाँड या विशिष्टियों के रूप में जहां मात्रा निश्चित और विशिष्ट एक सरल संवीदा के जरिये होती है और इसके निपटान हेतु इसे किसी भावी मूल्यांकन पर निर्भर होना नहीं पड़ता।

ऋणों का सक्रिय और निक्रिय रूप में विभाजन होता है, पहले का अर्थ है कि हमें क्या देय है और दूसरे का मतलब है हमें क्या देना है। द्रवशील/ लिक्विड ऋण से हमें मालूम होता है कि जिसका भुगतान तत्काल करना पड़ता है और वह भविष्य में देय नहीं है या किसी शर्त पर देय नहीं है। दृष्टिबंधक ऋण का अर्थ है कि ऐसा ऋण जहां संपत्ति पर ग्रहणाधिकार/लियन हो और संदिग्ध ऋण वह होता है जिसका भुगतान अनिश्चित होता है।

ऋणों का उन्मोचन/डिस्चार्ज विभिन्न तरीकों से होता है लेकिन मूलतः भुगतान के रूप में।

कुछेक ऋणों का भुगतान दूसरों से पहले करना पड़ता है। दिवालियों की संपत्ति के विषय में, प्रथमतः धनको (क्रेडिटर) के प्रकार स्वरूप के परिणामतः जैसे सरकार को देय ऋणों का भुगतान पहले किया जाना चाहिये। दूसरा, ऋण के प्रकारानुसार, जैसे अंत्येष्टि के खर्चे और

सेवकों/नौकरों का वेतन दूसरे ऋणों की तुलना में सामान्यतः पहले किया जाता है।

3.3 ऋण :

बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज ऋणों का प्रसिद्ध तरीका है। बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण रिकार्डों, दस्तावेजों के साक्ष्य और प्रतिभूति के आधार पर दिया जाता है। ऋण की चुकौती की अवधि और तरीका दस्तावेजों में सुस्पष्ट किया जाता है। जब ऋण को उधारकर्ता, ऋण की संविदा में दी गई भुगतान की शर्तों के पालन में चूक करता है, तब चूके हुए भुगतानों के लिये दांडिक ब्याज चक्रवृद्धि रूप से प्रभारित करने का अधिकार ऋणकर्ता को मिलता है। तथा प्रतिभूति को बेचकर ऋण की वसूली करने का अधिकार भी उसे मिलता है। भारत में, ऋण प्रदान करने, चक्रवृद्धि दर से ब्याज और दांडिक ब्याज प्रभारित करने इत्यादि का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के जरिये बैंकों को दिया जाता है।

इकाई 4

4.15 प्रमुख शब्द :

बट्टागत/डिस्काउंटेड कैशफ्लो :
समय मूल्यवान होता है क्योंकि आज प्राप्त हुई नकदी, कुछ समय के बाद प्राप्त हुई नकदी की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होती है, चूँकि आज प्राप्त हुई नकदी उक्त अवधि के दौरान ब्याज कमा सकती है।

वर्तमान मूल्य :
डिस्काऊंटिंग/बट्टे के फैक्टर के जरिये कैश फ्लो का समुचित डिस्काउंटिग किया जाता है जिससे वर्तमान मूल्य का पता किया जा सके।

एनपीवी :
(शुद्ध वर्तमान मूल्य) यह डिस्काउंटेड कैश फ्लो और आउट फ्लो (विसर्ग) के बीच का अंतर होता है।

आयआरआर (इंटर्नल रेट ऑफ रिटर्न) :
आयआरआर यह एनपीवी समीकरण में बट्टागत दर का मूल्य है जो एनपीवी का मूल्य शून्य बना देता है।

पे बैक/चुकौती :
यह वह अवधि है जिसमें निवल कैश इन्फ्लो. आरंभिक कैश आउटफ्लो या निवेश के बराबर होता है।

इकाई 6

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 विदेशी मुद्रा विनियम के मूलभूत सिद्धांत

6.3 भारतीय फॉरेक्स बाज़ार

6.4 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कोट/बोली

6.5 कुछेक मूलभूत विनिमय दर अंकगणित

- क्रास दर
- चेन दर
- मूल्य दर

6.6 वायदा विनिमय दरें

- वायदा बिंदू
- आर्बिट्राज
- वायदा बिंदुओं का परिकलन
- प्रिमियम और बट्टा (डिस्काऊंट)

6.0 उद्देश्य :

इस इकाई का उद्देश्य है ये समझना :

- विदेशी मुद्रा विनिमय की संकल्पना
- विदेशी मुद्रा विनिमय के मूलभूत सिद्धांत
- विदेशी मुद्रा विनिमय दरों की मूलभूत अंकगणितीय संकल्पनाएं
- वायदा विनिमय दरों की संकल्पना

6.1 प्रस्तावना :

बैंकों में जब हम विदेशी मुद्रा विनिमय की चर्चा करते हैं, तब हम उस सामान्य व्यवहार की बात करते हैं जिसमें बैंक एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करते हैं। विदेशी मुद्रा को विदेशी व्यापार से बढ़ावा मिलता है। विदेशी मुद्रा का संव्यवहार (बताकर भुगतान किया जाना) या तो निर्यातक के देश की मुद्रा या आयातक के देश की मुद्रा अथवा तीसरे देश की मुद्रा (जैसे स्टर्लिंग पौंड, यू एस डॉलर, इत्यादि) जो दोनों, निर्यातक और आयातक को मान्य हों, विदेशी व्यापार में निर्यातक माल की आपूर्ति करता है, और आयतक माल के मूल्य का भुगतान करता है। तथापि, आयातक अपने देश की मुद्रा में भुगतान करेगा और निर्यातक को उसके देश की मुद्रा में भुगतान की आवश्यकता होगी। अतः इस में मुद्राओं का परिवर्तन तथा निधि का एक देश से दूसरे देश में अंतरण होता है।

6.2 विदेशी मुद्रा विनिमय के मूलभूत सिद्धांत :

विदेशी मुद्रा विनियम के इस सामान्य संव्यवहार में तीन मूलभूत तत्व आते हैं :

(क) संभवतः प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा (खाते के पृथक यूनिटों का लीगल

टेंडर) रहती है और इस मुद्रा की उपयोगार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, उसी देश में होती है।

(ख) एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा में परिवर्तन आम तौर पर बैंकों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें संबद्ध दोनों केंद्रो में बुक किपिंग प्रविष्टियों के जरिये होता है।

(ग) ऋण लिखतों के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में वनिमयन/परिवर्तन होता है।

6.3 भारतीय फॉरेक्स बाज़ार :

भारतीय फॉरेक्स बाज़ार में अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति/ट्रेंड का विनिमय दर बदलावों/चलनों में, अनुसरण किया जाना कम अवधि के लिये आवश्यक नहीं है। इसके लिये प्रमुख कारण पूंजी के देश के अंदर और बाहर मुक्त प्रवाह के लिये प्रतिबंध है। संशोधित मुक्त विनिमय दर प्रबंध प्रणाली के संशोधित स्वरूप (LERMS) से पहले, रिज़र्व बैंक क्रय और विक्रय दर निर्धारित करता था, और इसी सीमाओं के भीतर बाज़ार रहता था। तथापि, संप्रति, स्थानीय अंतर बैंक बाज़ार में, मांग और आपूर्ति के बल पर विनिमय दर निर्धारित होते हैं।

6.4 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कोट (बोली) :

जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, मुद्रा दर पत्र/कोटेशन का अर्थ है, एक मुद्रा के मूल्य को दूसरे मुद्रा के मूल्य के साथ जोड़ना उदाहरणार्थ : $ = रु.44.00 इसका अर्थ एक डॉलर को रु. 44 के ऐवज में बदला/विनिमित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, एक डॉलर खरीदने के लिये हमें 44 रुपये अदा करने होंगे। विदेशी मुद्रा दर पत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोटेशन के जरिये, संबद्ध व्यक्ति की स्वदेशी मुद्रा के आधार पर दिया जा सकता है।

प्रत्यक्ष कोट वह है जिसमें विदेशी मुद्रा के प्रत्येक यूनिट के लिये स्वदेशी मुद्रा का मूल्य दिया जाता है। इस लिये उपरोक्त उदाहरण के लिये : भारतीय व्यक्ति के लिये प्रत्यक्ष दर होगी $ 1 = रु. 44.

अप्रत्यक्ष कोट वह है जिसमें विदेशी मुद्रा का मूल्य स्वदेशी एक यूनिट के लिये दिया जाता है। अतः भारतीय व्यक्ति के लिये अप्रत्यक्ष दर होगी रु. 1 = करीब $ 0.227.

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दर पत्र एक दूसरे के पारस्परिक होते हैं। जिसे गणीतीय रूप में निम्नानुसार दर्शाया जाता है :

प्रत्यक्ष कोट = 1/अप्रत्यक्ष कोट और इस के विरुद्ध
1.8.1993 तक भारत स्थित बैंक अप्रत्यक्ष आधार पर सभी दरें कोट करते थे तथापि, 2.8.1993 से, बैंक केवल प्रत्यक्ष आधार पर दर पत्र कोट कर रहे हैं।

6.5 कुछ मूलभूत विनिमय दर अंकगणित :

(क) क्रास दर :

यदि किसी व्यक्ति को, भारत से यूरो में धनप्रेषण करना है और बतौर बैंकर, वादविवाद के लिये, रुपया/यूरो कोट सामान्यतः नहीं दिया जाता है, इसलिये, पहले रुपये के ऐवज में डॉलर खरीदने होंगे और वहीं डॉलर विदेश में यूरो खरीदने के लिये बेचने होंगे।

यदि मुंबई बाज़ार में दर है US$ 1 = रु. 42.8450/545 और लंदन मार्केट में दरें हैं US$ 1 = Euro 0.7585। हमें US$ 1 रु. 42.8545 में मिलेगा और 1 US$ से 0.7587 यूरो मिलेंगे। अतः हम एक शृंखला/चेन दर निम्नानुसार बना सकते हैं।

कितने रुपये ----- = 1 यूरो

यदि यूरो 0.7587 = US$ 1

∴ 1 यूरो = रु. $\frac{42.8545}{0.7587}$ या 1 यूरो = रु.56.48

यदि किसी निर्यातक ग्राहक के पास £ 1,00,000 का बिल है और उससे बैंक को £ खरीदकर ग्राहक को रुपये देने है। तब, यह मानते हुए कि स्पॉट सुपुर्दगी के लिये अंतर बैंक मार्केट कोटेशन इस प्रकार है।

US$ = रु. 42.8450/545
और लंदन मार्केट का केबल कोट (STG/DLR) होगा।

£ 1 = US$ 1.9720/40.

तब बैंक को लंदन बाज़ार में US$ 1.9720 की दर पर £ बेचने होंगे जोकि मार्केट की खरीद दर होगी। इस प्रकार प्राप्त किये गये US$ स्थानीय अंतर बैंक मार्केट में US$ 1= रु. 42.8450 (मार्केट खरीद दर डॉलर के लिये) बेचने होंगे।

शृंखला नियम से हमें
£ 1 = 1.9720 X 42.8450
= रु. 84.4903 दर मिलेगी।

इसके लिये सावधानी बरतनी होगी कि कौन कोट दे रहा है और कौन कोट प्राप्त करेगा। बाज़ार का सूत्र यह है कि यदि आप मांगते/पूछते हैं, तब कोट देनेवाली पार्टी आपको कोट देंगी और दिये गये मूल्य पर व्यवहार करना या न करना आपका निर्णय होगा। आप मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। तथापि आप नया कोट मांग सकते हैं।

(ख) शृंखला/चेन नियम :

सामान्य ज्ञान की संकल्पना पर क्रॉस दर आधारित होती है लेकिन इसी प्रकार के चरणों/स्टेप्स से इसे शृंखला/चेन नियम में तबदील किया जा सकता है।

(ग) मूल्य दिनांक/वैल्यू डेट :

मूल्य दिनांक वह तारीख है जब मुद्राओं का वास्तविक विनिमय हो जाता है। इस संकल्पना पर आधारित निम्न प्रकार की विनिमय दरें बनती हैं :

(1) कैश/रेडी :

संव्यवहार के दिन ही इस दर पर मुद्राओं का विनिमय हो जाता है।

(2) टॉम :

जब मुद्राओं का विनिमय दूसरे कार्य दिवस पर हो, यानी कल, तब उसे टॉम दर कहा जाता है।

(3) स्पॉट :

संव्यवहार के दिन के बाद मुद्राओं का विनिमय जब दूसरे कार्य दिवस पर होता है तब उसे स्पॉट दर कहा जाता है।

(4) वायदा दर :

स्पॉट दिन/अवधि के बाद यदि मुद्राओं का विनिमय होता है, तब उसे वायदा दर कहा जाता है। वायदे की अवधि के लिये प्रिमियम/बट्टा (डिस्काउंट) के संकेत के जरिये सामान्यतः वायदा दर कोट की जाती है।

(5) प्रिमियम :

भावी मूल्य दिनांक के लिये जब वायदा में मुद्रा महंगी हो जाती है तब उसे प्रिमियम, पर कहा जाता है।

प्रत्यक्ष कोट की पद्धति में, खरीद तथा बिक्री की दर में प्रिमियम जोड़ा जाता है।

(6) बट्टा (डिस्काउंट) :

भावी मूल्य दिनांक के लिये जब वायदा में मुद्रा सस्ती हो जाती है तब उसे डिस्काउंट में कहा जाता है। प्रत्यक्ष कोट की पद्धति में, डिस्काऊंट खरीद तथा बिक्री की दर से घटायी जाती है।

वायदा दरें, वायदा मार्जिन या विभेदक/डिफरेंशियल के तौर पर कोट किये जाती है। उदाहरणार्थ :

स्पॉट : यूरो 1 = US$ 1.3180/90
1 माह वायदा 35-32
2 माह वायदा 72-70
3 माह वायदा 110-107

यह सर्व ज्ञात है, कि अगर मुद्रा प्रिमियम पर अन्य मुद्रा की तुलना में हो, तब सामान्य परिणाम यह होता है कि बाद वाली मुद्रा, पूर्ववर्ती मुद्रा की तुलना में डिस्काउंट पर होगी।

उपर्युक्त विनिमय दर कोटेशन में, यूरो डिस्काउंट में होगी इसलिये US$ प्रिमियम पर होगी। आप यूरो एक माह वायदे पर नीचे दिये दर पर खरीद सकते हैं।

यूरो 1 = US$ 1.3190
(-) 0.0032
1.3158

इसी तरह हम यूरो बेच सकते हैं

यूरो 1 = US$ 1.3180

(-) 0.0035

1.3145

6.6 वायदा विनिमय दरें :

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, विनिमय दर वह मूल्य है जिस पर मुद्रा खरीदी जा सकती है या दूसरी मुद्रा के ऐवज/बदले में बेची जा सकती है। जिस दिन पर मूल्यों का विनिमय होता है वह दिन संव्यवहार की तारीख के बाद का कोई भी दिन हो सकता है। सामान्यतः विनिमय दरें स्पॉट आधार पर कोट की जाती हैं यानी संव्यवहार की तारीख के बाद दूसरे कार्य दिवस पर निपटान हो जाता है। स्पॉट की तारीख के बाद के निपटान के लिये स्वाभाविक रूप से अलग विनिमय दर होगी और उसे वायदा दर कहा जाता है।

वायदा दर के दो घटक होते हैं :

(क) स्पॉट दर

(ख) अलग-अलग निपटान तारीखों के लिये, ब्याज दर विभेदक समायोजन/एडजेस्टमेंट दर्शानेवाले, वायदा बिंदू होंगे।

(क) वायदा बिंदू :

यह मानकर चलिये कि यूएस$/यूरो स्पॉट दर इस प्रकार है :

स्पॉट यूरो 1 = US$ 1.3180

और तीन माह वायदा दर होंगी

3 माह यूरो 1 = US$ 1.3330

150 बिंदूओं के अंतर को वायदा बिंदू कहा जाता हैं।

निम्नांकित घटक वायदा बिंदू/पॉईंट निर्धारित करते हैं :

(1) निपटान की तारीख के लिये मुद्रा के लिये मांग और आपूर्ति किसी विशिष्ट तारीख के लिये यदि विक्रेताओं की अपेक्षा ज्यादा खरीदार हैं, तब ऐसी स्थिति से जहां विशिष्ट निपटान तारीख के लिये खरीदार की अपेक्षा विक्रेता ज्यादा होंगे, वायदा बिंदू/पॉइंट भिन्न होंगे।

(2) मार्केट दृश्य यानी भावी अपेक्षाएं और ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय में अपेक्षित घटनाएं

(3) देशों के बीच के ब्याज दर विभेदक/डिफरेंशियल

प्रश्न अवधि के लिये किस की मुद्राएं विनिमित की जा रही हैं। लेकिन, पूंजी प्रवाह/कैपिटल फ्लो पर यदि कोई नियंत्रण नहीं है तब वायदा बिंदूओं/पॉइंट के निर्धारण में, दोनों मुद्राओं के बीच का ब्याजदर विभेदक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। एक मुद्रा पर अर्जित ब्याज, और दूसरी मुद्रा के लिये ब्याज अर्जन में खोये गये अवसर के बीच के ट्रेड ऑफ के तर्क पर आधारित होता है।

वायदा विभेदक पॉइंट कैसे निकलते हैं इसे दर्शाने के लिये आइये एक उदाहरण देखें :

स्पॉट यूरो 1 = US$ 1.50000

ब्याज : यूरो @ 3% प्रतिवर्ष। US$@6% प्रतिवर्ष।

मानिये कि कोई यूरो 100 एक साल के लिये @3% प्रतिवर्ष की दर पर उधार लेता है और US में परिवर्तित करता है और 1 साल के लिये जमा राशि के रूप में @ 6% दर पर रखता है उसका कैश फ्लो इस प्रकार होगा :

	यूरो		**US$**	
	इन फ्लो	आउट फ्लो	इन फ्लो	आउट फ्लो
स्पॉट उधार	+ 100			
बिक्री यूरो		- 100	+ 150	
एक साल का ब्याज		- 3	+ 9	
कुल		- 103	+ 159	
बिक्री US$ एक साल @1.50	+ 106			- 159
शुद्ध प्राप्ति/लाभ	यूरो 3			

इस तरह यूरो उधार लेकर उसे US$ में परिवर्तित/विनिमित कर और एक साल के बाद US$ फिर से यूरो में परिवर्तित कर, एक व्यक्ति 3 यूरो का फायदा ले सकता है। लेकिन यहां, यह माना गया है कि US$/यूरो दर स्पॉट और एक साल वायदा के लिये एक समान हो।

जिसके पास यूएस डॉलर हो, वह इस अवसर को नहीं खोना चाहेगा। सिद्धांतिक दृष्टिकोण से, दोनों मुद्राओं से प्राप्तियां एक समान होगी और US$/ यूरो की वायदा विनिमय दर, आर्बिट्राज के अवसर को मिटाने के उद्देश्य से, बाज़ारी शक्तियों द्वारा समायोजित की जाएगी। US$/यूरो दर इस प्रकार होगी :

$$\text{Euro } 103 = \text{US\$ } 159$$

$$\therefore \quad \text{Euro } 1 \quad = \frac{159}{103} = \text{US\$ } 1.5436$$

अतः 0.0436 वायदा विभेदक स्पॉट और एक साल वायदा के बीच का अंतर है।

(ख) आर्बिट्राज :

आर्बिट्राज एक ऐसा संव्यवहार है, जिसके जरिये संव्यवहारों को ऑफसेट कर जोखिम से मुक्त लाभार्जन कर सकते है। आर्बिट्राज ब्याज दरों में, अर्थात एक केंद्र से उधार लेकर दूसरे केंद्र पर उच्च/ज्यादा दर पर उधार देना होता है। विनिमय दरों में भी आर्बिट्राज हो सकता है। लेकिन, विद्यमान प्रभावी संप्रेषण प्रणाली में, आर्बिट्राज के अवसर एकदम कम हो गये हैं।

उपरोक्त उदाहरण में, वायदा दर अर्थात यूरो 1 = US$ 1.5436 ब्याज दर विभेदक को पूर्णतः ऑफसेट कर देगा जिसका परिकलन निम्नानुसार है :

मूल रकम + US$ निवेश का ब्याज = US$ 159

मूल रकम + यूरो ऋण का ब्याज = Euro 103

अतः यूरो 103 = US$ 159

अथवा यूरो 1 = US$ $\frac{159}{103}$ = US$ 1.5436

(ग) वायदा बिंदूओं/पॉइंट का परिकलन :

हम निम्नांकित जानकारी के साथ दिये गये वायदा अवधि के लिये वायदा बिंदूओं का परिकलन सरसरी तौर पर कर सकते हैं।

स्पॉट विनिमय दर = 1500

ब्याज दर विभेदक = 3% प्रतिवर्ष

वायदा अवधि = 90 दिन

वर्ष के कुल दिन (360 या 365) = 360 दिन

सूत्र/फार्म्यूला निम्नानुसार है :

$$\frac{\text{स्पॉट दर X ब्याज दर विभेदक X वायदा अवधि}}{\text{100 X वर्ष के कुल दिन}}$$

$$= \frac{1.500 \text{ X } 3 \text{ X } 90}{100 \text{ X } 360} = 0.01125$$

वायदा विभेदक को 'स्वाप दर' भी कहा जाता है, तीन माह की, US$/Euro के लिये स्पॉट दर का वायदा विभेदक के साथ समायोजन कर, वायदा दर परिकलित की जा सकती है।

वायदा बिंदूओं/पॉइंट से ब्याज विभेदक
वायदा बिंदूओं से ब्याज दर विभेदक के परिकलन के लिये फार्म्यूला है :

$$\text{विभेदक ब्याज दर} = \frac{\text{वायदा बिंदू X वर्ष के कुल दिन X 100}}{\text{स्पॉट दर X वायदा अवधि}}$$

उपर्युक्त उदाहरण के लिये

$$= \frac{0.01125 \text{ X } 360 \text{ X } 100}{1.50 \text{ X } 90} = 3\% \text{ प्रति वर्ष}$$

हमें यह भी मालूम है कि वायदा विभेदक निम्नांकित फार्म्यूले के जरिये परिकलित किया जा सकता है :
वायदा फार्म्यूला अर्थात् वायदा विभेदक = स्पॉट दर - वायदा दर

(घ) प्रिमियम और डिस्काऊंट :

जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि वायदा दरें तब कोट की जाती हैं जब विदेशी मुद्रा विनिमय में मूल्य दिनांक स्पॉट तारीख के बाद की होती है। स्पॉट विनिमय दर और वायदा दरें भिन्न होती हैं। स्पॉट दर और वायदा दर के बीच के अंतर को वायदा विभेदक के रूप में जाना जाता है और वह प्रिमियम या डिस्काउंट पर हो सकता है।

इसे स्पॉट और वायदा विनिमय दरों की सहायता से उदाहरण स्वरूप पेश किया जा सकता है।

स्पॉट अंतर बैंक दर US$ 1 = रु. 42.8450
3 माह वायदा US$ 1= रु. 42.8725

अतः अगर किसी को US$ 3 माह वायदे पर रुपये के ऐवज/बदले में खरीदना है तब उसे उसके लिये रु. 0.0275 ज्यादा अदा करना होगा, इसे समझने के लिये, यह कहा जा सकता है कि स्पॉट दर की अपेक्षा तीन माह के लिये US$ वायदा दर रु. 0.0275 से महंगी होगी। इसलिये, वायदे के लिये रुपये की तुलना में US$ प्रिमियम पर है।

प्रत्यक्ष कोटेशन में, प्रिमियम हमेशा जोड़ा जाता है अर्थात खरीद और बिक्री दोनों के लिये।

दूसरा उदाहरण लीजिये, जहां अंतर बैंक कोटेशन निम्नानुसार है :

स्पॉट US$ 1 = रु. 42.8450
3 माह वायदा US$ 1 = रु. 42.7950

उपर्युक्त कोटेशन से यह स्पष्ट है कि US$ स्पॉट की अपेक्षा कम रुपयों में उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वायदे में US$ स्पॉट की तुलना में सस्ता है यानी US$ रुपये की तुलना में डिस्काऊंट में है। यदि कोई US$ 1, 3 माह वायदे में खरीदता है उसे 0.0500 रुपये कम देने होंगे।

प्रत्यक्ष कोटेशनों में, डिस्काऊंट हमेशा घटाया जाता है अर्थात् दोनों खरीद और बिक्री के लिये।

वायदा दरें कोट करने की पद्धति :

विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ार के रिवाज़ के मुताबिक, वायदा दरें एक माह, दो माह, तीन माह इत्यादि के लिये नहीं कोट की जाती है लेकिन इस हेतु स्पॉट दरें और वायदा विभेदक अलग-अलग कोट किये जाते हैं। 3 माह के लिये वायदा दर निश्चित करने हेतु, स्पॉट दर 3 माह के वायदा बिंदूओं/पॉइंटों के लिये समायोजित की जाती है।

मान लीजिये US$/ यूरो दर
स्पॉट यूरो 1 = US$ 1.3180/90.

US$ ऐवज/बदले में खरीदी और बेची जानेवाली मुद्रा यूरो होगी।

यूरो के लिये बोली (बिड) दर होगी US$ 1.3180। जबकि ऑफर दर होगी 1.3190। वायदा कोटेशन निम्न प्रकार दी जायेगी।

स्पॉट यूरो 1 = US$ 1.3180/90।

वायदा विभेदक :
1 माह = 15-18
2 माह = 30-37
3 माह = 41-49

दो माह के लिये बोली दर होगी यूरो 1 = US$ 1.3210 और ऑफर दर होगी यूरो 1 = US$ 1.3227।

दूसरे शब्दों में, वायदे में US$ के ऐवज में यूरो का मूल्य ज्यादा है। अतः US$ प्रिमियम पर है। यही तर्क संगत है कि बाज़ार दो प्रिमियम बिंदूओं/पॉइंट अर्थात् 30-37 में से कमवाला दो माह वायदे के लिये जोड़ा जायेगा और चूँकि, प्रिमियम हमेशा जोड़ा जाता है, ऑफर दर में उच्च प्रिमियम जोड़ा जायेगा अर्थात 2 माह के लिये वायदा ऑफर दर होगी यूरो 1 = US$ 1.3227।

हम यह कह सकते हैं कि यदि वायदा बिंदूओं/पॉइंटों में पहला आंकड़ा दूसरे आंकड़े की तुलना में कम होगा, तब वायदे में आधार (बेस) मुद्रा प्रिमियम पर होगी।

विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ार की दूसरी तस्वीर/स्थिति

हम देखेंगे जहां कोटेशन निम्नानुसार है :
स्पॉट दर यूरो 1 = US$ 1.3180-90
1 माह वायदा 24-19
2 माह वायदा 26-20
3 माह वायदा 33-25

इन विनिमय दरों में, वायदा विभेदकों में दूसरे आंकड़े की तुलना में पहला आंकड़ा ज्यादा/उच्च है, अतः US$ के एवज में आधार (बेस) मुद्रा युरो डिस्काउंट में है। हमें मालूम है कि डिस्काऊंट हमेशा खरीद और बेचान के दर से घटाया जाता है। इसलिये बोली दर से उच्च वायदा बिंदू/पॉइंट घटाये जायेंगे जबकि कम वायदा बिंदू/पॉइंट ऑफर दर से घटाये जायेंगे।

2 माह के लिये सीधी बोली (खरीद) दर
स्पॉट यूरो 1 = US$ 1.3180
2 माह वायदा बिंदू/पॉइंट (-) 0.0026
(डिस्काऊंट) 1.3154

2 माह के लिये सीधी ऑफर (बेचान) दर
स्पॉट यूरो 1 = US$ 1.3190
2 माह वायदा बिंदू/पॉइंट (-) 0.0020
(डिस्काऊंट) 1.3170

अतः 2 माह के लिये बोली और ऑफर दरें होंगी
यूरो 1 = US$ 1.3154 - 1.3170

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि यदि स्पॉट और वायदा दरों में जब तुलना की जाये, तीन संभावनाएं उभरती हैं :

(1) **सममूल्य पर देय :** यदि स्पॉट दर और वायदा दर समान है, तब उन्हें

सममूल्य पर कहा जाता है।

(2) प्रत्यक्ष दरों के विषय में, यदि वायदा दर स्पॉट दर की तुलना में ज्यादा है तब आधार मुद्रा **प्रिमियम** पर कही जाती है।

(3) प्रत्यक्ष दरों के संबंध में, यदि वायदा दर स्पॉट दर की तुलना में कम है, तब आधार मुद्रा **डिस्काऊंट** में कही जाती हैं।

टर्मिनल प्रश्न :

1. प्रत्यक्ष कोट और अप्रत्यक्ष कोट की चर्चा/वर्णन कीजिये।
2. क्रास दर क्या है?
3. विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तन/कन्वरजन के चेन नियम का स्पष्टीकरण दीजिये।
4. मूल्य दिनांक का क्या मतलब है?
5. निम्नांकित शब्दों का स्पष्टीकरण दीजिये।

(क) वायदा बिंदू/पॉइंट
(ख) आर्बिट्राज
(ग) प्रिमियम और डिस्काऊंट

वायदा बिंदूओं/पॉइंट के परिकलन की पद्धति का वर्णन कीजिये।

इकाई 7

29. लेखांकन मानक :

01.04.2004 को या उसके बाद में आरंभ होनेवाले लेखांकन अवधि के लिये यह प्रभावी होगा। यह मानक पूरी तरह से ऐसी संस्थाओं/उद्यमों के लिये जिनकी ईक्विटी या ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हों, या सूचीबद्ध होनेवाली हो, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों सभी संस्थानों, जिनका पिछले लेखांकन अवधि के लिये रु. 50 करोड़ से ज्यादा हो, सभी उद्यमों जिनका ऋण रु. 10 करोड़ से अधिक हो, तथा उपयुक्त सभी के किसी एक होल्डिंग और सहयोगी उद्यमों पर अनिवार्य होगा।

ऐसे उद्यमों, जिनकी टर्नओवर पिछले लेखांकन वर्ष के लिये रु.40 लाख से ज्यादा लेकिन रु.50 करोड़ से कम हो, तथा सभी उद्यमों जिनका ऋण रु.1 करोड़ से अधिक हो लेकिन रु.10 करोड़ से कम हो तथा उपर्युक्त सभी के किसी एक होल्डिंग या सहयोगी कंपनी पर पैरा 67 को छोड़कर मानक लागू होगा।

यह पैरा 66, और 67 को छोड़कर पूरी तरह से ऐसे उद्यमों/संस्थानों के लिये लागू होगा जो उपरोक्त बनाये गये किसी प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हों।

उद्देश्य :

इस कथन का उद्देश्य यह है कि समुचित पहचान/निर्धारण का तत्व और मापन आधार आकस्मिक देयताओं और प्रावधानों पर लागू हो जाये, इसका सुनिश्चियन हो और वित्तीय विवरणों के नोटों में पर्याप्त जानकारी का प्रकटीकरण किया जाये, जिससे, उपयोगकर्ता उनकी रकम, प्रकार और समय आदि को समझ सकें। इस कथन का उद्देश्य यह भी है कि आकस्मिक आस्तियों के लिये भी समुचित लेखांकन मानक बनाये जाये।

प्रावधान का निर्धारण तब हो जाना चाहिये जब :

- पूर्ववर्ती घटना के परिणाम स्वरूप संस्था/उद्यम की वर्तमान देयता/दायित्व हो जाये।

- यह संभव हो कि आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के विसर्ग/आउट फ्लो से किसी दायित्व को निपटाने की आवश्यकता हो, और

- देयता की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। यदि इन शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता तब कोई भी प्रावधान निर्धारित नहीं किया जाना चाहिये।

दायित्व/देयता का विश्वसनीय अनुमान :

अतिदुर्लभ मामलों को छोड़कर, एक उद्यम संभाव्य परिणामों की श्रेणी को निर्धारित कर सकता है और इसलिये दायित्व का अनुमान लगा सकता है जो प्रावधान के निर्धारण में विश्वसनियता से उपयोग लाया जा सके।

- किसी आकस्मिक देयता का निर्धारण उद्यम/संस्था को नहीं करना चाहिये।

- किसी आकस्मिक आस्ति का निर्धारण उद्यम/संस्था को नहीं करना चाहिये।

- प्रावधान के रूप में निर्धारित रकम, खर्चे का सर्वोत्तम अनुमान होना चाहिये, जिसे तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व के रूप में निपटाया जा सके। प्रावधानित रकम को उसके वर्तमान मूल्य के साथ डिस्काऊंट नहीं किया जाना चाहिये।

- प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को प्रावधानों की समीक्षा की जानी चाहिये और वर्तमान सही अनुमान हेतु इसे समायोजित किया जाये। यदि आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के विसर्ग/आउट फ्लो की दायित्व के निपटान के आवश्यकता की संभावना नहीं हो, तब प्रावधान को पलटाया/रिवर्स किया जाना चाहिये।

- जिन प्रावधानों के लिये मूलतः रकम निर्धारित की गई थी ऐसे ही खर्चे के लिये प्रावधान का उपयोग किया जाना चाहिये।

प्रकटीकरण :

(1) प्रतिपूर्ति के लिये निर्धारित रकम के निवल/नेट स्वरूप, प्रावधान से संबद्ध खर्चे, लाभ हानि खाता विवरण में दर्शाये जाने चाहिये।

(2) प्रावधान के प्रत्येक वर्ग के लिये, उद्यम को प्रकटीकरण करना चाहिये।

(क) अवधि के आरंभ और अंत की रकम

(ख) वर्तमान प्रावधान में की गई वृद्धि सहित अवधि के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान

(ग) उपयोग में लायी गई रकम (प्रावधनों के विरुद्ध प्रभारित और खर्च की गई)

(घ) अनुपयोगित रकम। जिसे अवधि के दौरान पलटाया/रिवर्स किया गया।

(च) दायित्व के प्रकार का संक्षिप्त विवरण और आर्थिक लाभों के परिणामी विसर्ग/आउट फ्लो का अनुमानित समय।

(छ) उन विसर्गो/आउट फ्लो विषयक अनिश्चितता का संकेत। जहां आवश्यक हो, समुचित जानकारी दी जाये।

एक उद्यम/संस्था को भावी घटनाओं के विषय में किये गये पूर्वानुमानों के बारे में प्रकटीकरण करना चाहिये। और

(ज) अपेक्षित प्रतिपूर्ति की रकम, यह बताते हुए कि उस अपेक्षित प्रतिपूर्ति के लिये किसी आस्ति की रकम जिसे निर्धारित किया गया हो।

(3) निपटान में किसी विसर्ग/आउट फ्लो की संभावना यदि अत्यल्प हो, तब उद्यम/संस्था प्रत्येक वर्ग की आकस्मिक देयता, जो तुलनपत्र की तारीख को हो, और उस आकस्मिक देयता का प्रकार और जहां संभव हो

(क) उसके वित्तीय परिणामों का अनुमान

(ख) किसी विसर्ग/आउट फ्लो से संबंधित अनिश्चितता का संकेत और

(ग) किसी प्रतिपूर्ति की संभावना को प्रकट कर दें।

जहां इस जानकारी को प्रकट करना किसी कारणवश व्यवहार्य न हो, तब इस तथ्य को बताना होगा।

(4) अतिदुर्लभ मामलों में उपरोक्त पैरा (2) और (3) के अनुसार कुछेक या सभी आवश्यक जानकारी, जो उद्यम की स्थिति के लिये बहुतही प्रतिकूल साबित होने की अपेक्षा हो, जैसे आकस्मिक देयता या प्रावधान के विषय में अन्य पार्टियों के साथ विवादित हो, ऐसे मामलों में, उद्यम को जानकारी प्रकट करना आवश्यक नहीं हैं, लेकिन जानकारी क्यों प्रकट नहीं की जा सकती इसके तथ्य, कारणों सहित विवाद का सामान्य स्वरूप प्रकट कर देना चाहिये।

7.6 यू एस ए के सामान्यत : स्वीकार किये गये सिद्धान्त :

(US-GAAP) यूएसए के सामान्यतः स्वीकारे गये सिद्धांत, या USGAAP, सार्वजनिक रूप से व्यापार करनेवाली कंपनियों के लिये

और यूनायटेड राज्यों में स्थित अधिकांश कंपनियों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु उपयोग में लाये जानेवाले लेखांकन नियम हैं। स्थानीय तथा राज्य सरकारों के लिये, सामान्यतः अपनाये गये सिद्धांत अलग पूर्वानुमानों, सिद्धांतों, बाध्यताओं के अधीन लागू होते हैं जिनका निर्धारण सरकारी लेखांकन मानक बोर्ड (GASB) द्वारा किया जाता है।

यूनायटेड स्टेस्टस् तथा अन्य देशों, जो इंग्लिश कॉमन लॉ प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत हैं, सरकार कोई लेखांकन मानक निर्धारित नहीं करती, इस विश्वास पर, कि निजी क्षेत्र का अच्छा ज्ञान और संसाधन रहते हैं GAAP कानून में नहीं लिखा गया है, यद्यपि, यूएस सिक्यूरटीज और विनिमय कमिशन (SEC) ने इसे सार्वजनिक व्यापारी प्रतिष्ठानों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग आवश्यक बनाया है। संप्रति, फाइनांशियल अकाउंटिंग मानक बोर्ड (FASB) व्यवसाय के लिये लेखांकन सिद्धांत बनाते हैं। यूएस (GAAP) प्रावधान कुछ सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय फाइनांशियल, रिर्पोटिंग मानकों से भिन्न होते हैं यद्यपि भिन्नताओं के समाधान हेतु प्रयास जारी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत सृजित प्रयास SEC को US बाज़ारों में सूचीबद्ध कंपनियों के लिये स्वीकार्य होंगे।

मूलभूत उद्देश्य :

वित्तीय रिपोर्टिंग के जरिये जानकारी इस प्रकार प्राप्त होगी :

- संभाव्य निवेशकों के लिये और धनको/लेनदार तथा रैशनल निवेश, ऋण के उपयोगकर्ता, और अन्य वित्तीय निर्णयों के लिये प्रस्तुतीकरण हेतु उपयोगी।

- संभाव्य निवेशकों, धनको/लेनदार, और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिये रकम, समय के आकलन हेतु सहायक और संभाव्य कैश प्राप्तियों के अनिश्चित।

- आर्थिक संसाधन, उन संसाधनों के दावे, और उनके बदलाव हेतु।

मूलभूत गुण :

उपयोग कर्ताओं के लिये सहायक और उपयोगिता हेतु, वित्तीय विवरणों के लिये यह आवश्यक है :

संबद्धता :

संबद्ध जानकारी से निर्णय में भिन्नता आती है। इसे उपयोगकर्ता को भूत, वर्तमान और भविष्य के अनुमान लगाने हेतु सहायता मिलती है (उसका अनुमान मूल्य होता है) संबद्ध जानकारी उपयोग कर्ता को पूर्व अपेक्षाओं को सुधारना या पुष्टि करने हेतु सहायक होती है (उसका प्रतिपुष्टि मूल्य होता है) यह यथा समय उपलब्ध यानी निर्णय लेने से पूर्व, होना चाहिये।

- **भरोसेमंद/विश्वसनीय :**

विश्वसनीय जानकारी सत्यापित की जा सकती है (जब, अलग-अलग लेखापरीक्षक जो समान पद्धतियों का उपयोग करते हैं, समान परिणाम पाते हैं) तटस्थ और (पूर्वग्रह से मुक्त) प्रतिनिधिक विश्वसनीयता की परिचायक (जो वास्तविक रूप से घटित या मौजूद हो) होती है।

- **तुलनात्मकता :**

विभिन्न उद्यमों के लिये जानकारी का मापन और रिपोर्टींग का समान तरीका होना चाहिये। (विभिन्न कंपनियों के बीच वित्तीय विवरणों की तुलना अनुमत हो)

- **सुसंगत :**
  समान लेखांकन पद्धतियां समयानुसार लागू की जानी चाहिये और पद्धतियों में सभी प्रकार के बदलाव अच्छी तरह स्पष्ट किये जाये तथा न्याय संगत हो।

GAAP का सेटिंग :

यूनायटेड स्टेट्स में ये संस्थान GAAP के विकास पर प्रभाव डालते है।

- यूनायटेड स्टेटस् सिक्योरटीज और एक्सचेंज कमीशन (SEC) अत्यधिक मंदी के फलस्वरूप SEC का सृजन किया गया था। उस समय लेखांकन मानक तैयार करने हेतु कोई संरचना नहीं थी। AICPA और बाद में FASB के जरिये, यह मानते हुए कि निजी क्षेत्र के पास समुचित ज्ञान, संसाधन, और निपुणता है, SEC ने निजी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडिज गठित करने हेतु प्रोत्साहन दिया। GAAP के गठन के लिये SEC विभिन्न निजी संस्थानों के साथ कार्य करता है लेकिन GAAP का गठन नहीं करता।

- **अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सिर्टिफाइड पब्लिक एकाउटंट (AICPA) :**
  वर्ष 1939 में SEC के अनुरोध पर, AICPA ने एकाउंटिंग प्रोसिजर पर समिति (CAP) की नियुक्ति की वर्ष 1939 से 1959 के दौरान CAP ने 51 लेखांकन अनुसंधान बुलेटिन जारी किये जिन्होंने विभिन्न समयानुकूल लेखांकन समस्याओं पर विचार किया। तथापि, यह समस्यानुरूप दृष्टिकोण से आवश्यक लेखांकन सिद्धांत विषयक संरचना विकसित करने का उद्देश विफल हो गया। अतः वर्ष 1959 में AICPA ने एकाउंटिंग प्रिन्सिपलस् बोड्र्स का सृजन किया, जिसका मिशन था, समग्र संकल्पना ढांचा विकसित करना। इसने 31 अभिमत व्यक्त किये और उत्पादकता का अभाव और प्रभावी कार्रवाई के अभाव के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। FASB के सृजन के बाद,

AICPA ने एकाउंटिंग स्टाण्डर्ड एकजिक्युटिव कमिटी का गठन किया और वह प्रकाशित करती है :

1. ऑडिट और एकाउंटिंग गाइडलाइन्स :

जो विशिष्ट उद्योगों की लेखांकन पद्धतियों का सारांश (जैसे कैसिनो, कॉलेजिस, एअरलाइंस इत्यादि) देती है और FASB या GASB द्वारा, के पास उठाए गये मामलों पर विशिष्ट मार्गदर्शन देती है।

2. स्टेटमेंट ऑफ पोजिशन :

FASB या GASB द्वारा मामलों पर मानक बनाये जाने तक, वित्तीय रिपोर्ट विषयों पर यह मार्गदर्शन देता रहता है।

3. प्रॅक्टिस बुलेटिनस् :

FASB या GASB द्वारा छोटे वित्तीय रिपोर्ट मामलों पर विचार न किये जाने पर, यह ACSEC के दृष्टिकोण निर्देशित करता है।

फाइनांशिल एकाउटिंग स्टैडर्ड बोर्ड (FASB) :

APB में सुधार के मद्देनज़र, एकाउंटिग व्यवसाय के नेताओं ने लेखांकन/एकाउंटिंग सिद्धांतों के गठन एक स्टडी ग्रुप की नियुक्ति की (उसके अध्यक्ष फ्रान्सिस वीर के सामान्य रूप से वीर कमिटी के नामे जानी जाती थी) इस ग्रुप/समूह ने यह निर्धारित किया कि APB को समाप्त कर एक नयी स्टैंडर्ड सेटिंग संरचना सृजित की जाये। यह संरचना तीन संस्थानों से बनती है। द फाइनांशियल एकाउंटिंग फाउंडेशन (FAP यह FASB के सदस्यों, को चुनती है निधि तथा गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है।

दि फाइनांशियल एकाउंटिंग एडवायज़री कौंसिल (FASAC) और फाइनांशियल एकाउंटिंग स्टैडर्ड बोर्ड (FASB) ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। FASB के चार महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं :

1. **स्टेटमेंट ऑफ फाइनांशियल एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड :**

अत्यधिक अधिकारिक GAAP को सेट करनेवाला प्रकाशन है। अबतक 150 से अधिक जारी किये जा चुके है।

2. **स्टेटमेंट ऑफ फाइनांशियल एकाउंटिंग कनसेप्ट :**

पहली बार 1978 में जारी हुआ। ये FASB के संकल्पना ढांचागत परियोजना का हिस्सा है और FASB के मूलभूत उद्देश्य, संकल्पना को भावी मानकों के विकास में उपयोग में लाये जाते हैं तथापि वे GAAP का हिस्सा नहीं है अबतक 7 संकल्पनाएं प्रकाशित की जा चुकी है।

इंटरप्रिटेशन्स :

विद्यमान मानकों को परिशोधित या विस्तारित कीजिये। अबतक करीब 50 इंटरप्रिटेशन प्रकाशित किये जा चुके हैं।

4. **टेक्नीकल बुलेटिन :**

मानकों को लागू करना, प्रतिपादित करना और राय देने का कार्य करते है। सामान्यतः जिनका महत्वपूर्ण और बने रहनेवाला प्रभाव न हो। ऐसे विशिष्ट लेखांकन मुद्दों को सुलझाया जाता है।

वर्ष 1984 में FASB ने इमर्जिंग इश्यूज़ टास्क फोर्स (EITF) का सृजन किया वह ऐसे नये और असामान्य वित्तीय संव्यवहार करते हैं। जिनमें सामान्य बनने की संभावना होती है (जैसे इंटरनेट आधारित कंपनियों का लेखांकन)। वह FASB के लिये अधिकतर प्रॉब्लेम फिल्टर का कार्य करता है। EITF अल्पवधी जल्दी सुलझाये जानेवाले मुद्दों को देखता है और दीर्घावधि तथा ज्यादा व्याप्तीवाली समस्याएं FASB के लिये छोड़ देता है।

सरकारी लेखांकन मानक बोर्ड (GASB) :

वर्ष 1984 में सृजित GASB राज्य और स्थानीय सरकारी रिपोर्टिंग मुद्दों को उजागर करता है। इसकी संरचना $FASB_S$ के समान रहती है।

अन्य प्रभावशाली संस्थाने : (अमेरिकन एकाउंटिंग संस्थान, मॅनेजमेंट एकाउंटंट की संस्था, फाइनांशिअल एक्झ़िक्युटिव संस्था)

हाऊस ऑफ GAAP

हाऊस ऑफ GAAP

प्रवर्ग (क) सबसे अधिकारपूर्ण	FASB स्टांडर्ड और इंटरप्रिटेशन्स	एकाउंटिंग प्रिन्सिपल बोर्ड (APB) ओपिनियन	AICPA एकाउंटिंग रिसर्च बुलेटिन (ARB_S)
प्रवर्ग (ख)	FASB टेक्नीकल बुलेटिन	AICPA इंडस्ट्रि ऑडिट और एकाउंटिंग गाइड्स	AICPA स्टेटमेंटस् ऑफ पोज़िशन SOP_S
प्रवर्ग (ग)	FASB इमर्जिंग इश्यूज्	टास्क फोर्स (EITF)	AICPAACSEC प्रॅक्टिस बुलेटीन
प्रवर्ग (घ)	AICPA एकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन्स	FASB इंप्लीमेंटेशन साइड्स (Q and A)	वाइडली रेककनाइज़्ड एन्ड प्रिवेलंट इंडस्ट्री प्रॅक्टिसिस

7.7 ट्रांसफर प्राइसिंग :

इस संदर्भ में समझने योग्य संकल्पना ट्रांसफर प्राइस है। सेगमेंट रिपोर्टिंग के विषय में इसकी अधिक प्रासंगिगता है।

संकल्पना :

अनेक विभागीय संगठन में ट्रान्स्फर प्राइसिंग का संबंध माल और सेवाओं के प्राइसिंग से है, विशेष कर क्रास बॉर्डर व्यवहारों में। जब बहु विभागीय कंपनी ने विभिन्न विभाग अपने लाभ के हकदार होते है, तब वे अपने निवेशित पूंजी के परतावे/रिटर्न के लिये भी उत्तरदायी होते हैं। इसलिये, जब विभागों को एक दूसरे के साथ व्यवहार करना पड़ता है तब ट्रान्स्फर प्राइस लागतों का निर्धारण करना होता है। उदाहरणार्थ, उत्पादन विभाग से माल विपणन विभाग को बेचा जा सकता है अथवा मूल कंपनी से माल उसकी विदेशी सहयोगी संस्था को बेचा जा सकता है, जिसमें ट्रान्स्फर प्राइस के चयन से कंपनी के विभिन्न विभागों में कुल लाभ का बटवारा प्रभावित हो जाता है। इससे ट्रान्स्फर प्राइस विनियमनों को बढ़ावा मिलता है क्योंकि सरकार कराधान प्राप्तियों के विदेशी प्रवाहों को थामना चाहती है। इससे बहुराष्ट्रीय निगमों के ये मुद्दे अहम बन जाते हैं।

व्यवहार में, ट्रान्स्फर प्राइस पर बहुत सारे घटकों का प्रभाव रहना है, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, उपयोग में लाया जाता है जिसमें शामिल है, निष्पादन मापन, एकाउंटिंग प्रणालियों की क्षमताएं, आयात कोटा, कस्टम ड्यूटी, वैट, लाभों पर कर, और प्राइसिंग की तरफ ध्यान का अभाव (बहुत से मामलों में)।

प्रशासनिक विनियमनों, और मार्गदर्शी सिद्धांतों की भूमिका :

यद्यपि ट्रान्स्फर प्राइस पद्धति के चयन के पीछे मज़बूत आर्थिक सिद्धांत हैं, तथापि यह तथ्य रहता है कि यथेच्छ मूल्य चयन से फायदेमंद साबित हो सकता है जैसे, बुक किपिंग के लिये देश में ज्यादातर लाभ कम कराधान, से कमाया जाता है इसलिये, लाभ का अंतरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा समग्र करों को घटाने हेतु होता है। तथापि, अधिकांश देश, आर्मस् लेंग्थ, सिद्धांत पर आधारित, जिसे OECD ट्रान्स्फर प्राइस गाइड लाइन्स फॉर मल्टीनॅशनल एंटरप्राइज़ेस और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में परिभाषित किया गया है। तथा उसको इस तरह

सीमित किया गया है कि देश को अपना उचित कर का हिस्सा प्राप्त हो जाये, इसे सुनिश्चित किया जाये। विनियमन के समुचित उपयोग से डबल टैक्सेशन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है, यदि संव्यवहार देश के विभागों के बीच में चलाये जाये, और द्विपक्षीय कर समझौते के अधीन बाध्यकारी हो।

आर्मस् लेंग्थ प्राइस :

यह ऐसा प्राइस/मूल्य है जिसपर दो असंबधित, और गैरडेस्परेट पार्टी/ पार्टियां किसी व्यवहार पर सहमत हो।

आर्मस् लेग्थ प्राइस का परिकलन :

यद्यपि, प्रत्येक देश के आर्मस् लेग्थ मूल्य के परिकलन से संबद्ध विशिष्ट कानूनों में फर्क है, तथापि, मूलतः वे OECD के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं इसका अर्थ है, यद्यपि इस तरह की नीति से टैक्सेशन (कराधान) की अधिक जोखिम, प्रत्येक देश के लिये टेलर्ड सोल्यूशन से अधिक है। वैश्विक ट्रान्स्फर प्राइसिंग नीतियों को, आर्मस् लेग्थ प्राइस के उचित प्रतिनिधित्व को विश्वभर में व्यवहारों के लिये, प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।

अतः निम्नांकित परिभाषाएं OECD दिशानिर्देशों पर आधारित हैं :

पारंपारिक पद्धतियां :

1. तुलना योग्य अनियंत्रित मूल्य पद्धति :

तुलना योग्य अनियंत्रित मूल्य (CUP) पद्धति, जिस मूल्य पर नियंत्रित संव्यवहार किया जाता है, उसकी तुलना, तुलना योग्य अनियंत्रित संव्यवहार से की जाती है। इससे इसे सिद्धांतिक रूप से समझना आसान हो जाता है, क्योंकि आर्मस् लेग्थ प्राइस, दो ससंबद्ध निगमों के बीचवाली बिक्री की कीमत के जरिये निर्धारित की जाती है। तथापि, व्यापार की परिस्थितियों में किसी छोटे बदलाव के कारण

(बिलिंग अवधि, व्यापार की रकम, ब्रांडिग इत्यादि) मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। जिससे संव्यवहार मिलना मुश्किल होता है। तुलना योग्य संव्यवहार बहुत ही कम होते हैं।

2. कॉस्ट प्लस पद्धति :

कॉस्ट प्लस (CP) पद्धति जिसे सामान्यतः तैयार माल के व्यापार के लिये उपयोग में लाया जाता है, विक्रेता पार्टी द्वारा माल की खरीद/उत्पादन, सेवा मूल्य, इत्यादि को जोड़कर तुलना योग्य कंपनियों के लाभ के आधार पर उसकी गणना कर, उसे निर्धारित किया जाता है। उदाहरणार्थ : तैयार कपडे का संबंद्ध वितरक को बिक्री करते समय आर्मस् लेग्थ प्राइस का निर्धारण, माल, उत्पादन, श्रमिक इत्यादि की लागत को समुचित रूप से जोड़कर निर्धारित की जाती है।

3. रिसेल प्राइस पद्धति :

रिसेल कीमत (RP) जो CP पद्धति के समान है, इस की गणना आपूर्ति शृंखला के भावी चरण के संव्यवहार के पीछे जाकर, की जाती है और उसका निर्धारण किसी असंबद्ध पार्टी को बिक्री की कीमत से समुचित समग्र मार्जिन (जिस स्थिति के तहत माल और सेवाएं बेची जाती है और ऐसे व्यवहार की किसी थर्ड पार्टी के व्यवहार से तुलना कर) को घटाकर निर्धारित की जाती है। हमारे तब के कपडे के उदाहरण में, जिस कीमत पर वितरक उत्पादों की बिक्री करता है (जिन्हें, उत्पादक, थर्ड पार्टी खुदरा व्यापारी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स ब्युटिक इत्यादि से प्राप्त किया जाता है) उससे समग्र मार्जिन को घटाकर आर्मस् लेग्थ प्राइस का निर्धारण किया जाता है।

इस उदाहरण में, दोनों CP और RP पद्धतियां एक ही संव्यवहार के परीक्षणार्थ प्रयोग में लायी गयी। उत्पादक और वितरक के बीच की एक पद्धति का अर्थ है कि एक का चयन, डाटा की उपलब्धता, और तुलनायोग्य संव्यवहारों पर निर्भर रहता है। यह लचिलापन अन्य संव्यवहारों में विशेष रूप से, अमूर्त मालों में उपलब्ध नहीं रहता है

(प्रौद्योगिकी विकास की जानकारी, रॉयल्टी का भुगतान, एक कंपनी से दूसरी को, इत्यादि। लाभार्जन से पीछे जाकर इसका निर्धारण किया जा सकता है दूसरे शब्दों में RP पद्धति के जरिये)

अपारंपारिक पद्धतियां :

आर्मस् लैंग्थ प्राइस की गणना के लिये बहुत सारी अपारंपारिक पद्धतियां उपलब्ध है जिसमें, प्रॉफिट स्पिल्ट (PS) पद्धति और ट्रॅन्झॅक्शनल नेट मार्जिन पद्धति (TNMM) सर्वविदित/मान्य हैं :

PS पद्धति (और उसके डेरिवेटिव, तौलनिक और रेसिडूिल प्रॉफिट स्पिलिट पद्धति सहित) तब प्रयोग में लायी जाती है, जब परिक्षित संव्यवहारोंवाला कारोबार, अलग मूल्यांकन के लिये एकत्रीकरण से कठिण होता है। अतः अंतिम प्राप्त/अर्जित लाभ अंशदान के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसे किसी मापन योग्य घटक जैसे कर्मचारी मुआवजा, प्रशासनिक खर्चे का भुगतान, इत्यादि। परियोजना के प्रत्येक प्रतिभागी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। विशिष्ट सरल/आसान उदाहरण के रूप में, यदि उपरोक्त कंपनी A, कंपनी A (सब) के पास तीन शोधकर्ता रर्किश मार्केट के लिये रेलर्ड विड गेटस् को विकसित करने हेतु सहायक के रूप में भेजती है। जबकि कंपनी A (सब) विकासार्थ वैसेही सात शोधकर्ता आबंटित करती है। तब यह अपेक्षा की जायेगी कि कंपनी A (सब) कंपनी A को अपने अंतिम लाभ का 30% कंपनी A के शोधकर्ताओं द्वारा तकनिकी ज्ञान के लिये रॉयल्टी के रूप में भुगतान करेगी।

TNMM, ऐसी पद्धति है, जो प्रश्नाधीन कंपनी के, समुचित लागत पर आधारित, जिसे संव्यवहारों के परीक्षण के आधार पर नेट प्रॉफिट मार्जिग का पता लगाने हेतु उपयोग में लाना आवश्यक है। TNMM एक RP और CP पद्धतियों का एकत्रित आवश्यक स्वरूप है, जिसके जरिये, तुलना योग्य कंपनियां यह सुनिश्चित करती है कि समुचित मार्जिन लगाई जाती है। यद्यपि TNMM तीन पारंपरिक पद्धतियों में से

एक नही है। TNMM आर्मस् लेग्थ प्राइस की गणना करने की एक आसान और तुलना योग्य, सटीक पद्धति के रूप में मानी जाती है।

ट्रान्स्फर प्राइस मैकॅनिज़म - बैंकिंग परिदृश्य के संबंध :

ट्रॉन्स्फर प्राइस भारत स्थित बैंकों के लिये नयी संकल्पना नहीं है लेकिन बैंक से बैंक में इसका प्रयोग अलग-अलग तरीके से होता है और भिन्न कार्यों के लिये इसे उपयोग में लाया जाता है। सामान्यतः शाखाओं के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन हेतु इसे प्रयोग में लाया जाता है। हाल ही में, बैंकों में प्रूडेंशियल एकाउंटिंग मानदंडों को लागू करने हेतु शाखाओं के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का महत्व बढ़ गया। बैंकों में लाभ और लाभप्रदता की संकल्पना अब अहम बनती जा रही है और प्रत्येक बैंक शाखा की लाभप्रदता सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है। जिससे बैंक की लाभप्रदता भी सुधर जाये। अब बैंकों द्वारा ट्रान्स्फर प्राइस मैकॅनिज़म का उपयोग इसके लिये किया जा रहा है। बैंकिंग के संदर्भ में, निधि के अंतरण किये जानेपर, निधि के अधिक्य वाली शाखा द्वारा निधि की कमी पानेवाली शाखा पर प्रभारित ब्याज को ट्रान्स्फर प्राइज माना जाता है। प्राइस (ब्याजदर) प्रत्येक बैंक के लिये भिन्न हो सकती है। तथापि, आर्मस् लैंग्थ प्राइस की परिभाषा के अनुरूप इसे निर्धारित किया जाना चाहिये।

पृष्ठ 178

प्र.14 USGAAP स्पष्ट कीजिये और इसे कौन तैयार करता है?

प्र.15 ट्रान्स्फर प्राइस मैकॅनिज़म तथा बैंकिंग क्षेत्र में इसके प्रयोग का वर्णन/विवेचन कीजिये।

पृष्ठ 294 - 298

प्र.3इ-12 ट्रायल बैलेन्स की ----- ओर आस्तियों का शेष/बैलन्स रिकार्ड किया जाता है।

प्र.13 आय प्राप्तियां/इनकम रिसिवेबल ----- शेष दिखाता है।

प्र. 14 ट्रायल बैलेन्स की जमा/क्रेडिट की ओर का शेष ----- डेबिट/नामे की ओर के साथ होना ही चाहिये।

प्र. 15 ट्रायल बैलेन्स ----- है, जिस की सूची ----- और ----- लेज़र खाते का शेष किसी विशिष्ट तारीख को दिखाता है।

प्र.16 यदि ट्रायल बैलेन्स की डेबिट/नामे ओर/साइड का जोड कम है, तब डिफरेन्स/अंतर को सस्पेन्स खाते की ----- ओर रखा जाता है।

प्र.17 सभी प्रकार की आस्तियों को ट्रायल बैलेन्स के ----- कालम में रिकार्ड किया जाना चाहिये।

प्र.18 यदि ट्रायल बैलेन्स की क्रेडिट/जमा ओर/तरफ का जोड कम है तब, डिफरेन्स/अंतर को सस्पेन्स खाते की ----- ओर/तरफ रखा जाता है।

प्र.19 यदि ट्रायल बैलन्स ----- न होता हो, तब यह दर्शाता है कि ----- हो गई है।

प्र. 20 सभी प्रकार की आय/प्राप्तियां ट्रायल बैलेन्स के ----- कालम में रिकार्ड किये जाने चाहिये।

उत्तर :(1) अंकगणितीय
(2) लेखांकन/एकाउंटिंग
(3) गलतियां
(4) सस्पेंस/उचंत खाता
(5) नामे/डेबिट
(6) जमा/क्रेडिट
(7) ट्रायल बैलेन्स
(8) दिनांक/वार
(9) लेज़र
(10) सकल
(11) जमा/क्रेडिट
(12) नामे/डेबिट
(13) नामे/डेबिट
(14) इक्वल/समान
(15) विवरण/स्टेटमेंट, डेबिट, क्रेडिट
(16) डेबिट
(17) डेबिट
(18) क्रेडिट
(19) टॅली, गलती
(20) क्रेडिट

प्र.4 A निम्न में से प्रत्येक कथन के ऐवज/बदले में एक शब्द, संज्ञा/टर्म या शब्द समूह लिखिये :

(1) गलतियां जिन्हें जर्नल प्रविष्टियों के पास किये जाने बिना सुधारा जा सकता है।

(2) गलतियां जिन्हें जर्नल प्रविष्टियां पास किये जाने के बाद सुधारा जा सकता है।

(3) ऐसा खाता जिसमें ट्रायल बैलेन्स के डिफरेन्स/अंतर को अस्थायी तौर पर अंतरित किया जाता है।

(4) डेबिट साइड की गलती को उसी रकम की दूसरी गलती से क्रेडिट साइड पर पूरा किया जाता है।

(5) ऐसी गलती जिसमें लेखा संव्यवहार को खाता बही में नहीं दर्ज किया जाता है।

(6) ऐसी गलतियां जिन में लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया जाता।

उत्तर :- (1) एक प्रकार की गलतीयां (2) दो प्रकार की गलतियां
(3) सस्पेंस/उचंत खाता (4) पूरा/क्षतिपूर्तिकारक गलती
(5) छूट जाने की गलती (6) सिद्धांत की गलती

(B) निम्न जोडों मैचिंग/जोड कीजिये :

कालम/स्तभ I	कालम/स्तंभ II
1. छूट जाने की गलती	1. नामे शेष
2. सस्पेंस/उचंत खाता	2. ट्रायल बैलेन्स से प्रकट
3. सिद्धांत की गलती	3. जर्नल प्रविष्टियों के पास किये जाने पर सुधार/दुरुस्त
4. दो साइडवाली गलती	4. नामे/जमा शेष
5. गलत स्थान पर पोस्टिंग/रिकार्डिंग	5. लेखांकन नियमों का अनुसरण नहीं किया गया
	6. ट्रायल बैलेंस के जरिये अप्रकटीकरण
	7. लेखांकन नियमों का अनुसरण
	8. जमा शेष

उत्तर : (1)-(6) (2)-(4) (3)-(5) (4)-(3) (5)-(2)

(C) बताइये - सही या गलत

(1) बही खाता पालन के सिद्धांतों के अनुसार जब संव्यवहार नहीं किया जाता, तब सैद्धांतिक गलती के रूप गलती मानी जाती है।

(2) ट्रायल बैलेन्स पूर्णत छूट गई गलती को प्रकट करता है।

(3) ट्रायल बैलेन्स में सस्पेंस/उचंत खाता बैलेंसिंग आकड़ा होता/रहता है।

(4) ट्रायल बैलेन्स सिद्धांतिक गलती नहीं बता पाता है।

(5) सभी सुधारात्मक प्रविष्टियां पास किये जाने के बाद उचंत/सस्पेंस खाते में कोई शेष नहीं रहना चाहिये।

(6) भवन की मरम्मत के लिये खर्च, भवन खाते में नामे किया जाना चाहिये।

(7) जब ट्रायल बैलेन्स मेल खा जाता है/टैली होता है तब उचंत/सस्पेंस खाता खोला जाना आवश्यक है।

(8) जर्नल प्रविष्टियां पास किये जाने पर सभी प्रविष्टियां सुधारी जाती है।

(9) ट्रायल बैलेन्स के मिलान का अर्थ है लेखा पुस्तक में कोई गलती नहीं है।

(10) पूरा करनेवाली/क्षतिपूर्तिकारक गलतियां ट्रायल बैलेंस के मिलाप को प्रभावित करती है।

(11) ट्रायल बैलेंस के जरिये सिद्धांतिक गलतियां नहीं खोजी जा सकती है।

(12) मशीनरी को लगाने के लिये वेतन का किया गया भुगतान मशीनरी खाते में नामे किया जाना चाहिये।

(13) अनुपूरक बहियों के गलत जोड से ट्रायल बैलन्स टैली होना प्रभावित होता है।

(14) सामान्य खर्चे को कानूनी फीस खाते में नामे किये जाने पर जर्नल प्रविष्टि पास कर सुधारा जा सकता है।

(15) सभी सुधारों को अंतिम लेखा तैयार करने से पहले पास/लागू किया जाना चाहिये।

उत्तर : सही : (1) (3) (4) (5) (7)
(11) (12) (13) (14) (15)

गलत : (2) (6) (8) (9) (10)

D (डी) : एक वाक्य में उत्तर लिखिये :

(1) सुधार/रेक्टिफिकेशन प्रविष्टि क्या है?

(2) एक तरफा गलतियां कैसे सुधारनी है?

(3) दो तरफा गलतियां कैसे सुधारनी है?

(4) एक तरफा गलतियां क्या होती है?

(5) दो तरफा गलतियां क्या है?

(6) उचंत/सस्पेन्स खाता क्या है?

(7) छूट जानेवाली गलतियां क्या है?

(8) लेखांकन की गलतियां क्या है?

(9) बराबर कर देनेवाली गलतियां क्या होती है?

(10) सैद्धांतिक गलतियां क्या होती है?

उत्तर :

(1) सुधार करने हेतु पास की गई प्रविष्टि को सुधार/रेक्टिफिकेशन एंट्री कहा जाता है।

(2) एक तरफा गलतियोंवाली प्रविष्टि जर्नल प्रविष्टि पास किये बिना सुधारी जा सकती है।

(3) दो तरफा गलतियां जर्नल प्रविष्टियां पास कर सुधारी जाती है।

(4) एक तरफा गलतियां वे गलतियां हैं, जो संव्यवहार के जमा/क्रेडिट या नामे/डेबिट मुद्दे को प्रभावित नहीं करती है।

(5) दो तरफा गलतियां वे गलतियां हैं, जो संव्यवहार नामे/डेबिट या जमा/क्रेडिट दोनों मुद्दों को समान रूप से प्रभावित करती है।

(6) ट्रायल बैलेन्स के दोनों तरफ के डिफरेन्स/अंतर के अंतरण हेतु उचंत/सस्पेन्स खाता खोला जाता है।

(7) छूट जानेवाली गलतियां वे गलतियां है, जो संव्यवहार को रिकार्ड नहीं किये जाने पर होती है।

(8) लेखा बही लिखते समय होनेवाली गलतियों/भूलों को लेखांकन की गलतियां माना जाता है।

(9) बराबर/पूरा कर देनेवाली गलतियां वे होती हैं, जिन्हें डेबिट/नामे और जमा/क्रेडिट तरफ एक दूसरे के लिये बराबर/पूरा किया जाता है।

(10) सैद्धांतिक गलतियां वे हैं, जो लेखा बही लिखते समय लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसरण न किये जाने पर होती हैं।

(E) उचित शब्द से रिक्तियां भर दीजिये :

(1) यदि ट्रायल बैलेन्स कम डेबिट दिखाता है, तब उचंतःसस्पेन्स खाते का ---- शेष होगा।

(2) जो गलतियां एक दूसरे का प्रभाव निरस्त/कैंसल करती है उन्हें ----- गलतियां कहा जाता है।

(3) गलत रिकार्डिंग या पोस्टिंग से होनेवाली गलतियों को ----- गलतियां कहा जाता है।

(4) मशीनरी स्थापित करने हेतु दिये गये वेतन को ----- खर्चा मानते है।

(5) मशीनरी स्थापित करने हेतु दिये गये वेतन को ----- खाते में नामे किया जाता है।

(6) ट्रायल बैलेन्स के डिफरेंस/अंतर को ----- खाते में अंतरित किया जाता है।

(7) कमिशन की गलती में डेबिट और क्रेडिट ----- होते हैं।

(8) जब किसी गलती से डेबिट या क्रेडिट ही प्रभावित होता है तब उसे ---- गलती कहा जाता है।

(9) जब कोई संव्यवहार रिकार्ड नहीं होता तब वह गलती ----- होती है।

(10) दो तरफा गलतियां ----- बुकों में आरंभ होती है।

उत्तर : (1) डेबिट (2) बराबर/पूरा करनेवाली
(3) कमिशन (4) कैपिटल (5) मशीनरी
(6) उचंत/सस्पेंस (7) समान (8) एक तरफा
(9) छूट जाना (10) प्राइमरी/आरंभिक

इकाई 24

24.4 बैंकों की लेखांकन प्रणालियों के महत्वपूर्ण पहलू :

बैंक, अन्य बृहद् आकार की संस्थाओं की भांति, वाणिज्यिक लेखांकन प्रणाली का अवलंबन/अनुसरण करती है। अतः रिकार्ड रखने की, वर्गीकरण की और संव्यवहारों का सारांश रखने की बैंक की प्रणाली, उसी आकारवाले परिचालनवाली अन्य संस्थाओं की प्रणालियों से भिन्न नहीं है। तथापि, बैंकों के विषय में, विशेषकर ग्राहकों के बही खाते अद्यतन तथा सटीक होना, किसी अन्य प्रकार के संस्थान की तुलना में, अत्यधिक आवश्यक है। बैंक अपने बही खातों को विशेष रूप से, जहां उनके ग्राहकों के खाते रखे हैं वहां जैसे ही कोई संव्यवहार हो जाता है तब उस प्रत्येक का रिकार्ड होना अतिआवश्यक है और इसमें ढिलाई बरती नहीं जा सकती। बैंकों के विषय में, कैश बुक, या जर्नलों में आरंभिक प्रविष्टियों को तुलना में कम महत्व दिया जाता है। यह अन्य प्रकार की संस्थाओं के विपरित है जहां आरंभिक/प्रमुख प्रविष्टियांवाले पुस्तक अद्यतन रखे जाते हैं जबकि, सामान्य खाता बही, और ऋणको (देनदार) और धनको (लेनदार) के अन्य सहायक बही खाते बाद में लिखे जाते हैं।

बैंक वाऊचर पोस्टिंगवाली लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करते हैं जिसके अंतर्गत सहायक खाता बहीयों में वाऊचर्स सीधे व्यक्तिगत खातों में पोष्ट/दर्ज किये जाते हैं। प्रत्येक दिन की समाप्ति पर, विशिष्ट प्रकार के संव्यवहार से संबद्ध क्रेडिट और डेबिट वाउचर्स (बचत बैंक, खाते, चालू खाते, मांग ऋण कैशक्रेडिट खाते इत्यादि) एक अलग वाऊचर सारांश शीट पर उतारे/लिखें जाते हैं और उनका जोड सामान्य बही खाते के नियंत्रक खाते में दर्ज किया जाता है। सामान्य बही खाते का ट्रायल बैलेन्स प्रति दिन तैयार किया जाता है।

संव्यवहारों के प्रकार :

बैंकों के संव्यवहार दो प्रकार के होते हैं। कैश/नकदी और गैर नकदी/नॉन कैश, बादवाले के मामले में, जिसे अंतरण संव्यवहार कहा जाता है। एक या दोनों संबद्ध खाते ग्राहक के हो सकते हैं या बैंक के आंतरिक खाते हो सकते हैं, उदाहरणार्थ, यदि A एक चेक जो उसके पक्ष में B द्वारा लिख गया है, जो उसी शाखा का ग्राहक है, अपने खाते में जमा करता है तब दो ग्राहकों के खाते प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ, यदि A किसी शाखा पर आहरित ड्राफ्ट अपने खाते में जमा करता है, तब ड्राफ्ट खाता-बैंक का आंतरिक खाता-डेबिट होगा। इसी तरह, जमा खातों में ब्याज के भुगतान किये जाने पर, 'ब्याज खाता' शाखा का, डेबिट होगा और बहुत सारे व्यक्तिगत खातों में जमा होगी।

वाऊचर्स :

सभी खातों में, क्रेडिट और डेबिट दोनों परिचालन, ग्राहकों द्वारा या बैंक स्टाफ द्वारा, वाऊचर्स के माध्यम से किये जाते हैं। दो प्रकार के वाऊचर्स होते हैं - एक, केवल खाते में डेबिट या क्रेडिट की साक्ष्य देते हैं, और दूसरा, विभिन्न खातों में डेबिट या क्रेडिट दोनों सम्मिलित होते हैं। सुविधा के लिये, बादवाले वाऊचर्स को कांपोजिट/संमिश्र वाऊचर कहा जा सकता है।

डेबिट वाऊचर्स अनेक प्रकार के होते हैं, मुख्यतः निम्नांकित है :

1. ग्राहकों द्वारा जारी किये गये चेकस्

2. बैंक द्वारा जारी किये गये चेकस्/पे ऑर्डस

3. बचत बैंक खाता धारकों से प्राप्त आहरण पर्चियां

4. बैंक की अन्य शाखओं द्वारा जारी किये गये ड्राफ्ट जो शाखा में भुगतान योग्य हों।

5. दो बैंकों के बीच अनुमोदित व्यवस्था के अनुसार शाखा पर आहरित अन्य बैंकों द्वारा जारी ड्राफ्टस्

6. बैंक के ग्राहकों द्वारा जारी डिविडंड/लाभांश/ब्याज वारंट्स् जो अनुमोदित व्यवस्था के अनुसार शाखा द्वारा भुगतान योग्य हो।

7. बैंक की किसी भी शाखा द्वारा जारी यात्री चेकस् जो शाखा के पास भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये हो।

8. शाखा द्वारा जारी किये गये ड्राफ्टस्/पे ऑडर्स, जो ग्राहकों के अनुरोध पर निरस्त/कैंसल कर उसकी रकम उसे वापस की गई।

9. अन्य बैंकों के यात्री चेकस् गिफ्ट चेकस् इत्यादि। लिखतें, जो अनुमोदित व्यवस्था के अनुसार शाखा में भुगतान किये जाते हैं।

10. स्थायी अनुदेश के रूप में, ग्राहकों द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र।

11. शाखा द्वारा अपनी मुद्रित स्टेशनरी पर बनाये गये डेबिट वाऊचर्स, जो बैंक के पदनामित अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत होंगे और कुछेक मामलों में, ये ग्राहकों द्वारा प्राधिकृत भी हो सकते हैं, यदि डेबिट शाखा में स्थित उसके खाते से हो।

12. बैंक की अन्य शाखाओं को वसूली हेतु भेजे गये लिखतों की उगाही विषयक, एक डेबिट सूचना (जिन्हें भिन्न बैंकों में भिन्न नाम से जाना जाता है) जिसे अन्य शाखा द्वारा अपने लिये डेबिट वाऊचर के रूप में बनाया गया हो।

13. टेलीग्राफिक या मेल अंतरण के रूप में निधि का अंतरण एक शाखा से दूसरी शाखा को किया गया हो। शाखा अंतरण सूचना को ही डेबिट वाऊचर माना जा सकता है या अलग डेबिट वाऊचर भी बना सकती है। क्रेडिट वाऊचर्स भी अनेक प्रकार के होते हैं, मुख्यतः निम्न हैं :

1. ग्राहक द्वारा (डिपॉजिट तथा ऋणी) भरी गई पे-इन-पर्ची उनके खातों में जमा करने हेतु। सामान्यतः पे-इन-पर्ची का बैंक द्वारा अपनाया गया मानक प्रारूप होता है, तथापि, बैंक और ग्राहक के बीच में सहमति के आधार विशेष प्रकार की पे-इन-पर्ची हो सकती है।

2. मांग ड्राफ्ट, मेल अंतरण, टेलीग्राफिक/तार अंतरण, बैंकर्स चेकस् पे ऑर्डर्स, गिफ्ट/उपहार चेकस् । यात्री चेकस् और अन्य तत्सम लिखतों को जारी करने हेतु आवेदन पत्र।

3. राज्य/केंद्रीय सरकारों के खातों में जमा करने हेतु चलान जैसे पीपीएफ जैसी योजना के अंतर्गत या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों के लिये।

4. शाखा द्वारा अपनी मुद्रित स्टेशनरी पर बनाये गये क्रेडिट वाऊचर्स जिन्हें बैंक के अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। सामान्यतः ये वाऊचर शाखा की ओर से हस्ताक्षरित होते हैं, लेकिन ऐसे कई मामले हो सकते हैं जहां संबंद्ध ग्राहक भी वाऊचर पर हस्ताक्षर करता है यह साक्ष्यांकित करने के लिये कि वह संव्यवहार उसका है। उदाहरणार्थ : लॉकर चार्जेस जमा करना (शाखा के आय खाते में जमा) बैंक के पक्ष में, दस्तावेज निष्पादित किये जाने हेतु खरीदे गये, नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर्स के लिये जमा की गई रकम इत्यादि।

5. बैंक की अन्य शाखाओं के वसूली हेतु प्राप्त लिखतों के भुगतान हेतु क्रेडिट सूचना (जिसे भिन्न बैंकों में भिन्न नाम से जाना जाता हो) अथवा अन्य शाखा से प्राप्त वसूली सूची की प्रतिलिपि जिसे ही क्रेडिट वाऊचर के रूप में माना जाता है।

यहां यह बताया जाता है, खाता बहियों के समूहों में, या उसी खाता बही के अधिकतम खातों में उसी प्रकार के डेबिट या क्रेडिट संव्यवहार हो सकते हैं। जैसे, आवधिक तौर पर ब्याज के रूप में डेबिट, निरीक्षण प्रकार इत्यादि या जमाकर्ताओं को आवधिक तौर पर अदा किये जानेवाले ब्याज के रूप में जमा। बैंकों में यह समान पद्धति है कि एक अपनी स्टेशनरी में एक समेकित वाऊचर बनाया जाता है और उसके साथ वे जिन खातों में रकम डेबिट/क्रेडिट की जानी है उनकी सूची लगायी जाती है।

जैसा कि पहले बताया गया है डेबिट और क्रेडिट वाऊचर्स के अलावा, एक ऐसा प्रवर्ग है जिसे संमिश्र वाऊचर्स कहा जाता है। ये वाऊचर्स क्रेडिट और डेबिट दोनों वाऊचर्स के विवरण रिकार्ड करते हैं। संमिश्र वाऊचर्स द्वारा कवर किये जानेवाले अधिकांश संव्यवहार बैंक के आंतरिक लेखाओं से संबद्ध होते हैं यानी गैर ग्राहक खाते। उदाहरण है वसूली हेतु प्राप्त बिल्स, शाखा द्वारा जारी किये गये साखपत्र, शाखा द्वारा जारी की गई गारंटियां इत्यादि। खाता डेबिट या क्रेडिट करते समय हुई गलतियों को सुधारने के लिये भी ऐसे वाऊचर्स बनाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, कैश क्रेडिट खाते के बदले में, गलति से यदि सामान्य बही खाते में चालू खाता डेबिट हो जाता है तब संमिश्र वाऊचर कैश क्रेडिट खाते को डेबिट और संबद्ध क्रेडिट चालू खाते में दिखाया जायेगा। व्यक्तिगत बही खातों तथा सारांश शीटस् में की गई प्रविष्टियां जिन्होंने प्रविष्टियां की हैं उनको छोड़कर दूसरे व्यक्तियों द्वारा जांची/चेक की जाती हैं। अधिक तर क्लर्किय गलतियां इससे तत्काल ढूंढी/पता लगायी जाती हैं।

व्यक्तिगत बही-खातों का ट्रायल बैलेन्स आवधिक तौर पर तैयार किया जाताहै, सामान्यतः प्रत्येक दो सप्ताहों के लिये और सामान्य बही खाता-नियंत्रक खातों से उसका मिलान किया जाता है। बैंकिंग भाषा-

शैली में इस अभ्यास को 'बैलंसिंग ऑफ बुक्स्' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

24.5 लेखांकन की प्रमुख बहियां :

लेकांकन की प्रमुख बहियां, और सांख्यिकिय रिकार्ड जिन्हें बैंकों द्वारा सामान्य रूप से रखा जाता है, इनका विवरण नीचे के पैराग्राफ में दिया गया है। तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि इन बहियों का प्रत्यक्ष स्वरूप बैंको, बैंकों में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग प्रत्येक बैंक के लिये होता है।

सामान्य बही खाता :

सभी व्यक्तिगत खातों लाभ-हानि खाता और विभिन्न आस्ति और देयता खातों के नियंत्रक खातें, सामान्य बही खाते में शामिल होते हैं। कतिपय अतिरिक्त खाते भी होते हैं। (कॉन्ट्रा खातों के रूप में जाने जाते हैं) जिन्हें ऐसे संव्यवहारों पर नियंत्रण हेतु रखा जाता है, जिनका बैंक की देयताओं और आस्तियों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता किन्तु वे बैंक द्वारा किया गया एजेन्सी करोबार दर्शाते हैं। जिन पर सेवा प्रभाव प्राप्त किया जाता है, जैसे खोले गये साखपत्र, वसूली हेतु प्राप्त या भेजे गये बिल्स, जारी की गई गारंटियां इत्यादि।

लाभ और हानि खाता बही :

कुछ बैंक लाभ और हानि खाता सामान्य बही खाते में रखते हैं और
प्राप्ति या खर्चे के प्रत्येक शीर्षक या सहायक शीर्षक के लिये अलग बही खाते रखते हैं। कुछ बैंक स्तभों/कालम वाली बही रखते हैं जिसमें प्राप्ति और खर्चे के प्रत्येक शीर्षक और सहायक शीर्षक के लिये अलग-अलग स्तंभ/कालम होते हैं, कुछ बैंक प्राप्तियों के शीर्षक और सहायक शीर्षकों के लिये तथा खर्चे के लिये अलग-अलग बही रखते हैं। बहियां वाऊचर्स से तैयार की जाती है। डेबिट्स् और क्रेडिटस् के प्रतिदिन के जोड/टोटल्स वाऊचर समरी शीट् से सामान्य बहि खाता के लाभ और हानि खाते में दर्ज किये जाते हैं। कुछ बैंकों में राजस्व खातें

भी सामान्य बही खाते में ही रखे जाते हैं। जबकि दूसरों में विस्तृत राजस्व शीर्षक सामान्य बही खाते में रखे जाते हैं और उनके विवरण सहायक बही खातों में रखें जाते हैं।

प्रबंधकीय कारणों के लिये, लाभ और हानि खातों के शीर्षक बैंकों के प्रकाशित लाभ और हानि खातों की अपेक्षा अधिक ब्यौरों सहित दिखायें जाते हैं। उदाहरणार्थ, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, और अन्य भत्तों के लिये अलग-अलग खाते होते हैं। जिन्हें प्रकाशित लेखों में एकत्रित किया जाता है। इसी तरह, सामान्य प्रभार के खाते, अदा किया गया ब्याज, प्राप्त ब्याज, इत्यादि। लाभ और हानि बही खाते में अलग से रखें जाते हैं।

सहायक बहियां :

व्यक्तिगत बही खाते : सामान्य बही खाते में प्रत्येक नियंत्रक खाता सहायक बही खाते के जरिये सहायक होता है। (ज्यादा खाते होने पर एक से अधिक सहायक लेजर होते हैं) इसलिये ग्राहकों के खातों से संबंधित नियंत्रक खातों के लिये, सहायक बही खाते निम्नानुसार रखे जाते हैं :

(क) विभिन्न प्रकार के जमा खाते (बचत बैंक, चालू खाता, रिकरिंग डिपॉजिट खाता इत्यादि) जिसमें व्यक्तिगत ग्राहकों के खाते शामिल हैं। प्रत्येक खाताधारक के लिये खाता बही में अलग पृष्ठ आबंटित रहते हैं।

(ख) विभिन्न प्रकार के ऋण और संबंद्ध खाते (कैश क्रेडिट, टर्म लोन, मांग ऋण, खरीदे गये तथा बट्टागत बिलस् , जारी किये गये साख पत्र तथा गारंटिया) जहां प्रत्येक ग्राहक का दायित्व दर्शाया जाता है। सामान्यतः ओवरड्राफ्ट खातों के लिये अलग बही खाता नहीं रहता है, जिन्हें चालू खाते में दिया जाता है। तथापि कुछेक शाखाएं इन्हें भी अलग बही

खातो में, इस सुविधा के तहत कितने नियमित उधारकर्ता है इसे ध्यान में रखकर, रखते हैं।

सावधि जमाओं के विवरणों का रिकार्ड रखने हेतु अलग रजिस्टर्स रखे जाते हैं (कॉल डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इत्यादि डेरिवेटिवज् को शामिल कर) बैंक, सामान्यतः प्रत्येक ग्राहक के लिये अलग-अलग पृष्ठ नहीं रखतें। रजिस्टर विभिन्न अनुभागों में बांटा जाता है, प्रत्येक अनुभाग, विशिष्ट अवधि की जमाओं और या जमाओं पर देय ब्याज के लिये होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन रजिस्टरों में पोष्टिंग सीधे वाऊचर से किया जाता है और लेज़र रजिस्टर में दर्ज किये गये दिन के वाऊचर्स, वाऊचर समरी शीट्स में सारांशित किये जाते हैं, वाऊचर्स समरी शीट्स विभाग में बनते हैं, जहां से संव्यवहार आरंभ होते हैं और लेजर किपर्स के अलावा ये अन्य लोग ये काम करते हैं। लेजर/रजिस्टर या समरी शीर्टस लिखनेवाले स्टाफ के अलावा अन्य लोग सामान्यतः वाऊचर्स के साथ इन्हें जांचते/चेक कर लेते हैं।

बिल्स रजिस्टर :

विभिन्न प्रकार के बिलों के विवरण एक अलग रजिस्टर में रखें जाते हैं जिसमें समुचित कॉलम होते हैं। उदाहरणार्थ : खरीदे गये बिल, वसूली हेतु आवक बिल, जावक बिल, इत्यादि। दैनिक आधार पर अनुक्रम में अलग रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाते हैं। खरीदे गये या बट्टागत बिलों के लिये, पार्टीवार विवरण सामान्य बहीखातों में भी रखे जाते हैं। इसे यह सुनिश्चित करने के लिये रखा जाता है कि पार्टी की स्वीकृत सीमाओं का उल्लंघन न किया जायें।

मूल दस्तावेजों के संदर्भ में, इन रजिस्टरों में प्रविष्टियां की जाती हैं। प्रत्येक रजिस्टर के लिये, प्रतिदिन के संव्यवहारों के लिये समग्र रकम का एक वाऊचर बनाया जाता है। वाऊचर डे बुक में प्रविष्ट किया जाता

है। जब बिल की उगाही होती है या उसे लौटाया जाता है। रजिस्टर में मूल प्रविष्टि को चिह्नित/मार्क ऑफ किया जाता है। इस तरह के रिटर्न और उगाहे गये बिलों की दैनिक समरी/सारांश अलग रजिस्टरों में बनाया जाता है जिनका योग/टोटल्स वाऊचर बनाकर उन्हें दैनिक बही में प्रविष्ट किया जाता है।

वसूली हेतु प्राप्त बिल संव्यवहार के दो तरफा दिखनेवाले कॉन्ट्रा वाउचर्स बनाये जाते हैं। एक मूल प्रविष्टि के समय, और उसे उगाही के बाद रिवर्स किया जाता है। बकाया प्रविष्टियां आवधिक तौर पर सारांश के जरिये, निकाली जाती है और उनका योग/टोटल, सामान्य बही खाते के संबद्ध नियंत्रक खातों से मिलाया जाता है।

अन्य रजिस्टर्स/रिकार्ड : अलग रजिस्टर/रिकार्ड :

विभिन्न प्रकार के संव्यवहारों के विस्तृत ब्यौरे दर्ज करने के लिये होते हैं, ये रजिस्टर्स/रिकार्ड खाता बहियों का हिस्सा नहीं होते है। लेकिन विभिन्न खातों के शेष/प्रविष्टियों के लिये सहायकारी होते हैं। कुछेक महत्वपूर्ण रजिस्टर्स/रिकार्ड निम्न से संबंधित हैं :

(क) जारी किये गये ड्राफ्ट :

(एक ही बैंक की किसी शाखा द्वारा जारी और अन्य शाखाओं द्वारा जारी या उसके देश में स्थित या विदेश स्थित संपर्कीयों से जारी ड्राफ्टों के लिये अलग-अलग रजिस्टर्स रखे जा सकते है।) व्यवसाय के आकारानुरूप, कुछ शाखाएं दूसरे किसी आधार पर भी अलग रजिस्टर्स रख सकते हैं। जैसे जारी किये गये ड्राफ्ट के लिये सूचना बनायी है या उच्च कोटी के ग्राहकों के लिये पूर्णतः रजिस्टर बनाया जा सकता है ड्राफ्ट की रकम कौनसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। जैसे रु.1 लाख से नीचे, रु.1 से 10 लाख रु. 10 लाख से 100 लाख इत्यादि।

(ख) भुगतान किये गये ड्राफ्ट :

(ड्राफ्ट जारी किये गये वाले रजिस्टर जैसा ही अलग रजिस्टर इसके लिये रखा जा सकता है।)

(ग) जारी किये गये और भुगतान किये गये :

(1) टेलिग्राफिक तार अंतरण
(2) डाक/मेल अंतरण
(3) बैंकर्स चेकस् पे ऑर्डर्स, यात्री चेकस्/गिफ्ट चेकस्
(4) साख पत्र/लेटर्स ऑफ क्रेडिट
(5) गारंटी पत्र

मूल दस्तावेजों से इन रजिस्टरों में प्रविष्टियां करनी है और इनका सारांश वाऊचर्स के जरिये भी प्रतिदिन लिया जाता है। ये वाऊचर्स दैनिक बुक में प्रविष्ट/पोस्ट किये जाते हैं। बकाया प्रविष्टियां निर्धारित अंतराल पर समराईज/सारांश की जाती है और सामान्य बही खाते के नियंत्रक खाते से इनका मिलान किया जाता है।

बैंक की शाखाओं के बीच ऐसे कई संव्यवहार होते हैं जिन्हें आंतर कार्यालय खातों की प्रक्रिया/मैकॉनिजम के जरिये निपटाया जाता है, ऐसे संव्यवहारों के उदाहरण हैं बिलों/चेकों का भुगतान/उगाही इत्यादि जिन्हें वसूली हेतु एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजा गया हो, उनके बीच नकदी का चलन, निधियों का अंतरण जहां एक शाखा दूसरी का प्रतिनिधित्व/एजेंट करती है जैसे सरकारी कारोबार के लिये निधि के इस तरह के अंतरण एक नोडल खाते के जरिये किये जाते हैं। इस खाते का नाम भिन्न बैंकों में, भिन्न प्रकार का है जैसे प्रधान कार्यालय खाता, आंतर कार्यालय खाता इत्यादि इत्यादि। बैंकों तथा लेखा परीक्षकों के लिये यह दो कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रथमतः बहुत सारे कपट/धोखाधडियां घटित होने के प्रयास इस खाते के माध्यम से हुए हैं और दूसरे इस खाते से की गई प्रविष्टियां जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

विनिर्धारित अवधि से ज्यादा समय असमाधनित/अनरिकंसाइलड् रहती हैं तब, बैंकों के लिये अब यह जरुरी हो गया है कि वे ऐसी प्रविष्टियों के लिये प्रावधान करें।

बैंक विभिन्न उचंत/सस्पेंस खाते प्रविष्ट करने हेतु उचंत/सस्पेन्स खाता बही रखते हैं। जैसाकि पहले बताया गया है कि बैंकों में प्रतिदिन ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। कभी-कभी, क्लेरिकल भूलों/गलतियों के कारण जैसे वाऊचर सारांश/समरी शीट बनाते समय ट्रायल बैलेंस का मिलान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में, जो अंतर/डिफरेंस आता है उसे अस्थायी रूपसे उचंत खाते में (कम डेबिट होने पर) अथवा विविध जमा खाते में (कम क्रेडिट होने पर) अंतरित किया जाता है। इसी तरह, संक्रमित तरह के संव्यवहार जैसे कर्मचारीयों को दिया गया यात्रा अग्रिम, ये भी उनके संबद्ध आय-व्यय खाते में समायोजन लंबित रहने पर उचंत खाते में रिकार्ड किये जाते हैं। कुछेक बैंक उचंत खातों और विविध जमा खातों के लिये अलग बही खाते रखते हैं। इन खातों में बकाया रकमों के निपटान के लिये नियमित मॉनिटरिंग की जरुरी होती है।

समुचित रजिस्टर्स, ब्रेक अप रजिस्टरों सहित, अगणित सहायक शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकरण दर्ज करने हेतु इनके लिये रखे जाते हैं :

(क) आस्थापना खर्चे
(ख) ब्याज और बट्टागत आय
(ग) कमीशन के रूप में आय
(घ) भुगतान किया गया ब्याज
(च) उपचित/अक्रूड ब्याज हेतु प्रावधान जो जमाओं पर देय नहीं हुआ है।
(छ) अचल आस्तियां
(ज) उपयोग में लाई गई/हाथ पर स्टेशनरी
(झ) देय और प्राप्य ब्याज

जो प्रधान कार्यालय से, क्रमशः जमाओं और अग्रिमों पर देय हो। बैंकों में पायी जानेवाली एक विशिष्ट/विचित्र लेखांकन प्रणाली का स्वरूप यह है, काल्पनिक आधार पर शाखाओं की उनकी अपनी स्वनिधि नहीं होती है। शाखाओं द्वारा स्वीकृत सभी जमाराशियां बैंक के प्रधान कार्यालय के पास अंतरित मानी जाती है और शाखाओं द्वारा वितरित सभी ऋण/अग्रिम प्रधान कार्यालय से प्राप्त निधि से किये समझें जाते हैं। प्रधान कार्यालय शाखा को उसकी जमाराशियों के ब्याज अदा करता है और शाखाओं से उनके अग्रिमों के लिये ब्याज लेता है/प्रभारित करता है। प्रधान कार्यालय द्वारा प्रभारित अदा किये गये ब्याज की दर प्रधान कार्यालय वर्ष के दौरान निर्धारित करता है और यह शाखा का लाभ या हानि की गणना करने में महत्वपूर्ण होता है। इस संरचना/मैकॅनिजम को विभिन्न बैंकों में भिन्न नामों से जाना जाता है। इस में सभी प्रकार के परिकलन शाखाओं में ही किये जाते हैं और समुचित प्रविष्टियां सामान्यतः वर्ष के अंत में पारित की जाती है। ये प्रविष्टियां, अलबत्ता, खातों के समेकन की प्रक्रिया में ऑफसेट/समायोजित हो जाती हैं और बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है।

(ट) शाखाओं द्वारा ग्राहकों से प्राप्त भुगतान/वसूली हेतु लिखतें, स्थानीय स्वरूप में देय लिखतों का समाशोधन बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कुछेक बैंक ग्राहकों द्वारा दिये गये विभिन्न लिखतों के विवरणों के रिकार्ड हेतु अलग-अलग रजिस्टर्स रखते हैं जबकि, कुछ अन्य बैंक ग्राहकों द्वारा दिये गये सभी प्रकार के लिखतों के लिये एक कॉमन/साधारण रजिस्टर रखते हैं।

करंट खाता, बचत खाता, कैश क्रेडिट, टर्मलोन, जैसे विशिष्ट शीर्षक के खाते के लिये अलग-अलग रजिस्टर्स, संव्यवहारों के सारांश के रिकार्ड हेतु रखे जाते हैं। इस प्रकार की बहियों के लॉग बहियां, दैनिक बहियां इत्यादि नाम से जाना जाता है। इन बहियों के जोड़/योग कैश बुक में आगे लिये जाते हैं।

24.12 आरबीआय द्वारा विनिर्धारित अतिरिक्त प्रकटीकरण :

अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अनुसरण में आवश्यकताओं के अनुसार, तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखों में दिये जानेवाले प्रकटीकरण के अतिरिक्त, RBI अपने परिपत्र क्र. DBOD. B.P.-NO 59/21.04.018/2005-06 दि. 30.01.2006 में निर्देश दिया है कि निम्न जानकारी लेखों पर नोटों के रूप में प्रकट करनी होगीः

प्रकटीकरण की मदों की सूची :

- पूंजी पर्याप्तता अनुपात
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात टियर I कैपिटल/पूंजी
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात टियर II कैपिटल/पूंजी
- राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत गौण/सबॉर्निडेड ऋण, टियर II पूंजी के रूप में लिये गये - रकम
- निवेश का सकल मूल्य इत्यादि.
- निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान
- निवेश में मूल्यह्रास के प्रति प्रावधानों का चलन
- रिपो संव्यवहार
- गैर एसएलआर निवेश संविभाग
- वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप
- विनिमय ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिवज्
- डेरिवेटिवज् में जोखिम एक्पोज़र का प्रकटीकरण
- नेट NPA_S का नेट अग्रिमों से प्रतिशत
- NPA_S का चलन
- NPA_S के लिये प्रावधान की रकम
- पुनःर्गठन/पुनःरचना के अध्यधीन ऋण आस्तियों का ब्यौरा
- CDR के अंतर्गत पुनर्गठन
- आस्तियों की पुनःरचना हेतु SC/RC को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे
- मानक आस्तियों पर प्रावधान
- कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज स्वरूप आय

- कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज स्वरूप आय
- कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ
- आस्तियों पर प्रतिफल/रिटर्न
- कारोबार (डिपॉजिट और अग्रिम) प्रति कर्मचारी
- लाभ प्रति कर्मचारी
- ऋण और अग्रिमों का परिपक्वता का तरीका/पैटर्न
- निवेश प्रतिभूतियों का परिपक्वता का तरीका/पैटर्न
- जमाराशियों का परिपक्वता का तरीका/पैटर्न
- उधारों का परिपक्वता का तरीका/पैटर्न
- विदेशी मुद्रा आस्तियां व देयताएं
- रियल इस्टेट/स्थावर संपदा क्षेत्र का एक्सपोज़र/निवेश
- कैपिटल मार्केट/पूंजी बाज़ार में ईक्विटी शेयरों में आदि में निवेश
- मार्जिन व्यापार हेतु बैंक वित्त
- देशीय जोखिम हेतु एक्पोजर
- बैंक द्वारा सीमा का उल्लंघन एकल उधारकर्ता/समूह उधारकर्ता के ब्यौरे
- वर्ष के दौरान आयकर के प्रति प्रावधान
- RBI द्वारा लगाया गया जुर्माना/दंड का प्रकटीकरण
- समेकित, वित्तीय विवरण - AS-21
- सेगमेंट रिपोर्टिंग - AS-17
- संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण - AS-18
- संबद्ध लेखांकन मानकों के अंतर्गत अन्य आवश्यक प्रकटीकरण।

इकाई 27

पृष्ठ 657 - 667

संपूर्ण स्वचालन :

इसकी क्या आवश्यकता है?

बैंकों द्वारा जिन प्रमुख मुद्दों का सामना संप्रति किया जा रहा हैं वे हैं : ग्राहक सेवा अपेक्षाएं, परिचालनगत लागत को घटाना, और स्पर्धा का प्रबंधन। प्रौद्योगिकी इन उद्देश्यों को/लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। IT बैंकिंग में केंद्रीकृत हो गया है। यह कारोबार को बढ़ानेवाला अब नहीं रहा है किन्तु कारोबार को चलानेवाला निर्देशक हो गया है। बैंकों और वित्तीय क्षेत्र में सेवा देनेवालों ने नयी प्रौद्योगिकी को बहुत पहले ही अपनाया है। भावी प्रौद्योगिकी अंगीकरण के लिये रोडमैप/कार्य योजना की परिभाषा इस प्रकार है :

बैंकों ने तीन क्षेत्रों में ध्यान केंद्रीकृत किया है।

(1) ग्राहक सेवा

(2) अपेक्षाओं की पूर्तता

(3) लागत में कटौती और स्पर्धा का प्रबंधन

इस हेतु बैंक नित नये वित्तीय उत्पादों को सेवाओं को खोज रहे हैं। जिससे विद्यमान ग्राहकों की अपेक्षापूर्ति करते हुए वे कारोबार विकसित कर सकें। और जो भी नये वित्तीय उत्पाद या सेवाएं बैंक मुहैया करा रहा है वे अंतरस्थ से प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। स्वचालन यह मूलभूत मद है जो बैंकों में होना आवश्यक है। इसमें, केंद्रीकृत नेटवर्क, परिचालन और कोर/प्रमुख बैंकिंग अनुप्रयोग सम्मिलित है। स्वचालन से कम मानव संसाधन का उपयोग करके, बैंकों को 24 X 7 X 365 सेवा प्रदान करने हेतु सक्षम हो जाते हैं लेकिन सही मायने में, स्पर्धात्मक बनने हेतु बैंकों को मूलभूत स्वचालन से परे का सोचना होगा।

केंद्रीकृत संरचना की आवश्यकता :

बैंकिंग प्रौद्योगिकी के प्रारंभिक दिनों में नेटवर्क/बैक एंड (पिछला हिस्सा) संरचना अकेंद्रीकृत हुआ करती थी। इसका अर्थ यह था कि प्रत्येक शाखा का अपना सर्वर्स, बैंकिंग स्वप्रयोग (applications) डाटा बेस, और अन्य इस तरह का हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर हुआ करता था। अकेंद्रीकृत नेटवर्कों की लागत और प्रबंधन के मुद्दों पर उनकी अपनी समस्याएं थीं। अकेंद्रीकृत मॉडल में बहुत बड़ा कैपिटल खर्चा और संसाधन (प्रशिक्षित मानव बल हार्डवेअर आदि) लगते हैं। अकेंद्रीकरण में, समन्वय नहीं होता या कोई एक नियंत्रक बिंदू नहीं होता। अनुप्रयोगों को अद्यतन करना त्रासदी इत्यादि समस्याएं केंद्रीकरण से पहले थी। प्रौद्योगिकी प्रतिनिधियों को प्रत्येक शाखा में उनकी सहायता के लिये उपस्थित रहना पड़ता था।

यह स्वीकारणीय परिदृष्य था, मल्टिचैनल आरंभ होने से पहले का। ये संकल्पनाएं जैसे आयी केंद्रीकृत डाटाबेस के लिये आवश्यकता महसूस होने लगी। डाटाबेस तत्काल अद्यतन करना पड़ता था, चाहे ग्राहक द्वारा उपयोगित चैनल या शाखा कोई भी हो। नेटवर्क कम लागत में चलाने और संभालने पड़ते थे। यद्यपि, डाटा सेंटर्स कुछेक बड़े बैंकरों द्वारा उपयोग में लाये जाते थे लेकिन उन्हें कभी भी केंद्रीय परीचालन हब के रूप में नहीं माना गया। जब बैंकों ने यह महसूस किया कि अकेंद्रीकृत मोडल को केंद्रीकृत डाटा सेंटर संरचना से स्वैप (अदल-बदल) किया गया तब स्थिति बदल गई। जब एक या दो निजी क्षेत्र के बैंकों ने प्रभावी रूप से, यह कर दिखाया तब अन्य बैंकों ने रुचि दिखाना आरंभ किया। उन्होंने अपने डाटा बेस समेकित करके उसे एक बृहत डाटाबेस में तबदील किया। डाटा सेंटर के उपयोग से केंद्रीकरण के कारण नेटवर्क, परिचालनों, उपयोगकर्ता, और प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में अधिक सरलता और सुधार लाने में सहायक सिद्ध हुआ है। लागत के परिप्रेक्ष्य से केंद्रीकरण बहुत ही प्रभावी रहा है। केवल डाटा सेंटर ने ही केंद्रीकरण में अंशदान नहीं दिया है। नेटवर्क ने अपने आप को यूनिफाइड IP नेटवर्क में ढाला है। पुराने दिनों में, बैंकिंग नेटवर्क अनेक पुराने संलेखों

गुलकंद/पोपुरी हुआ करते थे। एक नेटवर्क डाटा ट्रॅफिक के लिये, दूसरा टेलीफोनी के लिये ऐसे ही अनेक नेटवर्क हुआ करते थे। आज, चाहे वह डाटा हो, वॉइस या विडिओकॉन्फरंसिंग या ATM या मोबाइल बैंकिंग हो, केवल एकमात्र IP आधारित डाटा बेस उपयोग में लाया जाता है।

समेकित डाटा बेसिस और नेटवर्क के बाद अब कोर बैंकिंग अनुप्रयोग आये हैं। कोर बैंकिंग परिचालनों से बैंकों के पूरे फ्रंट और बैक एंड स्वचालन में सहायता प्रदान की है। इन परिचालनों ने बैंकों को केंद्रीकृत प्रोसेसिंग और 24 घंटे ग्राहक सेवा प्रदान करने में सहायता की है। कोर बैंकिंग परिचालन कई पर भी, कभी भी, 24 X 7 सतत सेवा प्रदान करते हैं, जो पारंपारिक स्थानीय शाखा स्वचालन प्रणाली से जो केवल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध रहती है, कतई संभव नहीं है।

कोर बैंकिंग अनुप्रयोग उद्यम को एकसूत्रीकरण हेतु सहायक होते हैं और आंतरिक अनुप्रयोगों के लिये एकल ग्राहक परिदृष्य देते है। ये अनुप्रयोग मल्टीपल डिलीवरी चैनलों के लिये स्वचालन उपलब्ध कराते हैं। ग्राहकों को संभालने तथा उनकी सेवा लागत/खर्चे को घटाने के लिये बैक बडे पैमाने पर कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स का अंगीकरण कर रहे हैं।

बैंक अपने आप को, जीवन बीमा, RBI बांड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि बेचकर मार्केटिंग एजेंसी के रूप में पुनर्निवेशित कर रहे हैं।

जोखिम प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोर बैंकिंग अनुप्रयोगों की सहायता हो सकती है। ये प्रणालियां जोखिम मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का खयाल रखती है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स के प्रयोग से विश्वास अर्हता/लॉयल्टी कार्यक्रम मॉनिटर और प्रबंधित किये जाते हैं।

एक खुश ग्राहक :

आज के अतिस्पर्धात्मक वातावरण में, बैंक ग्राहको को संभालने के प्रमुख मुद्दे का सामना कर रहे हैं। यदि सेवाओं का स्तर ग्राहक की अपेक्षा के अनुरूप न हो, तब यथा संभव ग्राहक अपना कारोबार दूसरे स्थान पर ले जायेगा। यहां पर ही ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) व्यवहार (अतिमहत्वपूर्ण) और सॉफ्टवेअर (प्रौद्योगिकी की तरफ से) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। CRM सोल्यूशन के लिये जाने से पहले, उन्हें अपने आप को एक सवाल पूछना चाहिये। अपने ग्राहक को वे कितनी अच्छी तरह जानते हैं? और इस हेतु, भूतकाल में कितने ग्राहक छोड़कर चले गये हैं? अथवा बैंकों द्वारा उपलब्ध की गई विभिन्न सेवाओं में से विद्यमान ग्राहक कितनों का उपयोग कर रहे हैं।

बैंकिंग में, पहले ही मार्केट में लाना यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि उत्पादों की शीघ्रता से नकल/कापी की जा सकती है। ग्राहक सेवा का स्तर महत्वपूर्ण रहता है। और केवल यहां पर CRM तकनीक और उपकरण आते हैं। CRM रणनीति का महत्वपूर्ण और प्रमुख भाग है अपने ग्राहक को बढ़िया सेवा प्रदान करना और इसमें प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। CRM एक ऐसा हतियार है जो आपको भावात्मक बनाकर अपने ग्राहक के साथ संबंध बनाता है। जैसे बैंक केंद्रीकृत हो जाते हैं वैसे बैंकों को इसकी प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होगी।

27.9 कोर बैंकिंग घटक :

एकत्रित कोर बैंकिंग ऐसे घटकों के रूप में कोर बैंकिंग की सुपुर्दगी की जाती है, जो संस्था की व्यक्तिगत व्यापारिक आवश्यकता नुसार बनाकर फीट किये जाते हैं। ये घटक, कारोबारी आवश्यकताओं में बदलाव के कारण आसानिसे पुनः गठित किये जा सकते है। जिससे संगठन नीतिगत निवेश को सुरक्षित रखा जा सकता है और समानीकृत/एकीकृत कारोबारी संकल्पना को बरकरार रखा जाता है।

कोर बैंकिंग घटकों में शामिल है :

- कोर बैंक वित्तीय संस्थागत संरचना (ढांचागत)
- कोर बैंक उत्पादों का विकास
- कोर बैंक ग्राहक प्रबंधन और ग्राहक विहंगमावलोकन
- कोर बैंक खाता प्रशासन
- कोर बैंक भुगतान
- कोर बैंक प्रबंध सूचना

कोर बैंकिंग लाभ : कोर बैंकिंग संस्थान को निम्नांकित महत्वपूर्ण लाभ दिला सकता है :

- संस्थान की ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) नीति को तगड़ा परिचालनगत ग्राहक डाटा बेस उपलब्ध कराकर ग्राहक प्रशासन को विकसित और बलशाली करना।

- सरल खाता प्रशासन के जरिये ग्राहक को मूल्य बचतवाली और सुधारित सेवा उपलब्ध कराना।

- फास्ट ट्रैक उत्पाद निर्मित घटक बनाकर पोर्टफोलिओ/संविभागीय वृद्धि मुहैया कराना जिससे, लचिले वित्तीय उत्पाद सृजित हो और विद्यमान बाज़ारी/मार्केट स्थिति के अनुरूप उत्पाद निर्मिती आत्मसात करनी होगी।

- उत्पाद विकसित करके मार्केट को गतिशील बनाना जिसमें खातों के प्रकारों की लंबी शृंखला ऑन लाइन व रियल टाइम हेतु उपलब्ध हो जाये।

- वृद्धिशील उत्पादकता उपलब्ध कराना और गलतियों को ऐसे घटकों से कम करना, जो जटिल फी और ब्याजदरों का स्वचालित परिकलन कर सकें।

- बहुभाषिक सहायता सहित मल्टी बैंक और एकल बैंक परिचालन मुहैया करना, जिससे विलय, अधिग्रहण और अन्य ब्रँडिग नीति के लिये सहायकारी हो जाये।

- मल्टी करेंसी परिचालनों का समर्थन।

- 24 X 7 परिचालनों के जरिये, वृद्धिंगत कारोबार और परिचालनात्मक कार्यक्षमता मुहैया कराना।

- परिचालनगत डाटा से लेखांकन और प्रबंध सूचना अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, और लाभप्रदता के विश्लेषण हेतु तैयार कीजिये।

- ढांचागत संरचना में सुसूत्रता लाने हेतु अवसर प्रदान करें। जिससे लागत में कमी, और परिचालन में लचीलापन बढें।

- डाटा संरचना और यूजर एक्जिट मुहैया कराये। जिससे कोर बैंकिंग कार्यकरण/सोल्यूशन बैंक विशेष की जरुरतों की सहायता करें। जिससे रखरखाव और अपग्रेडेशन लागत कम हो जाये।

सामान्य रूप से कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स की तकनिकी संरचना :

केंद्रीकृत डाटा सेंटर (हब) में एक शक्तिशाली सर्वर स्थापित किया जायेगा। प्रत्येक शाखा का शाखा सर्वर होगा। प्रत्येक शाखा में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिये एक टर्मिनल होगा और टर्मिनल शाखा सर्वर को जोडे जाएंगे और शाखा सर्वर केंद्रीकृत सर्वर (हब) से जोडे जाएंगे। मैजमान/होस्ट और शाखाएं एक डेडिकेटेड लाइन से जोडी जाएंगी।

प्रणाली लगानेवाला/लेयर :

- प्रस्तुतीकरण लेयर
- सुपुर्दगी लेयर
- फ्रंट एंड और ऑपरेटिंग प्रणाली के बीच इंटर फैस
- अनुप्रयोग/एप्लिकेशन लेयर
- सिस्टिम ट्रिगर्स द्वारा ड्रिवन पैरामीटर और पर्यावरण सेटिंग
- डाटा बेस लेअर
- इंटर फेसिस टू डाटा बेस, समुचित कॉल स्तर और भाषा का उपयोग कर

ट्रॅनझॅक्शन/संव्यवहार प्रोसेसिंग/प्रसंस्करण

- प्रायमरी अपडेट पद्धति
- सेकंडरी अपडेट पद्धत प्रमुखतः बाह्य संव्यवहार पोष्टिंग हेतु, जैसे वेतन के फाइल जो इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त किये जाते हैं अथवा टेप्स या डिस्क के माध्यम से।
- बैच प्रोसेसिंग का उपयोग मुख्य रूप से दैनिक ब्याज अद्यतन हेतु तथा सांख्यिकिय रिपोर्टों के लिये किया जाता है।

प्रायमरी अपडेट पद्धतियां ग्राहक से संबंधित परिचालनों से जुडी हुई होती है और इसमें निम्न शामिल है :

- ऑन लाइन प्रोसेसिंग :

- अधिकांश संव्यवहारों पर प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। उदाहरणों में शामिल है :

- लेखें और ग्राहक सृजन

- वित्तीय संव्यवहार

- पूछताछ

- रखरखाव

- आगे का ऑनलाइन प्रोसेसिंग

ऑनलाइन संव्यवहारों के प्रोसेसिंग हेतु अन्य रचना तंत्र/मैकॅनिजम हैं :

- ऑन लाइन डे जर्नल - आंतरिक संव्यवहार रिकार्ड पोस्टिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण - स्थायी स्टैडिंग ऑर्डर्स ।

- अनुरोधित कार्यक्रमों से भेजे जाते हैं। उदाहरण बैच इंटरेस्ट अपडेटिंग कार्यक्रम

ऑन लाइन प्रोसेसिंग - लाभ

- मूलभूत कार्य कतिपय क्षेत्रों में अलग रखे जाते हैं।

- लचिली प्रणाली अनुमत और बदलाव आसान होता है।

- संस्था की सभी प्रकार की आवश्यकताओं का खयाल रखा जाता है।

- संव्यवहार थ्रूपुट को अधिकतम किया जाता है।

- बैच प्रॉसेसिंग और डे एंड के लिये कोई डाऊन टाइम नहीं।

- संपूर्ण डाटा बेस और सभी संव्यवहार सदैव उपलब्ध होते हैं।
संव्यवहारों का प्रवाह, विस्तीर्ण रूप से उपयोगित कोर बैंकिंग सोल्यूशन बैंक - 24 TCS, नीचे प्रस्तुत किया गया है :

प्रयोगकर्ता को बैंकस् 24 में लॉग इन, शाखा में, यूजर ID और पासवर्ड के साथ करना पड़ता है। जहां प्रयोगकर्ता कार्यरत हो। एक बार यूजर बैंकस् 24 में लॉग इन करता है, विभिन्न संव्यवहार करने हेतु उसे विभिन्न मॉड्यूल्स में ॲक्सेस/प्रवेश दिया जाता है। नयी ग्राहक सूचना फाइलस् (CIF) का सृजन करने हेतु मॉड्यूल्स हैं - नये डिपॉजिट/लोन खाते, संव्यवहार पोस्टिंग-एकल तथा बैच पोस्टिंग, मल्टिपल पोस्टिंग हेतु फाइल अपलोड, और विभिन्न कार्यकरण। अन्य महत्वपूर्ण कार्यकरण में, खाते में चेकस् लॉग इन करना। क्लिअरिंग हाऊस परिचालन, सरकारी परिचालन, सेवा शाखा परिचालन, यूजर पासवर्ड मेंटेनन्स, दिन का आरंभ और दिन की समाप्ति इत्यादि शामिल हैं।

जब यूजर लॉग इन कर, संव्यवहार करता है, तब संव्यवहार मेकर चेकर कार्यकरण से गुजरता है। मेकर चेकर कार्यकरण को संक्षिप्त रूप में, यदि संव्यवहार टेलर, जो संव्यवहार आरंभ करता है यदि उसके प्राधिकार से ज्यादा हो तब, उसे पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाये, इस तरह परिभाषित किया जाता है। यह प्रणाली में कतार के जरिये प्रबंधित किया जाता है। एक बार टेलर द्वारा संव्यवहार आरंभ किया जाये, कतार/क्यू नंबर तैयार होगा और इसे प्रणाली में प्रदर्शित किया जायेगा, और पर्यवेक्षक जो क्यू को प्राधिकृत करेगा वह क्यू मैनेजमेंट मॉड्यूल में जायेगा, क्यू नंबर पिक अप करेगा और सामान्य

ऐतिहात बरतने के बाद संव्यवहार प्राधिकृत करेगा। एक बार क्यू प्राधिकृत हो जायेगा, संव्यवहार होस्ट को हिट करके सिस्टिम संव्यवहार को वैलिडेट करेगा, विशिष्ट खाते को डेबिट या क्रेडिट करेगा और प्रयोगकर्ता की शाखा को यह संदेश दिया जायेगा कि क्या संव्यवहार पूर्ण हुआ या नहीं प्रणाली खाता क्रमांक, खाते का शेष/बैलेंस, संव्यवहार करनेवाले टेलर का अधिकार, वैलिडेट कर देती है। और प्रॉडक्ट स्तर पर पैरामिटरीकृत वैलिडेशन यदि करना आवश्यक हो तो वैलिडेट किया जायेगा। संव्यवहार यदि शाखा स्तर पर किया जाता है, और प्रॉडक्ट स्तर की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो, या संव्यवहार करनेवाले अधिकारी/प्रयोगकर्ता के प्राधिकार से ज्यादा हो, तब संव्यवहार अस्वीकारा जायेगा। खाता अद्यतन नहीं हो सकेगा और शाखा को गलती का संदेश संक्षिप्त ब्यौरे के साथ लौटाया जायेगा।

संव्यवहारों का लेखांकन :

कोर बैंकिंग सोल्यूशनस् दो मूलभूत सॉफ्टवेअरों पर कार्य करता है। B@ncs24 और Finance 1। B@ncs24 सॉफ्टवेअर शाखाओं में/से किये जानेवाले सभी संव्यवहारों को संभालता है। Finance । सॉफ्टवेअर सामान्य बहि खाते में किये गये पोष्टिंगस् का खयाल रखता है। B@ncs 24 और Finance । के बीच के पोस्टिंग हेतु इंटर फेस को सारांश रूप से 'GLIF' (General Ledger Interface File) से जाना जाता है।

कोर बैंकिंग में लेखांकन निम्नानुसार होता है :

शाखा रु.1000/- के लिये ग्राहक A का खाता नामे और ग्राहक B का जमा करती है। तथापि सिस्टिम बैलसिंग खाता नामक मध्यस्थ खाते के जरिये संव्यवहार पोस्ट करती है जो निम्नानुसार है।

- ग्राहक A का खाते में रु. 1000/- नामे कर के बैलेसिंग खाता रु. 1000/- के लिये जमा किया जाता है।

- बैलेसिंग खाता रु. 1000/- के लिये नामे करके, ग्राहक B का खाते में रु. 1000/- जमा किये जाते है।

बैच संव्यवहारों में रु.10,000 का एक डेबिट और रु.1000 का क्रेडिट 10 विभिन्न खातो में। प्रत्येक संव्यवहार निम्नानुसार होगा। ग्राहक का खाता रु.10,000/- के लिये डेबिट और बैलेसिंग खाता रु. 10,000 के लिये क्रेडिट।

डेबिट बैलेसिंग खाता (10 बार @ रु. 1000/-) और व्यक्तिगत खाते रु. 1000 के लिये क्रेडिट किये जाते है।

आदर्श स्थिति में, बैलेसिंग खाता इसलिये अंतिम संव्यवहार 'शून्य' होना चाहिये तथापि, शाखाओं में ऐसी स्थिति बन जाती है जहां तकनिकी या अन्य कारणों से बैचिस फेल हो जाती हैं। यदि उपरोक्त उदाहरण में, रु. 1000/- के दोनों संव्यवहार पोष्ट नहीं हो जाते तब वे बैलेसिंग खाते में रह जायेंगे। अतः इस खाते में रु.2000/- का शेष रहेगा। इस प्रविष्टि को GLIF शेष कहा जाता है। विभन्न कारणों से संव्यवहार पोष्ट नहीं किये जा सकते हैं, प्रमुख कारण होता है कनेक्टिविटी फेल होना। इसी स्थितियों में अंतर/डिफरेन्स GLIF फाइल में आ जायेगा और शाखाओं को इन प्रविष्टियों को मॉनिटर करके संबंधित खाते में पलटना/रिवर्स करना होगा।

दिन की समाप्ति (EOD) और दिन का आरंभ (BOD) परिचालन :

EOD - शाखा स्तर पर :

उस दिन के संव्यवहार समाप्ति पर शाखा को EOD परिचालन करना होता है। यद्यपि पूरे बैंक के लिये, EOD केंद्रीकृत डाटा सेंटर पर किया जाता है, तथापि शाखा को EOD चेक यह जानने के लिये करना पड़ता

है कि क्या कोई संव्यवहार प्राधिकार हेतु लंबित/पेंडिंग है। एक बार शाखा में EOD किया जाये, तब शाखा के उपयोगकर्ताओं को संव्यवहार करने हेतु किसी मॉड्यूल में ॲक्सेस/प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन कतिपय सीमित मॉड्यूलों में जैसे 'खाता पूछताछ' में ॲक्सेस/प्रवेश मिलेगा।

BOD - शाखा स्तर पर :

दिन के संव्यवहार आरंभ करने हेतु शाखा को BOD परिचालन करना पड़ेगा। दिन के परिचालन आरंभ करने से पहले इसे करना पड़ेगा। BOD के बाद उपयोगकर्ता को ॲक्सेस/प्रवेश पूरे मॉड्यूल के लिये मिलेगा ताकि वे संव्यवहार कर सकेंगे।

EOD - केंद्रीय डाटा सेंटर स्तर पर :

EOD परिचालन CDC सेंट्रल डाटा सेंटर में 10 बजे आरंभ होगा। EOD का आरंभ समय ऐसे रखा जाता है, ताकि सभी शाखाएं प्रतिदिन रात 10 बजे तक दैनिक संव्यवहार पूरे/समाप्त कर सकती है। EOD के आरंभ से पहले शाखाएं होस्ट से अलग की जाती हैं। ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि शाखाएं EOD के आरंभ पर नहीं कर सकें। EOD के दरम्यान दैनिक बैक ॲप लिया जाता है। यह बताना इस संदर्भ में आवश्यक है कि पूरे बैंक के लिये डाटा CDC (केंद्रीय डाटा सेंटर) में स्टोर/संग्रहित किया जाता है। EOD प्रक्रिया दैनिक संव्यवहारों के सभी अपडेशन, रिपोर्ट जनरेशन इत्यादि कार्य करती है। एक बार EOD पूरा किया जाता है, तब दिन के शुभारंभ (SOD) प्रक्रिया CDC स्तर पर की जाती है। SOD प्रक्रिया, ATM के सभी संव्यवहार जो EOD प्रक्रिया के चलते हो गये होंगे, को पूरा कर देती है। एक बार SOD प्रक्रिया पूरी हो जाये, शाखाओं को प्रणाली में ॲक्सेस/प्रवेश मिल सकेगा। EOD/SOD प्रक्रिया सभी शाखाओं के लिये एक समेकित अंतराल में, जिस में 7 से 8 घंटे लगते है, की जाती है।

27.10 सूचना सुरक्षा :

संगठन के प्रत्येक कर्मचारी का सूचना सुरक्षा के प्रतिदायित्व है। बैंक की सूचना आस्तियों की हिफाजत करने का दायित्व जैसे सभी कर्मचारियों का है वैसे ही, डाटा की सुरक्षा का भी। इस विषय में बैंक की स्वीकृत नीतियों के बारे में अपने आपको अवगत करना और उनका अनुपालन करना कर्मचारियों के लिये जरुरी है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन सूचना सुरक्षा के विभिन्न पहलूओं का खयाल रखते हैं। सूचना सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है उसका संक्षिप्त नोट नीचे दिया है :

सूचना प्रणाली सुरक्षा क्या है?

जहां कारोबार को क्रियान्वित करने का सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण घटक है ऐसे संगठन की सुरक्षा प्रबंध के लिये सूचना प्रणाली सुरक्षा आवश्यक सूचना उपलब्ध कराती है। मुख्यतः वह सभी ऐसे स्टाफ के लिये है जो प्रथम श्रेणी समर्थन/सपोर्ट हेतु दैनिक सिक्युरिटी पॉसिली/नीतियां पद्धतियां, मानक, और प्रथाओं के लिये जिम्मेदार है। इसमें शामिल है :

- अक्सेस कंट्रोल सिस्टिमस् और मेथोडॉलॉजीस्
- कम्प्यूटर ऑपरेशनस् सिक्योरिटी
- ई मेल व इंटरनेट ॲक्सेस
- ॲप्लिकेशन और सिस्टिम डेवलपमेंट
- बिजीनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग
- टेलीकम्यूनिकेशन और नेटवर्क सिक्योरिटी
- फिजिकल सिक्योरिटी

- क्रिप्टोग्राफी

- सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रॅक्टीसीस

- लॉ, इनवेस्टिगेशन और एथिक्स

पीसीज् और लैपटॉप के यूसेज हेतु स्टैडर्ड प्रॅक्टीसीस :

डेस्कटॉप और लैपटॉप कम्प्यूटर यूजर्स के लिये स्वीकृत यूसेज प्रॅक्टीसीस निम्नानुसार है :

1. प्रयोगकर्ता अपने डेस्कटॉप की सुरक्षा हेतु जिम्मेदार है, और उन्हें अपने डेस्कटॉप के लॉजिकल और फिजिकल ॲक्सेस को रोकने हेतु पर्याप्त उपाय करने चाहिये।

2. बैंक के दिशानिर्देशानुसार, हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर का कॉनफ्युगरेशन/ संरुपण सुरक्षा युक्त होना चाहिये। सेक्युअर कॉनफ्युग्रेशन का अर्थ है एनेबलिंग ऑटो एंटी वायरस अपडेट, एन-बलिंग फायरवॉल्स (जहां ऑपरेशन प्रणाली द्वारा अनुमत हो) एनफोर्सिंग पासवर्ड, डिसेवलिंग मॅक्रोस, डिफाल्ट के जरिये, पॅच मॅनेजमेंट (सॉफ्टवेअर अपडेटस्) या इस प्रकार का अन्य कोई कॉनफिगरेशन स्टैडर्ड, जिसे समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा।

3. यूजर को, कोई भी हार्डवेअर कॉनफिग्युरेशन में सेटिंग इन ऑपरेशन्स प्रणाली या डेस्कटॉप पर स्थापित किसी ॲप्लिकेशन में बदलाव नहीं करना चाहिये। यदि यूजर कोई बदलाव हार्डवेअर में आवश्यक समझता है (जैसे CD-ROM ड्राइव ॲटॅच करना या सिस्टिम मेमोरी को बढ़ाना) या सॉफ्टवेअर की सेटिंग में, तब उन्हें संबद्ध EDP_S से संपर्क करना होगा। यूजर द्वारा वांछित हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर में कोई बदलाव, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वेटेड/विधीक्षित होना जरुरी है।

4. यूजर को अपने डेस्क टॉप पर कोई सॉफ्टवेअर या ॲप्लिकेशन स्थापित नहीं करना चाहिये जो बैंक के कारोबार के लिये जरुरी न हो या प्राधिकृत न हो। यूजर्स को यदि अतिरिक्त सॉफ्टवेअर की आवश्यकता हो, तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका वेटिंग/विधीक्षा किये जाने पर ही इन्हें स्थापित किया जायें।

5. उचित प्राधिकारी द्वारा जबतक अनुमोदित नहीं किया जाता है यूजर्स को अपने मशीन को कोई मॉडेम नहीं जोड़ना है। इंटरनेट सहित बाहरी नेटवर्क से ॲक्सेस, मोडेम का उपयोग, पूरे नेटवर्क को अनेक जोखिमों के प्रति एक्सपोज/अनरक्षित कर देता है।

6. चयनित पासवर्डस् 8 कैरेक्टर्स के जिसमें अक्षर और अंकों का मिश्रण होना चाहिये। आवधिक तौर पर, कम से कम महीने में एक बार पासवर्ड बदलने चाहिये।

7. **सुरक्षा के उपाय :**

अप्राधिकृत ॲक्सेस/प्रवेश की जोखिम से बचने के लिये, यूजर्स को निम्नांकित उपाय अपनाने होंगे।

(क) सभी ॲप्लिकेशन्स को लॉग आउट करें, या डेस्कटॉप बंद करें यदि, विस्तारित अवधि के लिये डेस्क टॉप को कार्य किये बिना छोड़ना होगा।

(ख) थोडे से समय के लिये डेस्कटॉप पर कार्य न करना हो तब अप्राधिकृत ॲक्सेस से बचने हेतु, पासवर्ड सुरक्षा सहित स्क्रीन सेवर को एनेबल कीजिये।

(ग) कोअर बैंकिंग प्रयोगकर्ताओं के लिये, संव्यवहारों के मध्य टर्मिनल को छोड़कर नहीं जाना चाहिये।

(घ) अन्य प्रयोग कर्ताओं के साथ, नेटवर्क पर, डेस्कटॉप पर फोल्डर्स शेयरिंग डिसेबल कीजिये।

पासवर्ड प्रबंधन नीति :

1. पासवर्ड का यूसेज/प्रचलन :

कर्मचारी (प्रयोक्ता) अपने कम्प्यूटर खातों से आरंभ होनेवाली सभी गतिविधियों के लिये जिम्मेदार होंगे। प्रथम स्तर के सुरक्षा उपाय के तौर पर, वैध पासवर्ड के जरिये, केवल अधिप्रमाणन पर ही किसी सूचना प्रणाली को ॲक्सेस अनुमत होगा यह दोनों स्तरों पर अर्थात आपरेटिंग तथा ॲप्लिकेशन सिस्टीम पर लागू होगा। प्रयोक्ताओं को इसलिये अच्छा पासवर्ड प्रबंधन के जरिये, अपने खातों की गोपनियता को सुरक्षित रखना होगा और उनके खातों के परिचालनार्थ अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को अनुमति नहीं देनी है।

2. पासवर्ड का निर्माण :

प्रयोक्ता ऐसे पासवर्डस् का चयन करता है, जो याद रखने के लिये आसान लेकिन अंदाजा लगाने हेतु कठिन हो, पासवर्ड निर्मिती के लिये कुछेक मार्गदर्शी तत्व इस प्रकार है।

- स्वयं का नाम, स्वयं के नाम का शॉर्ट फार्म, स्वयं के आद्याक्षर। परिवार के नाम, मित्र, सहकर्मी, कंपनी या सुप्रसिद्ध चरित्रों का प्रयोग न किया जायें।

- व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्मतिथि - पता, टेलीफोन नंबर इत्यादि का उपयोग न किया जाये।

- अंग्रेजी शब्ठावती के समान/साधारण शब्दों का प्रयोग न किया जायें।

- शब्द या नंबर पैटर्न जैसे aaabbb, awerty,zywvuts, 123321 इत्यादि का प्रयोग न किया जाये।

- उपर्युक्त सभी शब्द जिनके पूर्व या बाद में डिजिट/अंक हो। (जैसे secret1, 1secret) प्रयोग में न लाये जाये।

- मज़बूत पासवर्ड की लंबाई न्यूनतम 8 कैरेक्टर की होगी और इसका निर्माण अंकों के मिश्रण से किया जाये (123 इत्यादि) विशेष कैरेक्टर्स (! @ # $ इत्यादि) और कैपिटल अक्षर (ABC आदि)

- जटिल लेकिन याद रखने हेतु आसान पासवर्ड बनाने का एक तरीका है। परिचित शब्द या शब्द समूह को लेकर उसे अंकों, विशेष कैरेक्टर्स, और कैपिटल अक्षरों का प्रयोग कर (पासवर्ड) में तबदील कीजिये।

3. पासवर्ड की सुरक्षा :

(क) प्रयोक्ता को अपने पासवर्ड को सहकर्मी, और आयटी स्टाफ सहित किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिये। प्रयोक्ता को दूसरों से भी (ग्राहक, सहकर्मी सहित) उनके पासवर्डस् नहीं पूछने हैं। सभी पासवर्ड संवेदनशील गोपनीय सूचना माने जाने चाहिये। यदि किसी अपरिहार्य कारण से शेयर करना जरुरी हो, तब यह खबरदारी ली जाये कि पासवर्ड के मालिक द्वारा अगले लॉग इन समय उसे बदला जाये।

(ख) प्रयोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पासवर्ड सिस्टीम में दर्ज/ एंटर करते समय उसे कोई न देखता हो, जब दूसरे पासवर्ड अपने सिस्टिम में दर्ज/एंटर करते हों, तब प्रयोक्ता को वहां नहीं देखना है।

(ग) प्रयोक्ता को पासवर्ड की लिखित कापी (कागज या इलेक्ट्रॉनिक फार्म) सहजता से प्राप्य स्थान पर नहीं रखनी चाहिये। यदि पासवर्ड को लिखना जरुरी है, तब सुनिश्चित करें कि ये सुरक्षितता पूर्वक संग्रहित

किये पाये और ये मास्कर्ड/नकाबी या स्क्रॅम्बल्र्ड बिखरे किये जाये (उदाहरणार्थ पासवर्ड के एक या अधिक कैरेक्टर बदले जाये)

(घ) प्रयोक्ताओं को अपने पासवर्ड नियमित रूप से बदलने चाहिये। जबकि कुछेक ॲप्लिकेशनस् पासवर्ड बदलाव और प्रयोक्ता पर जटीलता को अपने आप लागू कर देंगे, लेकिन इन्हें सभी खातों और सभी ॲप्लीकेशन्स के लिये लागू करना व्यवहार्य नहीं होगा। प्रयोक्ताओं को निम्नांकित में से किसी एक परिस्थितियों में अपने पासवर्ड बदलने ही होंगे।

- 30 दिन में एक बार

- जैसा सिस्टिम के जरिये प्रभावी हो (ॲप्लिकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टिम)

- दूसरे किसी से पासवर्ड शेयर किया गया हो।

- जब पासवर्ड पर समझौता (काम्प्रोमाइज) किया गया हो।
  अथवा पासवर्ड पर समझौता किये जाने की आशंका बनी जाने के बाद, यथा संभव।

(च) जिन प्रयोक्ताओं को स्मार्ट कार्ड के प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया गया हो, अथवा प्राइवेट कीज् उन्हें सावधानीपूर्वक सुरक्षा प्रदान करती जाये क्योंकि इस पर समझौते का विस्तृत प्रशासन संभव हो सकता है।

केंद्रीकृत डाटाबेस सहित संपूर्ण कम्पूटरीकृत वातावरण निर्मिती हेतु बैंक आगे बढ़ रहे है। इसके लिये कोर बैंकिंग सोल्यूशन का उपयोग किया जा रहा है।

टर्मिनल प्रश्न :

8. कोर बैंकिंग सोल्यूशन पर संक्षिप्त नोट लिखिये।

9. सूचना सुरक्षा पर संक्षिप्त नोट लिखिये।

इकाई 20 : अपूर्ण रिकार्डों से लेखांकन

(एकल प्रविष्टि प्रणाली)

रूपरेखा/संरचना

20.1 उद्देश्य

20.2 प्रस्तावना

20.3 प्रमुख बातें/घटक/विशेषताएं

20.4 एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत लाभ का परिकलन

20.5 कार्य का विवरण तैयार करना

टर्मिनल प्रश्न

20.1 उद्देश्य :

एकल प्रविष्टि पुस्तक पालन/हिसाब-किताब प्रणाली को समझना और लाभ और हानि खाता तथा कार्य का विवरण अपूर्ण रिकार्ड से तैयार करना।

20.2 प्रस्तावना :

एकल प्रविष्टि प्रणाली की परिभाषा है वह प्रणाली जो सही प्रकार से दोहरा प्रविष्टि प्रणाली नहीं है। दूसरे शब्दों में एकल प्रविष्टि प्रणाली में निम्न का समावेश होगाः-

(1) कतिपय संव्यवहारों के लिये जैसे ऋणकों (देनदार) से प्राप्त नकदी, धनको (लेनदार) को दी गई नकदी इत्यादि।

(2) कुछेक संव्यवहारों के विषय में एकल प्रविष्टि जैसे नकदी में खरीद, नकदी बिक्री, किये गये खर्चे, अचल आस्तियों की खरीद, इत्यादि

(3) कतिपय संव्यवहारों के लिये कोई प्रविष्टि नहीं जैसे मूल्यह्रास, अशोध्य ऋणों इत्यादि।

अतः व्यापार एकल प्रविष्टि प्रणाली तब प्रयोग में लाता है जब, वह पूर्ण रूप से दोहरा प्रविष्टि प्रणालीवाला हिसाब-किताब/पुस्तकपालन का अनुसरण नहीं करता हो। कोहलर ने एकल प्रविष्टि प्रणाली की परिभाषा की है। पुस्तक पालन/हिसाब किताब की ऐसी प्रणाली, जिसमें, नियमानुसार,नकदी और व्यक्तिगत खातों के रिकार्ड रखे जाते हैं, परिस्थिति के अनुसार हमेशा चल/बदलती, दोहरा प्रविष्टि है।

20.2 प्रमुख बातें/घटक/विशेषताएं :

एकल प्रविष्टि प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार कही जा सकती हैं :

(1) व्यक्तिगत खातों का रखरखाव :

सामान्यतः इस प्रणाली के तहत, व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं जबकि वास्तविक/रियल और सांकेतिक/ नॉमिनल खातों को टाला जाता है। इसी कारण से कुछ लेखाकार इसे ऐसी प्रणाली मानते हैं जहां केवल व्यक्तिगत खाते ही रखे जाते हैं।

(2) नकद बही का रखरखाव :

नकद बही रखी जाती है, जो आमतौर पर दोनों व्यक्तिगत और व्यापारिक संव्यवहारों का मिश्रण होती है।

(3) मूल वाऊचर्स पर निर्भरता :

आवश्यक जानकारी को बटोरने हेतु हर एक को मूल वाऊचर्स पर निर्भर रहना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, उधार खरीद का आंकड़ा उपलब्ध सहजतासे नहीं हो सकता हो, आपूर्ति कर्ता से प्राप्त मूल बीजक (इनवॉइस) के आधार पर उसका पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार, किसी विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर बिक्री का कुल आंकडे का बीजकों के आधार पर पता लगाया जा सकता है, जिसे कारोबार से समय-समय पर जारी किया गया हो।

(4) एकरूपता का अभाव :

व्यक्तिगत आवश्यकताओं, और सुविधाओं के अनुसार यह प्रणाली फर्म-वार अलग हो सकती है।

(5) उपयुक्तता :

यह प्रणाली लघु प्रोप्रायटरी या साझेदारी फर्म के लिये उपयुक्त होगी। कानूरी जरुरतों के अनुसार लिमिटेड कंपनियां इसे नहीं अपना सकती है।

20.3 परिसमापन/सीमाएं :

निम्न सीमाओं का असर प्रणाली पर पड़ता है।

(1) अंकगणितीय सटीकता जांची नहीं जा सकती -

दोहरा प्रविष्टि हिसाब किताब प्रणाली के विषय में, लेखा बहियों की अंकगणितीय सटीकता जांचने हेतु ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। यह संभव इसलिये है क्योंकि प्रत्येक संव्यवहार दो स्थानों पर रिकार्ड किया जाता है। एकल प्रविष्टि प्रणाली में इसे नहीं किया जाता है। इसलिये, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जा सकता और अंकगणितीय सटीकता नहीं जांची जा सकती है। इससे धोखाधडी और दुर्विनियोजन की संभावनाएं , दोहरा प्रविष्टि प्रणाली की तुलना में बढ़ जाती हैं।

(2) सही लाभ का पता नहीं चलता है :

बिक्री खरीद और अन्य खर्चे के लिये पूरी जानकारी के अभाव में, लाभ और हानि खाता तैयार करना संभव नहीं हो पाता है। अतः व्यवसाय द्वारा अर्जित सही लाभ या हुई हानि को जाना नहीं जा सकता है।

(3) व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता है:

लाभ और व्यवसाय की आस्तियों और देयताओं विषयक सही जानकारी के अभाव में, किसी विशिष्ट तारीख को तुलन पत्र नहीं तैयार किया जा सकता है, जिससे व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति का चित्र नहीं दिखाया जा सकता है।

(4) आयोजना और निर्णय क्षमता कठिन बन जाती है :

व्यवसाय का कार्य निष्पादन और उसकी वित्तीय स्थिति की सही जानकारी प्रणाली नहीं दे सकती है। उदाहरणार्थ, सकल लाभ, शुद्ध लाभ, और बिक्री के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिये सकल लाभ का बिक्री से अथवा शुद्ध लाभ का बिक्री से अनुपात नहीं निकाला जा सकता है। इसीतरह, बिक्री किये गये माल की लागत की जानकारी के अभाव में, बिक्री की लागत के विभिन्न घटकों

का अनुपात का पता नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह की जानकारी के अभाव में, व्यवसाय के मालिक के लिये वित्तीय स्थिति तथा लाभप्रदता में सुधार, या अवनति के कारण नहीं जाने जा सकते हैं। अतःएव वह अपने व्यवसाय की समृद्धि विषयक अच्छा/सुयोग्य निर्णय, तुलना, या आयोजन नहीं कर सकता है। यदि उसे अपना कारोबार बेच डालना हो तब उसे अपने व्यवसाय के सही/वास्तविक मूल्य का पता लगाना कठिन हो जायेगा।

20.4 एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत लाभ का परिकलन :

एकल प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत, लाभ या हानि की गणना, किसी कारोबार के लिये दो पद्धतियों से की जा सकती है :

(1) निवल हैसियत पद्धति और
(2) परिवर्तन/कनवर्जन पद्धति

(1) निवल हैसियत पद्धति :

इस पद्धति के अनुसार, किसी कारोबार द्वारा किया गया लाभ या हानि का परिकलन दो अलग तारीखों को कारोबार की निवल हैसियत (या पूंजी/कैपिटल) की तुलना से किया जाता है। उदाहरणार्थ : यदि किसी कारोबार की पूंजी दि. 01.01.92 और 31.12.92 को क्रमशः रु. 80,000/- और रु.90,000/- होगी। तब यह कहा जा सकता है कि कारोबार ने इस अवधि के दौरान रु.10,000/- का लाभ अर्जित किया।

समायोजन :

इस पद्धति विषय में, लाभ का निर्धारण करने के लिये निम्न समायोजन करने पड़ेंगे।

(1) आहरणों के लिये समायोजन :

मालिक अपने निजी उपयोग के लिये कारोबार से रकम निकालेगा। इस तरह के आहरण के अभाव में, लेखा समाप्ति की अवधि पर उसके द्वारा आहरित रकम इतना उसका कैपिटल/पूंजी बढ़ जायेगा। अतः उस तारीख को उसके सही कैपिटल/पूंजी का पता लगाने हेतु आहरण की रकम को पूंजी/कैपिटल में जोड़ना पडेगा।

(2) नये कैपिटल/पूंजी का समायोजन :

लेखा वर्ष के दरम्यान मालिक कारोबार में ज्यादा कैपिटल/पूंजी जोड सकता है। इससे मालिक का कैपिटल/पूंजी बढ़ जायेगा। अतएव ज्यादा लाया गया कैपिटल/पूंजी को, मूल पूंजी से घटाना पड़ेगा। जिससे वर्ष के दौरान मालिक द्वारा लाभार्जन के जरिये कैपिटल/पूंजी में जो वृद्धि हुई है उसे लेखा के लिये निर्धारित किया जायेगा।

उदाहरण :

एक प्रविष्टि पद्धति के अंतर्गत मेसर्स SKS लेखा बहियां रखते हैं। निम्न जानकारी उपलब्ध है :

(क) बिक्री और खरीद की नीति :

वर्ष 2001 के दौरान कुल बिक्री रु. 6,00,000/- 2001 के अर्ध वर्ष के दौरान बिक्री की मात्रा पहले अर्ध वर्ष का $^{1}/_{3}$ थी। उधार बिक्री की मात्रा, वर्ष के दौरान कैश/नकद बिक्री के दोहरा/दो गुना थी।

(ख) ऋण नीति :

क्लोजिग डेटर्स अंतिम दो महीनों की बिक्री दर्शाते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर अंतिम 3 महीनों की खरीद दर्शाते हैं।

(ग) मूल्य नीति :

उधार बिक्रि के लिये 10% के लाभ पर माल बेचा गया। बिक्री के 5% लाभ के आधार पर नकदी बिक्री की कीमत थी।

(घ) माल की नीति :

पहले दो महीनों की आवश्यकता आरंभिक माल/स्टॉक के रूप में थी। जबकि अंतिम महीने की जरुरत लेखा बंदी/क्लोजिंग स्टाक के रूप में थी।

उपर्युक्त विवरण से निम्न निर्धारित करें :

1. आरंभिक स्टॉक 01.01.2001 को।

2. क्लोजिंग/लेखाबंदी का स्टॉक 31.12.2001 को।

3. 2001 के दौरान कुल खरीद और

4. क्लोजिंग डेटर्स और क्रेडिटर्स दि. 31.12.2001 को।

उत्तर :

मूलभूत परिकलन

1. नकद और उधार बिक्री (1 : 2)

नकद बिक्री $^{1}/_{3}$ रु. 6,00,000/- का = रु. 200,000

उधार बिक्री $^{2}/_{3}$ रु. 6,00,000/- का $^{2}/_{3}$ = रु. 4,00,000

2. पहले और दूसरे अर्ध वर्ष में बिक्री :

		पहला अर्ध वर्ष		**दूसरा अर्ध वर्ष**	**कुल**
नकद	$^{3}/_{4}^{th}$	1,50,000	$^{1}/_{4}^{th}$	50,000	2,00,000
उधार	$^{3}/_{4}^{th}$	3,00,000	$^{1}/_{4}^{th}$	1,00,000	4,00,000
		4,50,000		**1,50,000**	**6,00,000**

(1) 01.01.2001 को आरंभिक स्टॉक (माल)

पहले 2 महीनों की कुल बिक्री, $^{1}/_{3}$ रु. 4,50,000 का $^{1}/_{3}$ = 1,50,000 (जनवरी, फरवरी 2001)

(क) नकद बिक्री रु, 1,50,000/- का $^{1}/_{3}$ = रु. 50,000

घटाएं लाभ मार्जिन @ 5% बिक्री पर	रु. 2,500	
बेचा गया माल का मूल्य		47,500

(ख) उधार बिक्री रु. 15,000/- का $^{2}/_{3}$ = रु. 1,00,000

घटाएं लाभ मार्जिन @ 10%	रु. 10,000	
बेचा गया माल - मूल्य		90,000
कुल आरंभिक स्टॉक 01.01.01 को		1,37,500

(2) 31.12.2001 को लेखाबंदी स्टॉक (माल)

अंतिम महीनें में कुल बिक्री - रु.1,50,000/- का $^{1}/_{6}$ = 25,000/- (दिसंबर 2001)

(क) नकद बिक्री रु, 25,000/- का $^{1}/_{3}$ = रु. 8,333

घटाएं लाभ मार्जिन @ 5% बिक्री का	रु. 417	
		7,916

(ख) उधार बिक्री रु. 25,000/- का $^{2}/_{3}$ = रु. 16,667

घटाएं लाभ मार्जिन @ 10% बिक्री का	रु. 1,667	
		15,000
कुल लेखाबंदी स्टॉक लागत पर		22,916

(3) 2001 के दौरान कुल खरीद :

2001 के दौरान		6,00,000
घटाएं बिक्रीकृत माल पर लाभ		
रु. 2,00,000 का 5% = रु. 10,000		
रु. 4,00,000 का 10% = रु. 40,000	50,000	
		5,50,000
जोडिये लेखाबंदी स्टॉक		22,916
		5,72,916
घटाएं आरंभिक स्टॉक		1,37,500
2001 दौरान कुल खरीद		4,35,416

(4) 31.12.2001 को क्लोजिंग डेटर्स और क्रेडिटर्स :

(क) क्लोजिंग डेटर्स :

2 महीनों के लिये कुल उधार बिक्री = रु. 1,00,000/- का $^{1}/_{3}$ = 33,333 (नवंबर 2001 - दिसंबर 2001)

(ख) क्लोजिंग क्रेडिटर्स :

पिछले 3 महीनों के दौरान कुल खरीद = 4,35,416 का $^{1}/_{4}$ = 1,08,854 (अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर 2001)

(2) कनवर्जन/रूपांतरण पद्धति :

किसी कारोबार के परिचालनगत परिणामों का सुस्पष्ट चित्र, उपरोक्त पृष्ठों में बतायी गई नेट वर्थ पद्धति से नहीं लगता है। वह कारोबार की बिक्री, खरीद, सकल लाभ और परीचालित खर्चे की जानकारी नहीं दे सकता है। इसके परिणाम स्वरूप, वित्तिय विवरणों का अर्थपूर्ण विश्लेषण नहीं किया जा सकता और नहीं व्यवसाय की वित्तीय स्थिति सुधारने प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। अतः इस प्रकार की जानकारी लेखा बहियों से तथा कारोबार का ट्रायल बैलेंस तैयार करने हेतु अन्य स्रोतों से संग्रहित करना बेहतर होगा। यह टोटल डेटर्स खाता, टोटल क्रेडिटर्स खाता, बिल्स् रिसिवेबल खाता, बिल्स पेएबल खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाता इत्यादि से डबल एंट्री के आधार पर तैयार करना होगा। अलग खर्चे से संबद्ध खाते, प्राप्तियां मियादी/अचल आस्तियां और देयताएं और बकायाएं भी प्राप्तियां और खर्चे के खाते तथा अतिरिक्त जानकारी से तैयार किये जा सकते हैं। इस तरह विभिन्न खातों के लेखा बंदी शेष निकालकर ट्रायल बैलेन्स तैयार किया जा सकता है। अंतिम लेखे उसके बाद सामान्य तरीके से तैयार किये जा सकते हैं। डबल एंट्री प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप सूचना संग्रहित करनेवाली पद्धति को रूपांतरण पद्धति कहा जाता है।

20.5 सिंगल एंट्री के अंतर्गत कार्य का विवरण तैयार करना :

किसी विशिष्ट तारीख को कारोबार की आस्तियों और देयताओं के विवरण देने को कार्य का विवरण कहते हैं। तथापि डबल एंट्री बुक किपिंग में आस्तियों और देयताओं के विवरण को तुलन-पत्र कहा जाता है। जहां शेष/बैलेंस खाता बहियों से लिया जाता है। सिंगल एंट्री प्रणाली में स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स की आस्तियां और देयताएं यह आवश्यक नहीं लेजर्स से, संव्यवहारों को अपूर्ण रूप से रिकार्ड किये जाने के कारण नहीं लिये गये हो। इसके अलावा, तुलन पत्र कारोबार की सही वित्तीय स्थिति दर्शाने के लिये उपयोग में लाये जाते हैं। सिंगल एंट्री प्रणाली में, ऐसा स्टेटमेंट बनाना संभव नहीं हो सकता जो, कारोबार

की सही वित्तीय स्थिति बता सके क्योंकि अलग स्रोतों से प्राप्त जानकारी में केवल लेखा बहीयां ही शामिल नहीं है किंतु अन्य स्रोत जो शतप्रतिशत विश्वसनीय नहीं होते है। उदाहरणार्थ : आहरण के लिये अनुमान कारोबार के मालिक के उपजिवीका के खर्च पर लगाया जाता है और अनुमानित खर्चों के आधार पर भी, जो उसकी ओर से किये गये हों।

कार्य का विवरण बनाने हेतु उठाये जानेवाले कदम :

कार्य का विवरण बनाने हेतु निम्नांकित कदम उठाए जाने चाहिये :

(1) अधिकांश सिंगल एंट्री प्रणाली में कैश बुक रखा जाता है। यदि ऐसा किया गया हो, कैश और बैंक शेष/बैलेंस कैश बुक से लिये जा सकते हैं। उचित कैश बुक के अभाव में, कारोबार के मालिक से संग्रहित जानकारी के अनुसार रिसीट और पेमेंट खाते तैयार करके कैश बैलंस निकाला जा सकता है, और मालिक द्वारा डेटरों और क्रेडिटरों से प्राप्त विवरण के आधार पर भी कैश बेलेंस निकाला जा सकता है। अन्य कारोबारी खर्चे की जानकारी, कर्मचारी वेतन रजिस्टर, पेटी कैश बुक, यदि रखा गया हो, इत्यादि से निकाली जाती है तथा व्यवसाय के वास्तविक कैश बेलेंस से निकाली जाती है। बैंक बैलेंस बैंक के पास बुक या बैंक द्वारा जारी किये गये स्टेटमेंट से सत्यापित किया जा सकता है।

(2) विविध क्रेडिटर और डेटर्स की सूची बनायी जानी चाहिये। अधिकांश मामलों में यह कठिन नहीं होता, व्यक्तिगत खातों का रिकार्ड सिंगल एंट्री प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है।

(3) अचल आस्तियों जैसे बिल्डिंग प्लांट, फर्निचर इत्यादि का मूल्य निर्धारण कारोबार में उपलब्ध वाऊचर्स और अन्य दस्तावेजों से किया जाना चाहिये। मूल्यह्रास के लिये सुयोग्य/ज्यायज प्रभार लगाया जाना चाहिये और मूल्यह्रास प्रभारित करने के बाद आस्तियां स्टेटमेंट ऑफ ॲसेट में दिखानी चाहिये।

(4) स्टॉक का प्रत्यक्ष/मानवीय सत्यापन किया जाना चाहिये और आपूर्तिकर्ताओं से, माल की खरीद हेतु समय-समय पर प्राप्त बीजकों से स्टॉक के मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिये।

(5) बकाया खर्चे और उपचित आय की रकम का निर्धारण किया जाना चाहिये। इस संबंध में इन घटकों से संबद्ध पिछले वर्ष के आंकडें अच्छी खासी मदद दे सकते हैं।

(6) आस्तियों का देयताओं के ऊपर के अधिक्य का पता लगाकर, इससे हैसियत या जिस दिन को स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स बनाना होगा उस दिन का बिजिनेस कैपिटल दर्शाया जा सकता है।

उदाहरण :

निम्नांकित जानकारी से 31.12.1989 के समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा और तुलन पत्र तैयार कीजिये।

आस्तिया और देयताएं	**01.01.89 रु.**	**31.12.89 रु.**
विविध आस्तियां	18000	20000
स्टॉक	14000	19000
हाथपर कैश	8200	4800
बैंक में कैश	2250	8000
डेटर्स/देनदार	?	26000
क्रेडिटर्स/लेनदार	12000	9800
विविध खर्चे बकाया	1000	600

वार्षिक संव्यवहारों से संबद्ध ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष की प्राप्तियां, डेटर्स के खाते में जमा डिस्काउंट	2,45,000
डेटर्स से रिटर्न	6,000
अशोध्य ऋण	1,000
बिक्री-कॅश और उधार	3,00,000
क्रेडिटर्स से रिटर्न	3,000
क्रेडिटर को चेक से भुगतान	2,36,000
डेटर्स से प्राप्तियां - बैंक में जमा	2,43,000
नकद खरीद	10,000
बैंक के बाहर भुगतान किया गया वेतन व मजदूरी	18,000
नकदी में अदा किये विविध खर्चे	5,000
नकदी में आहरण	9,400
चेक से विविध आस्तियों से खरीद	2,000
बैंक से नकदी का आहरण	21,000
बैंक में जमा किया गया नकदी सेल्स	?
क्रेडिटर्स द्वारा अनुमत डिस्काऊंट	4,000

लाभ और हानि खाता
31 दिसंबर 1989 समाप्त वर्ष के लिये

विवरण		**रकम**	**विवरण**		**रकम**
नामे आरंभिक स्टॉक		14000	जमा बिक्री	300000	
नामे खरीदे	251000		घटाएं रिटर्न	6000	294000
नामे घटाएं रिटर्न	3000	248000	जमा लेखाबंदी स्टॉक		19000
नामे वेतन और मजदूरी		18000	जमा डिस्काउंट		4000
नामे विविध खर्चे		4600			
नामे डिस्काउंट्स		2000			
नामे अशोध्य ऋण		1000			
नामे शुद्ध लाभ पूंजी खाते में अंतरित		29400			
		317000			**317000**

तुलन पत्र
31 दिसंबर 1989 को

देयताएं		रकम	आस्तियां	रकम
पूंजी			विविध आस्तियां	20,000
आरंभिक शेष	47400		स्टॉक इन ट्रेड	19,000
जोडिये लाभ	29400		विविध डेटर्स	26,000
	76800		बैंक में कैश	8,000
घटाएं आहरण	9400	67400	हाथ पर रोकड	4,800
विविध क्रेडिटर		9800		
विविध खर्चे बकाया		600		
		77800		**77800**

कार्यकारी नोटस् :

(1) 31 दिसंबर 1988 का तुलन-पत्र

देयताएं	रकम रु.	आस्तियां	रकम रु.
विविध क्रेडिटर	12000	विविध आस्तियां	18000
विविध खर्चे	1000	विविध डेटर्स/देनदार	18000
पूंजी	47400	स्टाक इन ट्रेड	14000
		बैंक में कैश	2200
		हाथ पर कैश	8200
(बैलंसिंग आंकड़ा)	60400		60400

(2) विविध डेटर्स/देनदार खाता

विवरण	**रकम रु.**	**विवरण**	**रकम रु.**
नामे शेष अग्रानीत (बैलसिंग आंकड़ा)	18000	जमा बैंक	243000
नामे बिक्री	260000	जमा डिस्काउंट	2000
		जमा रिटर्न	6000
		अशोध्य ऋण	1000
		जमा शेष अग्रनीत	26000
	278000		**278000**

(3) विविध क्रेडिटर्स/लेनदार खाता :

विवरण	**रकम रु.**	**विवरण**	**रकम रु.**
नामे बैंक	236000	जमा शेष अग्रानीत	12000
नामे डिस्काउंट	4000	जमा खरीद (बैलसिंग आंकड़ा)	241000
नामे रिटर्न	3000		
नामे शेष अग्रनीत	9800		
	253000		**253000**

(4) कैश बुक :

विवरण	कैश रु.	बैंक रु.	विवरण	कैश रु.	बैंक रु.
1989 जनवरी			जमा विविध क्रेडिटर		36000
नामे शेष अग्रनीत	8200	2200	जमा खरीद	10000	
नामे विविध डेटर्स		243000	जमा वेतन और मजदूरी		18000
नामे कैश बिक्री (बैलंसिंग आंकड़ा)		40000	जमा विविध खर्चे	5000	
नामे बैंक (कॉन्ट्रा)	21000		जमा आहरण	9400	
			जमा विविध आस्तियां		2000
			जमा कैश (कॉन्ट्रा)		21000
			जमा शेष अग्रनीत	4800	8000
	29200	**285000**		**29200**	**285200**

(5)

	खरीद रु.	**बिक्री रु.**
कैश	10000	40000
उधार/क्रेडिट	241000	260000
	251000	**300000**

(6)

	रु.
विविध प्रभार-अदा किये	5000
जोडे बकाया 31.12.1989 को	600
	5600
घटाएं बकाया 31.12.1988 को	1000
	4600

टर्मिनल प्रश्न :

प्रश्न 1. नीचे दी गई जानकारी और अनुपातों से A Sridhar (ए श्रीधर) का लाभ और हानि लेखा और दि.31.12.89 का तुलन पत्र तैयार कीजिये:

तुलन पत्र

01.01.1989 को

देयताएं	**रुपये**	**आस्तियां**	**रुपये**
पूंजी	200000	मशीनरी	70000
क्रेडिटर/लेनदार		फर्निचर	45000
आपूर्तिकृत माल	35000	स्टॉक	35000
खर्चे	5000	डेटर्स/देनदार	100000
		कैश/नकदी	5000
		बैंक	15000
	240000		**240000**

अन्य विवरण

देनदार/डेटर्स वेलॉसिटी	2 महीने
लेनदार/क्रेडिटर्स वेलॉसिटी	1 महीना
स्टाक का स्तर यूनिफार्म G.P.	3 $^{1}/_{3}$%

(बिक्री 20% नकदी में और 80% उधार पर)

वर्तमान वर्ष की बिक्री, पिछले वर्ष की बिक्री से 20% ज्यादा है। डेटर्स से प्राप्तियां रु. 50,000/- नकदी में शेष चेकों द्वारा।

चेकों से भुगतान :

लेनदार/क्रेडिटर	?
मशीनरी	40,000
फर्निचर	5,000
निवेश	40,000
आहरण	20,000
कारोबारी खर्चे	60,000

भुगतान नकदी में :

कारोबारी खर्चे	90,000
बैंक में जमा की गई नकदी	1,00,000
मूल्यह्रास प्रावधान @ 10%	

प्रश्न 2. श्री PQ का छोटा व्यापारिक कारोबार है जिसके लिये निम्नांकित पद्धतियों का अनुसरण किया गया है :

(1) प्रतिदिन सभी वसूलियां बैंक में जमा की जाती है।

(2) सभी भुगतान पेटी/फुटकर खर्चे को छोड़कर सभी चेक के द्वारा किये जाते हैं।

(3) प्रत्येक महिने की पहली तारीख को रु.500 चेक के जरिये पेटी/फुटकर खर्चे हेतु बैंक से आहरित किये जाते हैं।

(4) श्री PQ बैंक से व्यक्तिगत आहरण करते हैं।

श्री PQ के रिकार्ड से निम्न आंकड़े उपलब्ध हैं :

	रु.
01.07.84 को हाथ पर कैश	320
31.12.84 को हाथ पर कैश	200
01.01.84 को बैंक शेष	2500
31.12.84 को बैंक शेष	(ओवड्राफ्ट) 5000
01.01.84 को देनदार/डेटर्स	20000
31.12.84 को देनदार/डेटर्स	30000
01.01.84 को लेनदार/क्रेडिटर्स	20000
31.12.84 को लेनदार/क्रेडिटर्स	30000
01.01.84 को माल का स्टॉक	10000
31.12.84 को माल का स्टॉक	30000
वर्ष के दौरान क्रेडिटर को किया गया भुगतान	20000
वर्ष के दौरान बिक्री	30000

श्री PQ ने वर्ष के दौरान रु. 200 खर्च किये 31.12.1984 को समाप्त वर्ष के लिये और इसी तारीख का तुलन पत्र तैयार कीजिये :

प्रश्न 3. हरीराम का 31.12.1988 का तुलन पत्र नीचे दिया गया है।

देयताएं	**रकम रु.**	**आस्तियां**	**रकम रु.**
पूंजी	250000	हाथ पर रोकड़	42000
लेनदार/क्रेडिटर	6000	बैंक में कैश	70000
बकाया भाड़ा	2000	देनदार/डेटर्स	40000
		फर्निचर व फिटिंग	75000
		स्टॉक	8500
	312000		**312000**

निम्नांकित जानकारी उपलब्ध है :

(1) हरीराम हमेशा माल बिक्री पर 25% लाभ पर बेचता है।

(2) माल नकदी में और उधार पर बेचा जाता है। ग्राहक जो उधार पर माल खरीदते हैं चेक द्वारा भुगतान करते हैं।

(3) खरीद के लिये भुगतान चेक के जरिये किया जाता है।

(4) प्रत्येक शनिवार को, सहायक को रु. 300 का वेतन, रु. 50 प्रति हप्ते का खर्च और व्यक्तिगत खर्च रु. 100/- प्रति हप्ता, के भुगतान के बाद शेष वसूली की राशि बैंक को भेजी जाती है।

31 दिसंबर 1989 को समाप्त अवधि के लिये बैंक पास बुक जांचने के बाद निम्नांकित प्रविष्टियां पायी गयी।

(1) क्रेडिटर/लेनदारों को भुगतान रु. 85,000/-

(2) घर भाडे के रूप में भुगतान रु. 5000/-

(3) बीमा प्रिमियम की राशि का भुगतान रु. 1000

(4) बैंक में प्रेषित रकम रु. 140000, जिसमें जिसे माल उधार पर बेचा गया था ऐसे ग्राहक से प्राप्त रु. 20,000 का चेक शामिल है।

दि. 31 दिसंबर 1989 के निम्नांकित शेष हैं :

(1) देनदार/डेटर्स रु. 62,000

(2) माल के लिये लेनदार/क्रेडिटर्स रु. 64,000 और

(3) स्टॉक रु. 50400

31 दिसंबर 1989 की शाम को कैशियर उपलब्ध कैश चुराकर लेकर फरार हो गया। निम्नांकित जानकारी भी उपलब्ध है।

(1) बीमा कंपनी के पास गबन/हडपी हुई रकम के लिये दावा दायर किया गया और उन्होंने उसको स्वीकार लिया।

(2) फर्निचर की कुछेक मदें 31.12.88 को रु. 2000/- को बेची गई लेकिन 31.12.89 तक रकम प्राप्त नहीं हुई मूल्यह्रास 10% प्रतिवर्ष की दर से बट्टे खाते में लिखना है।

(3) 31.12.89 को बकाया घरभाडा रु. 1000

(4) कुछेक भंगार माल जिसे स्टॉक में शामिल नहीं किया था, उसे रु. 2000 में बेचा गया लेकिन रकम 31.12.89 तक प्राप्त नहीं हुई।

31 दिसंबर 1989 के लिये ट्रेडिंग और लाभ व हानि खाता तथा 31 दिसंबर 89 का तुलन पत्र तैयार कीजिये।

उत्तर :

(1) शुद्ध लाभ रु. 142000 तुलन पत्र योग रु. 3720000

(2) शुद्ध लाभ - 14080. तुलन पत्र योग 60200

(3) शुद्ध लाभ - 2700 तुलन पत्र योग 322500

इकाई 21 : अनुपात विश्लेषण

संरचना/रूपरेखा

21.0 उद्देश्य

21.1 लेखांकन अनुपात का अर्थ

21.2 अनुपातों का वर्गीकरण

21.3 लेखांकन अनुपातों का उपयोग

21.4 लेखांकन अनुपातों की मर्यादा/सीमा

21.5 विभिन्न अनुपात

- लाभप्रदता अनुपात
- क्षोधक्षमता/सालवंसी अनुपात

21.6 विभिन्न उपयोगकर्ता और उनके द्वारा अनुपातों का प्रयोग

अंतिम/टर्मिनल प्रश्न

21.0 उद्देश्य :

विभिन्न प्रकार के अनुपातों को समझना और अनुपातों के विश्लेषण के तकनिक को पढ़ना/जानना।

21.1 लेखांकन अनुपातों का अर्थ :

लेखांकन अनुपात अंकगणितीय शब्दों में, वर्णित लेखांकन आंकडो के बीच के संबंध है जो एक दूसरे से किसी प्रकार से जुडे हुए हैं। प्रत्यक्षतः जो आंकडे एक दूसरे से जुडे हुए नहीं हो तब, दो समूहों के आंकडों की तुलना से कोई काम नहीं बन सकता है। इसके अलावा, निरपेक्ष/ॲबसोल्युट आंकडे तुलना के लिये अनुपयुक्त भी होते हैं।

21.2 अनुपातें का वर्गीकरण :

निम्न आधार पर लेखांकन अनुपात वर्गीकृत किये जा सकते है :

(1) पारंपारिक वर्गीकरण :

पारंपारिक वर्गीकरण वित्तीय विवरणों के आधार पर होते हैं जिससे अनुपातों का निर्धारक संबंध रखता है। इस आधार पर अनुपातों का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है :

(1) लाभ और हानि खाता अनुपात, यानी केवल लाभ और हानि खाते पर आधारित अनुपातों का परिकलन होता है।

(2) तुलन पत्र अनुपात, यानी केवल तुलन पत्र के आंकडों के आधार पर अनुपात परिकलित किये जाते हैं।

(3) संमिश्र अनुपात - या आंतर विवरण अनुपात, यानी लाभ और हानि खाते के आंकडों तथा तुलन पत्र के आंकडों पर आधारित अनुपात।

(2) कार्यात्मक वर्गीकरण :

उपरोक्त पारंपारिक आधारित वर्गीकरण अशोध्य तथा अनुचित पाया गया है क्योंकि तुलन पत्र और आय खाते के विवरण का विश्लेषण एकांग/आयसोलेशन में नहीं किया जा सकता। इनका पठन कारोबार की लाभप्रदता और शोधक्षमता के निर्धारण हेतु एकसाथ किया जाना जरुरी है। ये अनुपात वित्तीय विश्लेषण हेतु एक साधन के रूप में उपयोग में लाये जाये इसलिये इन्हें अब इस तरह वर्गीकृत किया जाये :

(1) लाभप्रदता अनुपात

(2) आवर्त/टर्नओवर या क्रियाशील अनुपात और

(3) वित्तीय या शोधक्षम अनुपात

वित्तीय अनुपात आगे दो प्रवर्गो में वर्गीकृत किये जाते हैं।

(क) अल्पावधि शोधक्षमता अनुपात :

जो अल्पावधि में फर्म की शोधक्षमता या वित्तीय स्थिति प्रकट करते हैं। कुछ लेखाकार इन्हें सरलतासे लिक्विडीटी/तरल अनुपात कहना पसंद करते हैं।

(ख) दीर्घावधि शोधक्षमता अनुपात :

जो दीर्घावधि में फर्म की वित्तीय स्थिति या शोधक्षमता प्रकट करते हैं कुछ लेखाकार इन्हें सरलतासे शोधक्षमता अनुपात कहना पसंद करते हैं।

21.3 लेखांकन अनुपातों का उपयोग :

लेखांकन अनुपातों के निम्न में से कुछेक उपयोग हैं :

(1) वित्तीय विवरणों का सरलीकरण :

वित्तीय विवरणों के आकलन का सरली करण सहजतासे अनुपात करते हैं। कारोबार की वित्तीय स्थिति में आये बदलावों की समग्र कहानी अनुपात बताते हैं।

(2) आंतर (Inter) फर्म तुलना उपलब्ध कराना :

अनुपात आंतर फर्म तुलना के लिये डाटा/आंकडे उपलब्ध कराते हैं। यशस्वी और अयशस्वी फर्म के साथ संबंधित घटकों की प्रमुख बातें अनुपात बताते हैं वे मजबूत और कमजोर फर्म और अधिक मूल्यवाली और कम मूल्यवाली फर्म का पता लगाते हैं।

(3) अंत: (Intra) फर्म तुलना संभव कर सकते हैं :

फर्म के विभिन्न प्रभागों के कार्यनिष्पादन की तुलना अनुपातों से संभव हो सकती है। कार्यक्षमता के निर्धारण में या भूतकाल या भविष्य के अपेक्षित कार्य निष्पादन के आकलन में अनुपात सहायक सिद्ध होते हैं।

(4) योजना में सहायक :

आयोजन और अनुमान में अनुपात सहायकारी होते हैं। कालांतर में फर्म या उद्योग कुछेक मानदंड विकसित करते हैं वे भावी यश या अपयश का संकेत दे सकते हैं। यदि फर्म के अलग समयावधि के लिये आंकडे बदल जाते हैं तब अनुपात प्रवणता/ट्रेंड का सुराग और भावी समस्याओं का पता करा सकते हैं। इस तरह, अनुपात प्रबंध की उसके मूलभूत कार्य यथा अनुमान, आयोजना, समन्वय, नियंत्रण और संप्रेषण में सहायता प्रदान करते हैं।

21.4 लेखांकन अनुपातों की सीमाएं/मर्यादाएं :

लेखांकन अनुपात कतिपय मर्यादाओं के अधीन होते हैं, जो नीचे दिये गये हैं :

(1) तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है :

व्यवसाय की कार्यक्षमता के निर्णय में अनुपात केवल तभी सहायक हो सकते हैं, जब वे भूतकाल के परिणामों के साथ तोले जाते हैं अथवा समान कारोबारों के परिणामों के साथ उनकी तुलना की जाती है। तथापि इस प्रकार की तुलना अतीत के कार्य निष्पादन की झलक और भविष्य का अनुमान सही नहीं हो सकता क्योंकि कई अन्य घटक जैसे मार्केट की स्थिति, प्रबंधन नीतियां, इत्यादि पर भावी परिचालन प्रभावी हो सकते हैं।

(2) वित्तीय विवरणों की मर्यादाएं :

अनुपात ऐसी सूचना पर आधारित होते हैं जो, वित्तीय विवरणों में दर्ज हैं। जैसा कि पहलेवाले पृष्ठों में संकेत दिया गया है, वित्तीय विवरणों में अनेक मर्यादाएं होती हैं इसलिये उनसे व्युत्पन्न/डिराइवड अनुपात भी उन मर्यादाओं के अधीन होते हैं।

उदाहरणार्थ :

गैर वित्तीय प्रभार जो कारोबार के लिये महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन वित्तीय विवरणों से उनकी जानकारी नहीं मिल सकती है। यदि कंपनी का प्रबंधन बदल जाता है, अंततः इसका कंपनी की भावी लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन, इसका निर्णय कंपनी के वित्तीय विवरणों पर नज़र डालने से नहीं मिल पाता है। इसी तरह, लेखांकन नीतियों के लिये प्रबंधन के पास विकल्प होता है। विभिन्न कंपनीयों के प्रबंधन द्वारा भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियां अपनायी जा सकती है, जिसमें माल का मूल्यांकन, मूल्यह्रास, शोध और विकास हेतु खर्चे, और प्रलंबित राजस्व खर्चे का उपचार इत्यादि शामिल है। एक फर्म की दूसरी फर्म के साथ अनुपात विश्लेषण के आधार पर तुलना, यह जानने के बिना, की कंपनियों की लेखांकन नीतियां भिन्न हैं, अर्थहीन और भ्रामक होगी। इसके अलावा, कंपनी का प्रबंधन एक अवधि से दूसरे अवधि तक अपनी लेखांकन नीतियां बदल सकता है। इसलिये अब यह अति आवश्यक है कि लेखांकन अनुपातों के आधार पर किये गये विश्लेषण से पहले

वित्तीय विवरणों की पूर्ण संवीक्षा के अध्यधीन वे रहते हैं। वित्तीय विश्लेषकों को चाहिये कि वे वित्तीय विवरणों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करें और लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के आधार पर वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन करके बाद में वित्तीय विश्लेषण करें।

विश्वभर में सभी लेखाकारों में अब यह समझ आ गई है, कि लेखांकन नीतियों का मानकीकरण होना चाहिये, इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति का गठन हुआ है और इसने कई अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक जारी किये हैं। हमारे देश में इंन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटटस् ऑफ इंडिया ने लेखांकन मानक बोर्ड का गठन उचित लेखांकन मानकों के सुसूत्रीकरण के लिये किया है। लेखांकन मानक बोर्ड ने अभी तक मानक AS। लेखांकन प्रकटीकरण सहित कुल 12 मानक जारी किये है। मानक AS। दि. 01.04.91 से या उसके बाद के लेखों के लिये बाध्यकारी किया गया है। आशा की जाती है, कि आनेवाले वर्षों में लेखांकन नीतियों के प्रगतिशील मानकीकरण से, यह समस्या अधिकतर सुलझायी जायेगी।

(3) केवल अनुपात ही पर्याप्त नहीं है :

अनुपात मात्र संकेतक हैं, कारोबार की अच्छी या खराब स्थिति को जानने के लिये इन्हें अंतिम संकेतक के रूप में नहीं माना जाना चाहिये। अन्य बातों पर भी गौर करना होगा।

उदाहरणार्थ :

उच्च चालू अनुपात का यह अर्थ निकालना आवश्यक नहीं कि फर्म की तरलता अच्छी है, जबकि चालू आस्तियों में पुराने स्टॉक शामिल हो। यह सही पाया गया है कि कोई भी अनुपात अच्छा या बूरा नहीं माना जाना चाहिये। यह एक संकेतक होता है कि फर्म मजबूत या कमजोर है लेकिन इसे कभीभी दोनों में से एक का सबूत नहीं माना जाना चाहिये। अनुपातों को रेलरास्तों से जोड़ा जा सकता है। वे विश्लेषक को बताते हैं कि रुको, देखों और सुनो।

(4) विंडो ड्रेसिंग :

विंडो ड्रेसिंग शब्द का अर्थ है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के लिये लेखों को झूठलाना और वित्तीय विवरणों को इस तरह प्रस्तुत करते हुए यह बताना कि वास्तविक स्थिति से कारोबार की स्थिति बेहतर है। ऐसी स्थिति के कारण, किसी विशिष्ट अनुपात का होना यह निश्चित संकेतक नहीं होता कि प्रबंधक अच्छा या खराब है।

उदाहरणार्थ :

उच्च स्टाक टर्नओवर अनुपात सामान्यतः कारोबार की परिचालनात्मक कार्यक्षमता का द्योतक माना जाता है। लेकिन इसे अनावश्यक मूल्य घटाकर, या उचित माल के स्टाक रखने के अभाव से सिद्ध किया जा सकता है।

इसी तरह, चालू अनुपात तुलन पत्र की तारीख के पूर्व माल की पुनःपूर्ति स्थगित करने से सुधारा जा सकता है।

उदाहरणार्थ :

यदि कंपनी की चालू आस्तियां रु.4000 है जबकि चालू देयताएं रु. 2000 है। तब चालू अनुपात 2 होगा। जो संतोषजनक है। यदि कंपनी रु. 2000 का माल उधार पर खरीदती है, तब चालू आस्तियां रु. 6000 तक और चालू देयताएं रु. 4000 तक बढ़ जायेगी इसलिये चालू अनुपात घटकर 1.5 हो जायेगा। अतः कंपनी तुलन पत्र की तारीख तक खरीद स्थगित कर सकती है। इसी तरह चालू अनुपात में सुधार दर्शाने हेतु, कंपनी तुलन पत्र की तारीख से पहले कतिपय आवश्यक चालू देयताओं का भुगतान कर सकती है।

उदाहरणार्थ :

उपरोक्त मामले में यदि कंपनी रु. 1000 की चालू देयता का भुगतान कर देती है तब चालू देयताएं घटकर रु. 1000 बनेगी और चालू आस्तियां घटकर रु. 3000 होगी तथापि चालू अनुपात 3 तक बढ़ेगा।

(5) मूल्य स्तर के बदलाव की समस्याएं :

यदि मूल्य स्तर के बदलाव को ध्यान में न लिया जाये तब लेखांकन अनुपातों पर आधारित वित्तीय विश्लेषण भ्रामक परिणाम देंगे।

उदाहरणार्थ :

दो कंपनियां अलग वर्षों में गठित हुई है, उनके संयत्र और मशीनरी अलग उम्र की होने पर पारंपारिक लेखांकन विवरणों के आधार पर उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। यह इसलिये कि पुराने कंपनी का संयंत्र और मशीनरी पर प्रभारित मूल्यह्रास का आंकडा हाल ही में स्थापित कंपनी की तुलना में बहुत कम होगा। इसलिये कंपनियों के वित्तीय विवरण मूल्य स्तर के बदलाव के अनुसार समायोजित करने पड़ेंगे, यदि लेखांकन अनुपातों के जरिये अर्थपूर्ण तुलना करनी हो। इस विषय में चालू खरीद की शक्ति और चालू लागत लेखांकन, तकनिकें ज्यादा सहायकारी हो सकती हैं।

(6) कोई निश्चित मानक नहीं :

आदर्श अनुपातों के लिये कोई निश्चित मानक नहीं रखे जा सकते हैं।

उदाहरणार्थ :

यदि चालू आस्तियां, चालू देयताओं के दो गुना हो तब चालू अनुपात आदर्श माना जा सकता है। तथापि, जब कभी आवश्यक हो तब निधि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था बैंकरों के साथ की गई हो तब ऐसी कंपनियों के लिये, यदि चालू आस्तियां, चालू देयताओं से थोडी ज्यादा अथवा समान हो तब चालू अनुपात एकदम आदर्श हो सकता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनुपात विश्लेषण यदि मेकॅनिकली किया जाये तब वह भ्रामक और भयानक भी हो सकता है। यह एक दुधारी तलवार है। जिसके लिये आवश्यक है प्रबंधन प्रक्रिया की संवेदनशीलता और बेहतर सामंजस्य मैकॅनिकल वित्तीय कौशल से ज्यादा जरुरी है। यह सही रूप से पाया गया है कि योग्य निर्णय लेने के लिए अनुपात विश्लेषण प्रबंधन तंत्र के लिये एक साधन है। तथापि,

विचार और निर्णय में मैकॅनिकल ऐवज के रूप में यह दुरुपयोगी से भी खराब है।

21.5 विभिन्न अनुपात :

(क) लाभप्रदता अनुपात :

(1) समग्र लाभप्रदता अनुपात :

इसे 'रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट' (निवेश का प्रतिफल) कारोबार में उपयोग में लाये गये कुल पूंजी/कैपिटल पर प्रतिफल का प्रतिशत यह दर्शाता है। इसका परिकलन निम्न फार्मूले के अनुसार किया जाता है :

$$\frac{\text{परिचालनगत लाभ}}{\text{प्रयुक्त पूंजी/कैपिटल}} \times 100$$

भिन्न लेखाकारों द्वारा प्रयुक्त पूंजी/कैपिटल का अलग अर्थ लगाया जाता है। कुछेक प्रसिद्ध अर्थ निम्नानुसार है :

(1) सभी आस्तियों का समग्र जोड चाहे मियादी/अचल या चालू

(2) अचल परिसंपत्ति/आस्तियों का समग्र जोड

(3) कारोबार में प्रयुक्त दीर्घावधि निधियों का समग्र जोड

शेयर कैपिटल + आरक्षितियां और अधिक्य + दीर्घावधि ऋण - (गैर कारोबारी आस्तियां + काल्पनिक आस्तियां)

प्रबंध लेखांकन में, प्रयुक्त पूंजी शब्द का अर्थ सामान्यतः उपर्युक्त तीसरे मद में दिया गया अर्थ होता है।

शब्द ऑपरेटिंग प्रॉफिट (परिचालनगत लाभ) का अर्थ है ब्याज और कर पूर्व लाभ।

इंटरेस्ट/ब्याज शब्द का अर्थ है दीर्घावधि उधारों पर ब्याज।

परिचालनगत लाभ के परिकलन हेतु लघु अवधि उधार घटाएं जायेंगे। गैर व्यापारिक आय जैसे सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज या गैर व्यापारिक हानियां या खर्चे जैसे आगजनी के कारण हानि/नुकसान इत्यादि शामिल नहीं किये जाएंगे।

ROI का अभिप्राय है :

निवेशित पूंजी पर प्रतिफल यह ऐसी संकल्पना है जो कैपिटल के यूनिट निवेश पर फर्म द्वारा अर्जित लाभ होता है। 'कैपिटल पर प्रतिफल' यह इस कल्पना को बताने के लिये प्रयुक्त दूसरा शब्द है। इसका आवधिक तौर पर निर्धारण करना अपेक्षित है। लाभ ही सभी परिचालनों का शुद्ध परिणाम होता है। कैपिटल खर्चे के प्रतिफल का अर्थ है सभी कार्यक्षमताएं या अकार्यक्षमताएं जो सकल कारोबार से जुडी हुई होती है, अतः यह निर्भरतायुक्त उपाय, कारोबार की कार्यक्षमता या अकार्यक्षमता जानने हेतु होता है।

इसी आधार पर, एक विभाग की कार्यक्षमता की तुलना दूसरे विभाग के साथ हो सकती है, एक प्लांट की दूसरे प्लांट से, एक कंपनी की दूसरी के साथ तथा एक उद्योग की दूसरे उद्योग के साथ भी हो सकती है। इस कार्य के लिये, लाभ की रकम, ब्याज की रकम व डिविडंड/लाभांश घटाने से पहले की होती है और कंपनी का कैपिटल वह होता है जो सभी तरह के कैपिटलों की समग्र रकम होती है। जैसे ईक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिज़र्व, डिबेंचर्स इत्यादि।

इस प्रकार से रिटर्न ऑन कैपिटल यह भी दर्शाता है कि कंपनी की उधार लेने की नीति क्या आर्थिक दृष्टिकोण से अक्लमंदी थी और क्या कैपिटल/पूंजी का सदुपयोग किया गया है। मान लिजिये कि नीधि 8% की दर से उधार ली है और कैपिटल/पूंजी पर प्रतिफल 7 $^{1}/_{2}$% है तब उधार नहीं लेना अक्लमंदी होती थी। (जब तक की अस्तित्व के लिये उधार अतिआवश्यक न हो) यह और दर्शाता है कि फर्म अपनी निधियां कार्यक्षमता से प्रयुक्त नहीं करती थी। कैपिटल पर प्रतिफल, जैसा कि बताया गया है, ईक्विटी शेयर धारकों के कैपिटल पर भी परिकलित किया जा सकता है। इस स्थिति में, ब्याज, आयकर, और प्रेफरन्स शेयर्स के लाभांश को घटाकर निकलनेवाले लाभ की तुलना ईक्विटी शेयर धारकों की निधि से की जानी चाहिये। वह परिचालनगत कार्यक्षमता या अकार्यक्षमता नही दर्शाएगा, लेकिन डिविडंड/लाभांश की घोषित की जा सकनेवाली अधिकतम दर केवल बता सकता है।

कारोबार तभी जम कर रह जाता है जब प्रयुक्त कैपिटल का प्रतिफल, कारोबार में प्रयुक्त कैपिटल की लागत से ज्यादा हो।

प्रतिशेयर प्राप्ति/अर्जन (EPS) ROI :

फर्म की समग्र लाभप्रदता निर्धारित करने की प्रसिद्ध पद्धति है। तथापि, दो या अधिक फर्म की तुलनात्मक लाभप्रदता मापने की पद्धति के रूप में **ROI** संतोषजनक परिणाम तभी दे सकती है जब, फर्म की उम्र और उनका आकार समान हो। इस जोखिम से बचने के लिये अर्निंग्ज पर शेयर का परिकलन करना बेहतर होगा।

अभिप्राय :

प्रतिशेयर प्राप्ति किसी कंपनी के ईक्विटी शेयर की मार्केट की कीमत/मूल्य निर्धारित करने हेतु सहायक होती है। एक कंपनी के अर्निंग पर शेयर की तुलना किसी दूसरी कंपनी से किये जाने पर यह जाना जा सकता है कि क्या ईक्विटी शेयर कैपिटल प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो रहा

है या नहीं। ईक्विटी शेयर धारकों को लाभांश देने की कंपनी की क्षमता का अनुमान भी इससे लगाया जा सकता है।

3. प्राइस अर्निंग अनुपात (P/E Ratio) यह अनुपात दर्शाता है। कितनी बार अर्निंग पर शेयर उसके बाज़ार मूल्य से कवर किया जा सकता है। यह निम्नांकित फार्म्यूला (सूत्र) के अनुसार परिकलित किया जाता है।

$$\frac{\text{प्रतिशेयर बाज़ार मूल्य}}{\text{प्रतिशेयर अर्जन}}$$

अभिप्राय :

विशिष्ट बाज़ार मूल्य पर किसी कंपनी के शेयर खरीदने है या नहीं इसका निर्णय करने हेतु निवेशक के लिये प्राइस अर्निंग अनुपात सहायक होता है।

4. सकल लाभ अनुपात :

यह अनुपात सकल लाभ और शुद्ध बिक्री के बीच का संबंध दर्शाता है। इसका फार्म्यूला (सूत्र) है :

$$\frac{\text{सकल लाभ}}{\text{शुद्ध बिक्री}} \times 100$$

अभिप्राय :

किसी फर्म के लिये, माल की बिक्री की कीमत की दर प्रति यूनिट किस तरह, परिचालनगत हानि के अभाव में घटती है इसे यह अनुपात दर्शाता है। क्या माल पर औसत प्रतिशत का मार्क अप/अंकन रखा गया है कि नहीं इसे भी इस अनुपात से निर्धारित किया जा सकता है।

सकल लाभ अनुपात पर निर्णय लेने हेतु कोई मापदंड नहीं है, इसलिये इसके आधार पर कारोबार का मूल्यांकन करना एक निर्णय लेने जैसा ही है, तथापि सकल लाभ परिचालनात्मक खर्चे को कवर करने हेतु तथा

अचल खर्चे, लाभांश, और आरक्षितियां/रिज़र्व के लिये प्रावधान करने हेतु पर्याप्त होना चाहिये।

5. निवल लाभ अनुपात :

रु. 100 की बिक्री के लिये अर्जित निवल मार्जिन यह अनुपात दर्शाता है। इसका परिकलन निम्नानुसार होता है :

$$\frac{\text{निवल परिचालनगत लाभ}}{\text{निवल/शुद्ध बिक्री}} \times 100$$

अभिप्राय :

यह अनुपात कारोबार के कार्य कितनी कार्यक्षमता से प्रबंधित किये जा रहे है इसके निर्धारण में सहायता करता है। पिछली अवधि तुलना में इस अनुपात में वृद्धि कारोबार की परिचालन कार्यक्षमता में सुधार दर्शाता है बशर्ते कि सकल लाभ अनुपात उतनाही है/बदला नहीं है। कारोबार की लाभप्रदता जांचने के लिये यह अनुपात एक प्रभावी उपाय है।

निवेशक के लिये इस अनुपात की पर्याप्तता या अपर्याप्तता निर्धारित करने हेतु कैपिटल की लागत, बाज़ार परिस्थितियां, जैसे तेजी या मंदी का समय, और समूचे उद्योग में प्रतिफल इत्यादि पर भी गौर करना होगा। कोई मानदंड निर्धारित नहीं किये जा सकते है। तथापि, वर्षवार उपरोक्त अनुपात में होनेवाली वृद्धि से, कारोबार की स्थिति में होनेवाले सुधार का द्योतक यह अनुपात निश्चित ही है।

B. शोधक्षमता अनुपात :

कंपनी शोधक्षम या वित्तीय रूप से मजबूत तब मानी जाती है जब, वह सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कारोबार सहजतासे चला सकती है। जिम्मेदारियां - दोनों अल्पावधि तथा दीर्घावधी बिना किसी तनाव के निभाती है।

फर्म की दीर्घावधी और अल्पावधी शोधक्षमता को मापने के लिये निम्नांकित महत्वपूर्ण अनुपात है :

(1) दीर्घावधि शोधक्षमता अनुपात :

किसी कारोबार की दीर्घावधि शोधक्षमता निर्धारण के लिये, निम्नांकित अनुपात उपयोगी होगा :

अचल आस्तियां अनुपात : अनुपात निम्नानुसार है :

अचल आस्तियां

दीर्घावधि निधि

यह अनुपात 1 से अधिक न हो, यदि 1 से कम है, तब यह दर्शाता है कि कार्यशील पूंजी का कुछेक हिस्सा दीर्घावधि निधि से वित्तपोषित है यह वांछित है क्योंकि कार्यशील पूंजी का हिस्सा "कोर वर्किंग कैपिटल" आम तौर पर निश्चित रहता है। आदर्श अनुपात 0.67 है।

अचल आस्तियों में, निवल अचल आस्तियां (मूल लागत और अद्यतन मूल्यह्रास) और व्यापारिक निवेश अनुषंगी संस्था में शेयर, सहित, दीर्घावधि निधि शेयर कैपिटल रिज़र्व और दीर्घावधि ऋण सहित।

(2) ऋण - ईक्विटी अनुपात :

कंपनी की दीर्घावधि वित्तीय नीतियों की मजबूती का द्योतक है ऋण ईक्विटी अनुपात। इसे 'बाहरी आंतरिक' ईक्विटी अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। इसका परिकलन निम्नानुसार किया जाता है।

ऋण ईक्विटी अनुपात - बाहरी ईक्विटी

आंतरिक ईक्विटी

बाहरी ईक्विटी शब्द का अर्थ है समग्र बाहरी देयताएं और शब्द आंतरिक ईक्विटी का संदर्भ शेयर धारकों की निधि या मूर्त

हैसियत/नेटवर्थ। यदि अनुपात 1 है (बाहरी निधि शेयरधारकों की निधि के बराबर है) इसे अतिसंतोषजनक माना जाता है।

यदि ऋण ईक्विटी अनुपात को दीर्घावधि वित्तीय अनुपात के रूप में परिकलित किया जाना है तब इसे निम्नानुसार परिकलित किया जाये।

(1) ऋण ईक्विटी अनुपात = $\frac{\text{कुल दीर्घावधि ऋण}}{\text{कुल दीर्घावधि निधि}}$

(2) ऋण ईक्विटी अनुपात = $\frac{\text{कुल दीर्घावधि ऋण}}{\text{शेयर धारकों की निधि}}$

पद्धति II सर्वाधिक लोकप्रिय है ।
अनुपात I व II दीर्घावधि ऋण का शेयर धारकों की निधि से अनुपात देता है। कुल दीर्घावधि निधि में (स्वयं निधि तथा उधार पर निधि) शामिल है जबकि अनुपात (III) दर्शाता है। शेयर धारकों की निधि (मूर्त हैसियत) और कुल दीर्घावधि उधार निधि के साथ अनुपात।

अनुपात I व II यदि प्रत्येकी 0.5 होगा तब आदर्श माना जयेगा जबकि अनुपात III यदि । हो तब आदर्श माना जायेगा। दूसरे शब्दों में, निवेशक ऋण ईक्विटी अनुपात अति संतोषजनक तब मान सकता है जब शेयरधारकों की निधि उधार निधि के समान होगी। तथापि, उच्च अनुपात $^{2}/_{3}$ उधार निधि और $^{1}/_{3}$ स्वनिधि भी असंतोष जनक नहीं माना जाना चाहिये, यदि कारोबार के लिये अचल आस्तियों हेतु भारी निवेश जरुरी हो और अपने निवेश पर उसे आश्वासित प्रतिफल उपलब्ध हो जैसे सार्वजनिक यूटिलिटी कंपनी।

यह नोट किया जाये, कि जारी किये गये तारीख से 12 वर्षों की अवधि के भीतर यदि प्रेफरन्स/अधिमानित शेयर प्रतिदानित/रिडिमेबल होते हो तब इन्हें ऋण का अंश माना जा सकता है।

अभिप्राय :

अनुपात मालिक का स्वयंनिधि/ओनर्स स्टेक, कारोबार चलाने हेतु, दर्शाता है। देयताएं अत्यधिक होने पर दिवालियापन हो सकता है। अनुपात दर्शाता है कि अपने अस्तित्व के लिये कंपनी बाहरी लोगों पर कहां तक निर्भर रह सकती है। यह अनुपात लेनदारों को सुरक्षा कवच/मार्जिन उपलब्ध कराता है। यह मालिक को समझाता है कि सीमित निवेश के साथ, नियंत्रण रखने हेतु कहां तक लाभ/फायदा ले सकते हैं।

II अल्पावधि शोधक्षमता अनुपात :

कारोबार की अल्पावधि शोधक्षमता निर्धारित करने हेतु निम्नांकित अनुपात उपयोगी होंगे :

(1) चालू अनुपात :

अपनी अल्पावधि देयताओं को चुकाने के फर्म के दायित्व का संकेत यह अनुपात देता है और इसे इस प्रकार निकाला जा सकता है।

<u>चालू आस्तियां</u>
चालू देयताएं

चालू आस्तियों में शामिल है - नकदी, नकदी में रूपांतरित या रूपांतर किये जा सकनेवाली आस्तियां (कारोबार के कारोबारी सायकल के दौरान यानी एक साल की अवधि तक की आस्तियां)

चालू देयताओं का अर्थ है - विद्यमान चालू आस्तियों में से, या नयी चालू देयताओं के सृजन से, एक साल के भीतर भुगतान की जा सकनेवाली देयताएं।

चालू आस्तियों में, छह महीनों से ज्यादा बकाया बही ऋण/बुकडेट और छुटे हुए उपकरण/लूजटूल्स को शामिल नहीं किया जाना है। आदर्श चालू अनुपात है। अतिउच्च चालू अनुपात भी वांछनीय नहीं है क्योंकि इसका मतलब है निधि की उपयोगिता में अकार्यक्षमता।

अभिप्राय :

चालू अनुपात कंपनी के वित्तीय स्थैर्य का सूचकांक है क्योंकि वह कार्यशील पूंजी की मात्रा यानी चालू आस्तियां, चालू देयताओं से कितनी अधिक है, यह दर्शाता है।

पहले बताया गया है कि उच्च चालू अनुपात दर्शाता है निधि की अपर्याप्त उपयोगिता जबकि कम चालू अनुपात प्रबंधन के लिये खतरे की घंटी है। यह दर्शाता है कि कारोबार अपने स्रोतों के बाहर/ज्यादा व्यापार कर रहा है।

(2) तरलता अनुपात :

इस अनुपात को ॲसिड टेस्ट अनुपात या क्विक अनुपात के नाम से जाना जाता है। यह अनुपात तरल आस्तियों की चालू देयताओं से तुलना करके निर्धारित किया जाता है। (तरल आस्तिया यानी बिना किसी नुकसान के आस्तियों का तत्काल कैश में रूपांतरण) पूर्व भुगतान किये गये खर्चे और स्टॉक तरल आस्तियों में नहीं लिये जाते हैं। अनुपात इस प्रकार है :

<u>तरल आस्तियां</u>
चालु देयताएं

आदर्श अनुपात 1 है।

अभिप्राय :

कंपनी की अल्पावधि शोक्षक्षमता का यह अनुपात द्योतक है।

चालु अनुपात की तरल अनुपात के साथ तुलना से माल के होल्ड अप/विलंबित का संकेत मिलता है।

उदाहरण :

यदि दो कंपनियों का चालू अनुपात समान है लेकिन तरलता अनुपात भिन्न है तब जिस कंपनी का कम लिक्विडीटी अनुपात है उसके द्वारा ज्यादा माल रखा जाना, उच्च तरलता अनुपात वाली कंपनी की तुलना में, दर्शाता है।

(ग) टर्नओवर/आवर्त अनुपात :

स्टॉक टर्न ओवर अनुपात :

यह अनुपात दर्शाता है कि माल में निवेश तत्परता से किया जाता है या नहीं, इसलिये यह बताता है कि क्या माल में निवेश समुचित मर्यादा में है या नहीं।

अनुपात इस प्रकार परिकलित किया जाता है :

$$\frac{\text{वर्ष के दौरान बिक्री किये मालकी लागत}}{\text{औसत माल}}$$

माल का औसत, कच्चे माल, प्रक्रियागत माल, तैयार माल के प्रति माह के अंत में, रहनेवाले स्तरों को जोड़कर उसे बारह से भाग कर निकाला जाता है।

माल का औसत, वर्ष के आरंभ में माल तथा लेखांकन वर्ष के अंत में, माल के औसत के आधार पर भी निकाला जा सकता है।

अभिप्राय :

माल/इनवेंटरी टर्नओवर अनुपात माल की तरलता दर्शाता/इंगित करता है। उच्च इनवेंटरी टर्नओवर अनुपात जलद बिक्री दर्शाता है। अतः यह अनुपात ओवर स्टॉकिंग या ओवर वैल्युएशन के रूप में अपेक्षित त्रासदी/ट्रबल को मापता है। स्टाक पोजिशन को तुलन पत्र का समशान/ग्रेवयार्ड माना जाता है। यदि बिक्री जलद हो जाती है तब ऐसी स्थिति नहीं होगी बशर्ते कि माल बिक्री योग्य घटकों/मदों का नहीं हो। कम इनवेंटरी टर्नओवर अनुपात का परिणाम माल में निधि अटक जाने का/ब्लॉक किये जाना होता है, जिससे माल/स्टॉक या तो बेकार हो जाता है या उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाने से अंततः भारी नुकसान हो जाता है।

2. डेटर्स टर्नओवर अनुपात (डेटर्स वेलॉसिटी) :

चालू आस्तियों का एक महत्वपूर्ण घटक है डेटर्स/देनदार और इसलिये, डेटर्स की गुणवत्ता अधिकतर फर्म की तरलता निर्धारित करता है। फर्म की तरलता का निर्णय करने हेतु वित्तीय विश्लेषक दो अनुपातों का उपयोग करते हैं वे हैं :

(1) डेटर्स टर्नओवर अनुपात और

(2) ऋण वसूली अवधि अनुपात

डेटर्स टर्नओवर अनुपात निम्नानुसार परिकलित किया जाता है।

$$\frac{\text{उधार बिक्री}}{\text{औसत लेखे प्राप्यताएं}}$$

शब्द अकाउंटस् रिसिवलेबल्स में शामिल हैं व्यापारी डेटर्स और प्राप्य बिल्स।

यदि आरंभिक और लेखाबंदी प्राप्तियां/रिसेवेबलस् और उधार पर बिक्री उपलब्ध नहीं होते तब अनुपात निम्नानुसार परिकलित किया जाये।

कुल बिक्री .
अकाउंटस् रिसिवेबलस्

अभिप्राय :

सेल्स का अकाउंट रिसिवेबल्स् अनुपात बुकडेट्स की वसूली हेतु नामित स्टाफ की कार्यक्षमता दर्शाता है। जैसा अनुपात उच्च होता है वही बेहतर होता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि ऋण तत्परता से वसूले जाते हैं। कार्यक्षमता का मापन करने हेतु मानक आंकडा निश्चित करना आवश्यक होता है। ऐसा अनुपात जो मानक से कम हो, अकार्यक्षमता दर्शायेगा। यह अनुपात कैश बजेटिंग में सहायक है क्योंकि, ग्राहकों से नकदी का प्रवाह बिक्री के आधार पर परिकलित किया जा सकता है।

3. ऋण वसूली अवधि अनुपात :

कहां तक ऋण समयावधि के अंदर वसूले जाते हैं, यह अनुपात द्वारा दर्शाया जाता है। यह औसत ऋण वसूली अवधि दर्शाता है। यह अनुपात ऋण कर्ताओं के लिये सहायक है क्योंकि यह उनको बताता है कि क्या उनके स्टाफ उधारकर्ताओं से ऋण सुयोग्य अवधि में वसूलते हैं। अवधि में वृद्धि होने का परिणाम होगा डेटर्स में निधि का ब्लॉकेज/अटक जाना। यह अनुपात निम्न में से किसी एक पद्धति के जरिये परिकलित किया जा सकता है।

(क) महीने (या दिन) वर्ष में
डेटर्स/देनदार टर्नओवर

(ख) औसत अकाउंट्स रिसिवेबल X महीने (या दिन) वर्ष में
उधार बिक्री वर्ष के लिये

(ग) अकाउंट्स रिसिवेबल .
औसत मासिक या दैनिक उधार बिक्री

अभिप्राय :

डेटर्स कलेक्शन अवधि देनदारों/डेटर्स की मात्रा मापता है। क्योंकि यह सत्वरता या धीमी गति, जिससे उनसे रकम वसूली जाती है। कम वसूली अवधि का अर्थ है डेटर्स/देनदार द्वारा तत्परता से भुगतान। अशोध्य ऋणों के अवसर इसके द्वारा घटाए जाते हैं। लंबी वसूली की अवधि का अर्थ है अधिक उदार और अकार्यक्षम ऋण वसूली कार्यनिष्पादन तथापि, फर्म की ऋण और वसूली कार्यक्षमता मापने हेतु, औसत वसूली अवधि की उद्योग की औसत के साथ तुलना की जानी चाहिये। वह नाही ज्यादा उदार या नाही प्रतिबंधित होनी चाहिये। प्रतिबंधित नीति का परिणाम बिक्री कम होने में होगा जिससे लाभ घट जायेगा।

डेटर्स/देनदारों का मानक वसूली अवधि उपलब्ध कराना कठिन है। यह उद्योग के स्वरूप पर, कारोबार का मौसमी स्वरूप और फर्म की ऋण नीति पर निर्भर करता है। सामान्यतः रिसिवेबल्स की रकम उधार बिक्री/क्रेडिट सेल्स का 3-4 महीनों से ज्यादा न हो।

21.6 विभिन्न प्रयोक्ता और अनुपातों का उनके द्वारा उपयोग :

दीर्घावधि क्रेडिटर/लेनदारों द्वारा लेखांकन अनुपात :

(क) निश्चित/फिक्सड् प्रभार कवर = ब्याज और कर पूर्व आय
ब्याज प्रभार

(ख) ऋण सेवा कवरेज अनुपात :

$$= \frac{\text{ऋण सेवा हेतु नकदी लाभ उपलब्ध}}{\text{ब्याज + मूल रकम भुगतान किश्त}}$$

(2) अल्पावधि ऋण देनेवाले बैंक द्वारा प्रयुक्त लेखांकन अनुपात :

(क) क्विक/त्वरित अनुपात = $\frac{\text{क्विक आस्तियां}}{\text{चालू देयताएं}}$

(ख) चालू अनुपात = $\frac{\text{चालू आस्तियां}}{\text{चालू देयताएं}}$

(3) शेयर धारकों द्वारा प्रयुक्त लेखांकन अनुपात :

(क) प्राप्ति/अर्जन/अर्निंग प्रति शेयर = ईक्विटी शेयर धारकों के लिये $\frac{\text{उपलब्ध लाभ}}{\text{ईक्विटी शेयर की संख्या}}$

(ख) डिविडंट यिल्ड अनुपात = $\frac{\text{लाभांश प्रति शेयर}}{\text{बाज़ार मूल्य प्रति शेयर}}$ (लाभांश प्रतिफल)

उदाहरण :

मानिये कि चालू अनुपात 2 है। निम्न में से प्रत्येक मामले में बताएं क्यां चालू अनुपात में सुधार होगा या घट जायेगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा :

(1) चालू देयता का भुगतान

(2) अचल आस्तियों की खरीद

(3) ग्राहकों से नकदी में वसूली

(4) प्राप्य बिल नकारा गया

(5) नये शेयर जारी होना।

उत्तर :

जब चालू अनुपात 2ः 1 है या चालू आस्तियां रु. 20,000 और चालू देयताएं रु. 10,000/- चालू अनुपात पर प्रश्न में दिये गये संव्यवहारों का परिणाम निम्नानुसार होगा :

(1) चालू देयता का भुगतान :

चालू देयता का भुगतान चालू आस्तियों से हुआ है, कार्यशील पूंजी अपरिवर्तित रहेगी। तथापि, चालू अनुपात सुधर जायेगा।

उदाहरणार्थ :

उपरोक्त चालू अनुपात में से रु. 5000/- भुगतान हुआ। परिणामी चालू आस्तियां रु. 15000 होगी और चालू देयताएं रु. 5000/- होगी। यह चालू अनुपात 3 : 1 देगा।

(2) अचल आस्ति की खरीद :

अचल आस्तियों की नकद खरीद पर चालू आस्तियां बिना किसी चालू देयताओं में बदलाव से, कम होंगी अतः संव्यवहार का परिणाम चालू अनुपात 2 : 1 से कम होगा।

(3) ग्राहकों से नकदी की वसूली :

डेटर्स की वसूली से एक चालू आस्ति का परिवर्तन जैसे डेटर्स से अन्य चालू आस्ति जैसे नकद इसलिये चालू आस्तियों और चालू देयताएं अपरिवर्तित रहेंगी। अतः चालू अनुपात 2 : 1 रहेगा।

(4) प्राप्य बिल नकारा गया :

जब प्राप्य बिल नकारा जाता है, तब हमेशा यह मानकर चलना कि, ग्राहक दिवालिया बन गया, गलत हैं। इसलिये, यदि ग्राहक शोधक्षम है, तब प्राप्य बिल की रकम कम हो जायेगी और डेटर्स/देनदारों से देय रकम बढ़ जायेगी। चालू देयताओं की रकम में कोई बदल नहीं होगा। अतः इस धारणा पर चालू अनुपात 2 : 1 बना रहेगा।

तथापि, यह अपेक्षित है कि यह ऋण अशोध्य हो जायेगा और यह रिकार्ड किया गया है कि इससे चालू आस्तियां घट जायेगी। जिससे चालू अनुपात 2 : 1 से कम होगा।

(5) नये शेयर जारी करना :

यदि नये शेयर नकदी के ऐवज में जारी किये जाते हैं तब इसका परिणाम चालू आस्तियों की वृद्धि में होगा। इसलिये परिणामतः चालू अनुपात में सुधार होगा। क्योंकि चालू देयताओं में कोई बदलाव नहीं है।

तथापि, यदि इश्यू, अचल आस्तियों की खरीद के प्रतिफल में होगा, या डिबेंचर्स के रूपांतरण में, तब चालू आस्तियों या चालू देयताओं में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिये चालू अनुपात में बदलाव नहीं है।

अंतिम/टर्मिनल प्रश्न :

प्रश्न 1. वर्ष 1990 और 1991 के लिये निम्न का उपलब्ध आंकडों का उपयोग करके परिकलन कीजिये।

(क) रिटर्न ऑन कॅपिटल एमप्लॉइड/(प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल)

(ख) चालू अनुपात

(ग) ऋण/ईक्विटी अनुपात

(घ) अचलआस्तियां टर्नओवर अनुपात

(च) इनवेंटरी/माल टर्नओवर अनुपात

(छ) अर्जन/अर्निंग प्रति शेयर

तुलन पत्र
(31 दिसंबर की स्थिति)

(रु. लाखों में)

विवरण	1989	1990	1991
देयताएं			
शेयर पूंजी रु. 10/- का शेयर	800	1,000	1,000
आरक्षितियां व अधिक्य	700	800	1,000
प्रतिभूत, मियादी ऋण	800	2,000	2,400
बैंकों से कैश क्रेडिट	800	1,000	1,500
विविध लेनदार	1,200	900	1,100
	4,300	**5,700**	**7,000**
आस्तियां			
अचल आस्तियां : ग्रॉस ब्लॉक	2,800	3,000	4,000
घटाएं : मूल्यह्रास	920	1,400	2,000
	1,880	**1,600**	**2,000**
स्टाक	1,520	2,400	2,800
देनदार	480	500	900
अन्य चालू आस्तियां	420	1,200	1,300
	2,420	**4,100**	**5,000**
कुल आस्तियां	**4,300**	**5,700**	**7,000**

और लाभ, हानि खाते का उद्धरण

तपशील	31 दिसंबर को समाप्त वर्ष के लिये (रु. लाखों में)	
	1990	1991
बिक्री	4,800	7,200
टर्म ऋण पर मूल्यह्रास और ब्याज के पूर्व लाभ	1,500	2,400
मूल्यह्रास	480	600
टर्म लोन पर ब्याज	420	600
कर	300	600
लाभांश	100	150

प्रश्न 2 : X लिमिटेड के 31 मार्च 1987 को समाप्त वर्ष के लिये निम्न विवरणों से वित्तीय विश्लेषण हेतु मदों की आवश्यक पुनर्व्यवस्था करके आपको निम्नांकित अनुपातों का परिकलन करना है।

(1) चालू अनुपात
(2) क्विक अनुपात
(3) परिचालन अनुपात
(4) स्टॉक टर्नओवर अनुपात
(5) अचल परिसंपत्ति आवर्त अनुपात और
(6) डेटर्स टर्न ओवर अनुपात

31 मार्च 1987 का तुलन पत्र

देयताएं	रु.	आस्तियां	रु.
शेयर पूंजी		भूमि और भवन	5,00,000
जारी किया गया तथा पूर्णतः चुकता हुआ		संयंत्र व मशीनरी	2,00,000
50,000/- ईक्विटी शेयर रु. 10/- प्रतिशेयर	5,00,000	स्टॉक	1,50,000
सामान्य प्रारक्षितियां (निधि)	4,00,000	विविध देनदार/डेटर्स	2,50,000
लाभ और हानि खाता	1,50,000	नकदी और बैंक	1,50,000
विविध लेनदार/क्रेडिटर्स	2,00,000	शेषें	1,50,000
	12,50,000		**12,50,000**

31 मार्च 1987 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ और हानि लेखा

विवरण	रुपये	विवरण	रुपये
नामे आरंभिक स्टॉक	2,50,000	जमा बिक्री	18,00,000
नामे खरीद	10,50,000	जमा लेखा बंदी स्टॉक	1,50,000
नामे सकल लाभ	6,50,000		
	19,50,000		19,50,000
नामे बिक्री हेतु और वितरण खर्चे	1,00,000	जमा सकल लाभ	6,50,000
नामे प्रशासनिक खर्चे	2,30,000	जमा अचल आस्तियों की बिक्री हेतु लाभ	50,000
नामे वित्तीय खर्चे	20,000		
नामे निवल लाभ	3,50,000		
	7,00,000		**7,00,000**

प्रश्न 3. निम्नांकित विवरण से, 31 मार्च 1990 की स्थितिनुसार सारांश तुलन पत्र तैयार कीजिये :

	रु.
(1) कार्यशील पूंजी	1,20,000
(2) प्रारक्षितियां और अधिक्य	80,000
(3) बैंक ओवड्राफ्ट	20,000
(4) अचल आस्तियां प्रोप्रायटरी अनुपात	0.75
(5) चालू अनुपात	2.50
(6) लिक्विड/तरलता अनुपात	1.5

उत्तर :

	1990	**1991**
1.		
(1) रिटर्न ऑन कैपिटल प्रयुक्त/एप्लॉइड	33.44%	43.90%
(2) चालू अनुपात	2.16	1.92
(3) ऋण ईक्विटी अनुपात	1.11	1.20
(4) अचल आस्तियां टर्नओवर अनुपात	2.76	4.00
(5) इनवेंटरी टर्नओवर अनुपात	1.68	1.85
(6) अर्निंग/आमदनी प्रति शेयर	3	6
2.		
(1) चालू अनुपात	2.75	
(2) क्विक अनुपात	2	
(3) ऑपरेटिंग अनुपात	82.22%	
(4) स्टॉक टर्नओवर अनुपात	5.75	
(5) अचल आस्तियां टर्नओवर अनुपात	2.60	
(6) डेटर्स टर्न ओवर अनुपात	7.2 cr. 51 दिन	
3. तुलन पत्र योग/जोड/टोटल	5,60,000	